

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

3.1 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर अनुत्पादक व्यय

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा उपलब्ध दूध का वास्तविक निर्धारण न करने एवं परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/कार्य न करने में विफलता के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का न्यून उपयोग हुआ, जिससे ₹ 63.35 लाख का निवेश अधिकांशतः अनुत्पादक रहा तथा ₹ 1.40 करोड़ का परिचालन नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश के दो पिछड़े जिले (चम्बा तथा सिरमौर) राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत समाविष्ट किए गए, जिसका उद्देश्य असंतुलन में कमी और विकास को गति देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना है। स्कीम के अंतर्गत सिरमौर जिले के दुग्ध उत्पादकों को बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड*¹ ने 2006-07 के दौरान ₹ 63.35 लाख की लागत से कफोटा में एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। संयंत्र चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा दो खण्डों (पांवाटा साहिब तथा शिलाई) के गांवों में 10 सदस्यीय 18 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन करके प्रतिदिन औसतन 5,000 लीटर दूध की खरीद को सुनिश्चित करना था। ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में डेयरी गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाना था तथा बदले में उन्हें हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डेयरी गतिविधियां अपनाने में स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करना था।

कफोटा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना से पूर्व सिरमौर जिले के कफोटा क्षेत्र से 2000-06 के दौरान विद्यमान नजदीकी दुग्ध चिलिंग संयंत्र को दी जा रही दूध की औसत दैनिक आपूर्ति 453 तथा 919 लीटर प्रतिदिन के मध्य थी। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने मई 2005 में क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया जिसमें दुग्ध उत्पादकों के पास प्रतिदिन केवल 2,017 लीटर दूध आवश्यकता से अधिक पाया गया, जिसे वे खुले बाजार में बेच रहे थे। तथापि, हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने प्रतिदिन 5,000 लीटर की क्षमता के साथ कफोटा में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया जो क्षेत्र में उपलब्ध अनुमानित आवश्यकता से अधिक दूध की अपेक्षा में बहुत अधिक था।

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* के अभिलेखों की छानबीन (अगस्त 2017) से देखा गया कि इसके संचालन के सात वर्षों (अप्रैल 2007 से जून 2014) के दौरान संयंत्र में प्रसंस्करण हेतु दूध की खरीद केवल 40 तथा 403 लीटर प्रतिदिन के मध्य था। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* इस अवधि के दौरान अपेक्षित 1.32 करोड़ लीटर² के प्रति केवल 4.71 लाख लीटर दूध (चार प्रतिशत) की खरीद सुनिश्चित कर सका। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अपेक्षित 18 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के गठन के प्रति केवल 14 ग्राम डेयरी सहकारी समितियां बनाई गईं, जिसमें से केवल तीन क्रियाशील थीं। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा केवल 80 ग्राम डेयरी सहकारी समिति सदस्यों (अपेक्षित 180 के प्रति) को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। पड़ोसी राज्य (पंजाब) में डेयरी किसानों द्वारा अधिक कीमतों पर दूध खरीदने के कारण, दूध की कम उपलब्धता तथा स्थानीय बाजार में किसानों द्वारा दूध की सीधी बिक्री के कारण अपेक्षित संख्या में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* पर्याप्त मात्रा में दूध की खरीद करने हेतु किसानों को डेयरी गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक संख्या में ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने में विफल रहा। हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने दूध की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तय करके ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाने, ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने अथवा दूध उत्पादकों में जागरूकता लाने के लिए कोई कार्रवाई करने की पहल नहीं की।

1 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड।

2 2,648 दिन (अप्रैल 2007 से जून 2014) x 5,000 लीटर (क्षमता प्रतिदिन) = 1,32,40,000 लीटर।

हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को 2007-15 के दौरान दुग्ध संयंत्र के रख-रखाव एवं संचालन पर ₹ 1.40 करोड़³ की परिचालन हानि हुई तथा संयंत्र को मोहाल (जिला कुल्लू) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2014) जो एक गैर पिछड़ा जिला होने के नाते राष्ट्रीय सम-विकास योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होता था। यद्यपि, संयंत्र और मशीनरी की क्रियाशील अवधि केवल 12 वर्ष थी जो 2018-19 के दौरान समाप्त होने वाली थी, कफोटा में जुलाई 2014 में दुग्ध संयंत्र के बंद होने के बाद मोहाल में स्थानांतरित संयंत्र को फरवरी 2018 तक चालू नहीं किया गया था।

प्रत्यक्षतः हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* द्वारा दूध की उपलब्ध मात्रा का वास्तविक आकलन करने में विफलता तथा परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का स्थापित क्षमता के प्रति न्यून उपयोग हुआ, जिससे स्कीम का उद्देश्य विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* को ₹ 1.40 करोड़ की परिचालन हानि हुई इसके अतिरिक्त, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना पर ₹ 63.35 लाख का निवेश काफी हद तक अनुत्पादक रहा।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2018) कि दूध उत्पादकों ने दूध की आपूर्ति नहीं की क्योंकि उन्हें पड़ोसी राज्य तथा स्थानीय बाजार की तुलना में खरीद दर आकर्षक नहीं लगी। प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश *मिल्कफैड* ने बताया (अक्टूबर 2019) कि मोहाल में दूध प्रसंस्करण संयंत्र को मार्च 2018 में क्रियाशील बना दिया गया था। तथापि, राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत स्वीकृत की गई स्कीम केवल पिछड़ा जिला सिरमौर तथा चम्बा के लिए थी और इसे गैर-पिछड़े जिले में स्थानांतरित करने से असंतुलन में कमी करने तथा विकास को गति देने का स्कीम का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार योजना में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूध की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर आवश्यक क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर सकती है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

3.2 पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन तटस्थता के लिए कार्यक्रम पर निष्फल व्यय

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हुए समझौते के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता तथा विभाग द्वारा निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप पर्यावरण आकलन, संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदायों को जुटाने के अभिप्रेत कार्यक्रम उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हुई तथा ₹ 1.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने (मई 2009) "पर्यावरण संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदाय आधारित मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षपोषण एवं कार्रवाई कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए ₹ 4.00 करोड़ अनुमोदित किए। कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे कि इको-क्लबों, महिला मण्डलों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, खण्डों एवं जिलों की मौजूदा पर्यावरण गुणवत्ता तथा कार्बन फुटप्रिंट⁴ का व्यवस्थित निर्धारण एवं प्रलेखन⁵; क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से जिला तथा राज्य स्तर पर नीतिगत परिवर्तन के लिए पर्यावरण पक्षपोषण को बढ़ावा देने के लिए समुदायों एवं पंचायतों को जुटाने; तथा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्यावरण सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने तथा उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करना शामिल था।

राज्य सरकार ने (मई 2009) सोसाइटी फार डेवेलपमेंट अल्टरनेटिव नई दिल्ली को पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से जुड़ी उपर्युक्त गतिविधियों को लागू करने के लिए

³ वेतन: ₹ 41.33 लाख; परिवहन प्रभार: ₹ 19.30 लाख; बिजली प्रभार: ₹ 6.66 लाख; ईंधन प्रभार: ₹ 1.05 लाख तथा दूध की खरीद पर व्यय: ₹ 103.08 लाख माइनस अर्जित आय: ₹ 31.15 लाख।

⁴ कार्बन फुट प्रिंट एक विशेष व्यक्ति/ समुदाय के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित ग्रीन-हाउस गैस की मात्रा है।

⁵ मौजूदा पर्यावरण के प्रलेखन में किसी विशेष व्यक्ति/ समुदाय के बारे में वेसलाईन डाटा की रिकॉर्डिंग शामिल है।

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया। निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 4.00 करोड़⁶ की लागत पर कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2009)। कार्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया जाना था: चरण-I- प्रारंभिक चरण (छ: माह), चरण-II- विकास चरण (12 माह) तथा चरण-III- समेकन और विस्तार चरण: (18 माह)।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के अभिलेखों की छानबीन से कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा अनुबंध के प्रावधानों को लागू न करना, विभाग द्वारा अनुश्रवण में कमी तथा कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं प्रदेय की गैर-उपलब्धि उद्घाटित हुई जो निम्नानुसार है:

- अनुबंध में कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा कार्यक्रम के अभिकल्प, रणनीति और कार्य-योजना को तैयार करने का प्रावधान था। निदेशक, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्पष्ट समयसीमा में कार्यक्रम की गतिविधियों/प्रदेयों के कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए रणनीति या कार्य योजना तैयार करने में विफल रहे। किसी रणनीति या कार्य-योजना के अभाव में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को निर्देशित करने और प्रदेयों तथा परिणामों की उपलब्धि को मापने के लिए कोई साधन नहीं था। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने शिमला में नियमित रूप से पेशेवर रूप से योग्य/ अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया तथा इसकी बजाय दिल्ली से अपना काम चलाया।
- अनुबंध पूर्ण रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण को नियत समय⁷ पर भुगतान करने का प्रावधान करता था, लेकिन भुगतान जारी करने से पहले प्राप्त किए जाने वाले कोई भी प्रदेय/लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा अनुबंध के प्रावधान के गैर-कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम प्रदेयों की प्राप्ति न होने के बावजूद विभाग ने 2009-13 के दौरान ₹ 2.20 करोड़ के दावे के प्रति कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण को कार्य निष्पादन की पुष्टि किए बिना ₹ 1.96 करोड़⁸ का भुगतान किया।
- अनुबंध निर्धारित अवधि में गतिविधियों को लागू करने अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण की विफलता हेतु ₹ 0.20 करोड़ की निष्पादित बैंक गारंटी को छोड़कर कोई भी शास्ति निर्धारित नहीं करता था। कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने 31 दिसम्बर 2012 तक के विस्तार को मंजूरी देने के बाद भी निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं किया, जिसके बाद कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण ने आगे किसी काम को अंजाम नहीं दिया तथा विभाग द्वारा ₹ 0.20 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई।

कार्यक्रम प्रदेयों की गैर-उपलब्धि/ अल्प उपलब्धि के बारे में विस्तृत स्थिति की चर्चा परिशिष्ट-3.1 में की गई है तथा निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण द्वारा किया हुआ बताया गया:

(क) "मूल्यांकन" घटक के अंतर्गत, समझौते में निर्धारित किए गए 36 जल तारा किट, 36 पवन तारा किट तथा 36,000 कार्बन कैलकुलेटर के प्रति 78 जल तारा किट, (जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु) 12 पवन तारा किट (हवा की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु) तथा 500 कार्बन कैलकुलेटर⁹ वितरित किए परंतु जल के परीक्षण हेतु कोलीफॉर्म शीशियों (7,200) को वितरित नहीं किया गया।

(ख) 'जागरूकता/ पक्षपोषण' घटक के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु 1500 अंग्रेजी संसाधन मॉड्यूल और 400 दीवार होर्डिंग्स वितरित किए गए जबकि हिन्दी संसाधन मॉड्यूल (1,500 सैट) वितरित नहीं किए गए थे।

⁶ कार्यक्रम प्रबंधन लागत: ₹ 1.93 करोड़ तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लागत: ₹ 2.07 करोड़।

⁷ 2009-10 (छ: महीने): ₹ 0.80 करोड़; 2010-11 (12 महीने): ₹ 1.20 करोड़; 2011-12 (12 महीने): ₹ 1.20 करोड़ तथा 2012-13 (छ: महीने): ₹ 0.80 करोड़।

⁸ 2009-10: ₹ 0.40 करोड़; 2010-11: ₹ 0.22 करोड़; 2011-12: ₹ 0.82 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.52 करोड़।

⁹ सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से ठोस लकड़ी के उपयोग, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन आदि, की डाटा फीडिंग द्वारा कार्बन फुटप्रिन्ट की गणना की जा सकती है।

(ग) मूल्यांकन तथा जागरूकता/ पक्षपोषण घटक के अंतर्गत पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की व्याप्ति को नीचे दिखाया गया है:

तालिका-3.2.1: 'मूल्यांकन' तथा 'जागरूकता/ पक्षपोषण' गतिविधियों के अंतर्गत पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की व्याप्ति में कमी का विवरण

क्रमांक	क्रियाकलाप/प्रदेय	क्षेत्र	लक्ष्य*	उपलब्धि	कमी
क. मूल्यांकन					
1.	पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों के मौजूदा पर्यावरणीय गुणवत्ता का मूल्यांकन	पंचायतें	3,243	562	2,681 (83)
		शहरी स्थानीय निकाय	53	--	53 (100)
2.	पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों के मौजूदा पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा कार्बन फुटप्रिंट का प्रलेखन	पंचायतें	3,243	374	2,869 (88)
		शहरी स्थानीय निकाय	53	--	53 (100)
ख. जागरूकता/ पक्षपोषण					
1.	कम से कम 30 प्रतिशत पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों में जागरूकता पैदा करना	पंचायतें	973	274	699 (72)
		शहरी स्थानीय निकाय	16	--	16 (100)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं। *अनुबंध के अनुसार।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए जनवरी 2019 में लेखापरीक्षा ने तीन जिलों (12 में से) में कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 12 पंचायतों¹⁰ का सर्वेक्षण किया जिसमें उद्घाटित हुआ कि किसी भी पंचायत को क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पर्यावरण एवं कार्बन फुटप्रिंट के लिए डाटा संग्रहण के लिए की गई कार्रवाई जल तारा किट, पवन तारा किट तथा कार्बन कैलकुलेटर, पर्यावरण जागरूकता के लिए कोई अंग्रेजी संसाधन मॉड्यूल और दीवार होर्डिंग्स के वितरण के बारे में जानकारी नहीं थी।

उपर्युक्त कमी के अतिरिक्त, यह पाया गया कि पर्यावरण एवं कार्बन फुटप्रिंट के विषयगत डाटाबेस को तैयार नहीं किया गया था जोकि सभी पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के सम्बंध में पूर्ण डाटा की उपलब्धता के बिना सम्भव नहीं था।

(घ) 'कार्य' घटक, जिसमें वर्षा जल संचयन, जल शोधन प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कागज पुनर्चक्रण संयंत्र एवं हर्बल गार्डन जैसी गतिविधियां शामिल थी, को लागू नहीं किया गया था।

(ङ) इसलिए, अन्य परिणाम उन्मुख प्रदेय जैसे कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सत्यापन योग्य सुधार तथा कार्बन फुटप्रिंट में कमी, कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् सतत् प्रणाली की स्थापना, कार्यक्रम और प्रलेखन की निगरानी एवं मूल्यांकन रणनीति तथा हित-धारकों के साथ अनुभव को साझा नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त परिणामों से संकेत मिलता है कि कार्यक्रम पर्यावरण गुणवत्ता के बारे में जागरूकता लाने में सक्षम नहीं रहा तथा कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के घटिया निष्पादन के कारण कार्यक्रम विफल रहा। तथापि, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के घटिया निष्पादन के अतिरिक्त, कार्यक्रम की विफलता के लिए निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा घटिया निगरानी एवं अनुबंध में कमियां भी जिम्मेदार थीं जिसके कारण विभाग कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के खिलाफ अनुबंध के दौरान कार्यक्रम प्रदेय की गैर-उपलब्धि के लिए कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के कार्य को सत्यापित किए बिना ₹ 1.96 करोड़ जारी करना अनुचित था। तथापि, सितम्बर 2019 तक परियोजना की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

¹⁰ बिलासपुर: छकोह, नम्होल, रघुनाथपुरा, साई खारसी तथा सुईसुरहाड़; शिमला: घणाहट्टी और जुन्गा तथा सोलन: चायल, धर्मपुर, कसौली गड़खल, सतरोल तथा सिसी नगर।

सरकार लक्ष्यों, निष्पादन से जुड़े भुगतानों आदि को अनुबंध के प्रारूपण में निर्दिष्ट करने पर विचार कर सकती है ताकि सरकार के हितों की रक्षा हो सके; तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों की समयबद्ध उपलब्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

3.3 ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के लिए परियोजना का धीमा कार्यान्वयन

अनुचित योजना तथा विभाग द्वारा परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन न करने से ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक- सामाजिक स्थिति के उत्थान का उद्देश्य विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और एक से 12 वर्षों से अधिक ₹ 2.64 करोड़ का अवरोधन हुआ, साथ ही राज्य ₹ 8.61 करोड़ की केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत' "हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों के उत्थान के लिए औषधीय तथा सुगन्धित पौधों की खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन" की एक परियोजना को ₹ 14.48 करोड़ की लागत में अनुमोदित (सितम्बर 2006) किया जिसे भारत सरकार (₹ 10.86 करोड़) व राज्य सरकार (₹ 3.62 करोड़) द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान दिया जाना था।

परियोजना को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था द्वारा पांच वर्षों के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना के अंतर्गत मिलने वाले अपेक्षित परिणाम/लाभ में 18,750 किसानों (जिनमें से कम से कम लगभग 80 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों से होंगे) की व्याप्ति के साथ औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती के माध्यम से प्रतिमाह ₹ 5,000 और ₹ 8,000 के बीच लाभार्थियों की आय के स्तर को 11 जिलों¹¹ के (12 में से) 24 खण्डों (78 में से) में स्वरोजगार के माध्यम से बढ़ाना शामिल था। परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन राज्य और जिला स्तर पर दो समितियों¹² द्वारा समय-समय पर किया जाना था।

निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अभिलेखों की छानबीन (सितम्बर 2015) तथा अतिरिक्त एकत्र जानकारी (जून 2018) से उद्घाटित हुआ कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था को ₹ 2.25 करोड़ की पहली किश्त (सितम्बर 2006) जारी की तथा राज्य सरकार ने ₹ 0.75 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी जारी की थी (दिसम्बर 2007)। 2006-11 के दौरान, जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी संस्था ने ₹ 1.23 करोड़ (परियोजना परिव्यय का आठ प्रतिशत) व्यय किए। उपर्युक्त अवधि के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध किसानों की घटक-वार व्याप्ति निम्नवत थी:

तालिका-3.3.1: 2006-11 के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध किसानों की घटक-वार व्याप्ति

क्रमांक	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धि	
		गरीबी रेखा से नीचे	अन्य	गरीबी रेखा से नीचे	अन्य
1.	पंजीयन (किसानों की संख्या)	15,000	3,750	4,660 (31)	3,991 (106)
2.	अवसंरचना: पोली हाऊस (संख्या)	15,000	3,750	2,203 (15)	शून्य
3.	रोपण सामग्री (पौधों की संख्या)	45,00,000	11,25,000	8,62,000 (19)	2,20,000 (20)
4.	किसानों को सब्सिडी (संख्या)	15,000	शून्य	1,477 (10)	शून्य
5.	किसानों को प्रशिक्षण (संख्या)	15,000	3,750	660 (04)	599 (16)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

¹¹ बिलासपुर: दो, चम्बा: तीन, हमीरपुर: दो, कांगड़ा: तीन, किन्नौर: दो, कुल्लू: दो, लाहौल एवं स्पिति: दो, शिमला: तीन, सिरमौर: तीन, सोलन: एक तथा ऊना: एक।

¹² राज्य स्तर: सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में समिति तथा जिला स्तर: परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की अध्यक्षता वाली समिति।

- प्रक्षेपण के प्रति, गरीबी रेखा के नीचे किसानों की वास्तविक व्याप्ति का प्रतिशत कम था: यह प्रतिशत अवसंरचना (पॉली/शेड्स हाऊस) के अंतर्गत 15 प्रतिशत, रोपण सामग्री के अंतर्गत 19 प्रतिशत, सब्सिडी के अंतर्गत 10 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत चार प्रतिशत थी।
- अन्य किसानों के प्रक्षेपण व्याप्ति के प्रति, वास्तविक व्याप्ति रोपण सामग्री के अंतर्गत 20 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत 16 प्रतिशत रहा।
- कुल किसानों के 80 प्रतिशत की आवश्यकता के प्रति, गरीबी रेखा के नीचे किसानों को प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने की व्याप्ति 52 प्रतिशत तक थी।

परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हुई तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल रही। कम व्याप्ति के लिए पर्याप्त कर्मचारियों¹³ की अनुपलब्धता, रोपण सामग्री की अपर्याप्त मात्रा तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया गया। पहली किश्त का समय पर ढंग से उपयोग न करने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने राज्य को ₹ 8.61 करोड़ की शेष केन्द्रीय सहायता राशि को भी जारी नहीं किया।

अंततः, भारत सरकार ने परियोजना को समय से पहले बंद करने का निर्णय (नवम्बर 2010) लेकर राज्य सरकार से परियोजना के अंतर्गत बकाया राशि वापिस करने को कहा। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2011) फिर से तैयार परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने दोबारा से परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने के लिए पुनः अनुमोदित (अगस्त 2011) किया। ₹ 9.69 करोड़¹⁴ के परिव्यय द्वारा पहले चरण को (2010-11 में पहले से ही ₹ 1.23 करोड़ व्यय सहित) 2011-15 के दौरान क्रियान्वित किया जाना था एवं पहले चरण के सफल समापन के बाद 2015-17 के दौरान ₹ 5.25 करोड़ के दूसरे चरण को क्रियान्वित किया जाना था। परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में सांझा किया जाना था। मूल व पुनर्निमित परियोजनाओं के अंतर का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-3.3.2: मूल व पुनर्निमित परियोजना में अंतर का विवरण

क्रमांक	विवरण	मूल परियोजना	पुनर्निमित परियोजना
1.	खण्डों एवं जिलों की संख्या	11 जिलों में 24 खण्ड	चार जिलों में आठ खण्ड
2.	पौधों की प्रजातियों की संख्या	औषधीय पौधे: 27 सुगन्धित पौधे: 11	औषधीय पौधे: 5-7 सुगन्धित पौधे: 4-5
3.	गरीबी रेखा के नीचे आवृत किए जाने वाले किसानों की संख्या	15,000	7,500 (1,477 पहले से मूल परियोजना के अंतर्गत आवृत)
4.	प्रति किसान को बांटे जाने वाले पौधों की संख्या	प्रति किसान 300 पौधे (प्रति पौधा ₹ 1 की दर से)	2,000 पौधे प्रति किसान
5.	अपेक्षित कर्मचारी	उप-परियोजना समन्वयक: दो, क्षेत्रीय अधिकारी: 20 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: एक	उप-परियोजना समन्वयक: एक, क्षेत्रीय अधिकारी: आठ, फील्ड फैसिलिटेटर्स: चार तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: दो
6.	प्रति माह वेतन की संरचना	उप-परियोजना समन्वयक: ₹10,000, क्षेत्र अधिकारी: ₹6,000 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: ₹5,000	उप-परियोजना समन्वयक: ₹ 14,000, क्षेत्र अधिकारी: ₹ 8,000, फील्ड फैसिलिटेटर्स: ₹8,000 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर: ₹ 6,000

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

¹³ 2008-10 के दौरान 20 क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रति 13 से 15 लोगों को तैनात किया गया जो परियोजना में कम वेतन संरचना के कारण बीच-बीच में नौकरी छोड़ते रहे।

¹⁴ अवसंरचना (नर्सरी एवं प्रसंस्करण इकाई): ₹ 2.34 करोड़ (अनुदान: ₹ 1.83 करोड़ तथा इक्विटी ऋण: ₹ 0.51 करोड़); स्टाफ: ₹ 1.02 करोड़; कार्यकारी पूंजी (रोपण सामग्री): ₹ 3.21 करोड़; लाभार्थियों को सब्सिडी: ₹ 0.15 करोड़; प्रशिक्षण: ₹ 2.37 करोड़; अन्य प्रशासनिक खर्च: ₹ 0.19 करोड़ तथा आकस्मिक व्यय: ₹ 0.41 करोड़।

विभाग/ जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था द्वारा पर्याप्त रोपण सामग्री तथा पर्याप्त श्रमशक्ति¹⁵ उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित समय में परियोजना का कार्य दोबारा से पूर्ण नहीं कर सका। परियोजना को आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राज्य औषधीय-पौध बोर्ड को सौंप (जुलाई 2013) दिया गया परंतु परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं हुई। जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था ने वर्ष 2011-15 के दौरान केवल ₹ 0.77 करोड़ का व्यय किया तथा इसके बाद कोई व्यय नहीं किया गया।

उपर्युक्त अवधि के दौरान आवृत किए जाने वाले 7500 गरीबी रेखा के नीचे किसानों के लक्ष्य के प्रति 4,317 को पंजीकृत किया गया तथा 1,770 गरीबी रेखा के नीचे किसानों (24 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार वितरित किए जाने वाले 1.50 करोड़ पौधों की संख्या (2000 प्रति गरीबी रेखा के नीचे किसान) के प्रति 12.41 लाख (आठ प्रतिशत) पौधे गरीबी रेखा के नीचे किसानों को वितरित किए गए तथा 80 इकाइयों की नर्सरी अवसंरचना के प्रति केवल पांच इकाइयों (छः प्रतिशत) का सृजन किया गया तथा प्रसंस्करण इकाई जैसाकि संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित था, को विकसित/स्थापित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कम वर्षा/ सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने तथा कभी-कभी अधिक वर्षा होने के कारण पौधों की जीवित दर 10 से 20 प्रतिशत थी। पौधों की सक्रिय बढ़ती अवस्था के दौरान इस तरह की जलवायु परिस्थितियों के कारण पूरी परियोजना अवधि (2006-15) के दौरान उपज की विपणन मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकी। परिणामतः, परियोजना का कार्यान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ तथा जैव-व्यवसाय एवं जैव-प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संस्था के पास ₹ 2.64 करोड़¹⁶ की निधि बिना खर्च के एक से 12 वर्षों से अधिक समय तक पड़ी रही।

आगे यह देखा गया कि विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के समय पर्याप्त कर्मचारी की उपलब्धता, औषधीय तथा सुगन्धित पौधों की खेती के लिए प्रतिकूल जलवायु स्थिति तथा राज्य में अनुसंधान एवं विकास संस्थान में पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा। इसके अतिरिक्त, रोपण सामग्री की उच्च लागत (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित ₹ 1 प्रति पौधा की तुलना में ₹ 3 या इससे अधिक की दर से प्रति पौधा) पर भी गौर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कम पौधे वितरित हुए। परियोजना में कर्मचारियों के लिए कम वेतन संरचना के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने परियोजना को आधे में ही छोड़ दिया जिसके कारण कम प्रगति हुई। विभाग ने भी पुनर्निर्मित परियोजना को आयुर्वेद विभाग को सौंपने हेतु दो वर्षों से अधिक समय लिया।

निस्संदेह, अनुपयुक्त योजना एवं नियत अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में विभाग की विफलता के कारण स्व-रोजगार पैदा करने एवं ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ दो करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा एक से 12 वर्ष से अधिक के लिए ₹ 2.64 करोड़ का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त राज्य को ₹ 8.61 करोड़ की बकाया केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ा। निधियों को न तो खर्च किया गया तथा न ही भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह (नवम्बर 2010) के अनुसार वापिस किया गया। विभाग ने धन को रोके रखने के लिए एक और परियोजना को तैयार (2011) किया परंतु इसे लागू नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि यदि पर्याप्त क्षेत्रीय कर्मचारी होते तो परियोजना को निर्धारित समय में अपने सम्पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित कर दिया होता। तथापि, विभाग को परियोजना की अवधारणा से पहले राज्य में अनुमोदित नर्सरियों एवं प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, कर्मचारियों की पर्याप्तता को ध्यान में रखना चाहिए था। परिणामतः औषधीय सुगन्धित पौधों की खेती के माध्यम से प्रति माह ₹ 5,000 और ₹ 8,000 के बीच लाभार्थियों की आय के स्तर को बढ़ाने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। तथापि, सितम्बर 2019 तक परियोजना की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

¹⁵ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों एवं क्षेत्रीय फैसिलिटेटरों की भर्ती के लिए गैर-अवकाश की अनुमति (फरवरी 2012) प्रदान की गई।

¹⁶ अनुदान: ₹ 1.00 करोड़ तथा ब्याज: मार्च 2017 तक ₹ 1.64 करोड़।

सरकार परियोजना को तैयार करने से पहले उसकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन के साथ पर्याप्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, कर्मचारियों की पर्याप्तता और जलवायु परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सकती है ताकि समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

मत्स्य पालन विभाग

3.4 मत्स्य पिंजरा संवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन पर अनुत्पादक निवेश

परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 3.34 करोड़ के निवेश पर ₹ 81.54 लाख की सीमा तक लक्ष्य की गैर-उपलब्धि, पायलट अध्ययन पर ₹ 26.87 लाख का अनुत्पादक व्यय तथा ₹ 50.61 लाख के ब्याज की हानि हुई।

जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं मछुआरों में प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति ने ₹ 3.34 करोड़ में राज्य के दो जलाशयों (पौंग तथा गोबिन्द सागर) में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 'पिंजरा मत्स्य संवर्धन' परियोजना को अनुमोदित किया (जून 2013)। मत्स्य पालन विभाग ने, परियोजना¹⁷ के कार्यान्वयन के लिए सम्पूर्ण राशि ₹ 3.34 करोड़ केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (कोलकाता) को एक साल में पूर्ण करने हेतु हस्तांतरित (जनवरी 2014) किए।

अभिलेखों की छानबीन से देखा गया (मई 2017) कि निदेशक-सह-वार्डन, मत्स्य पालन ने मत्स्य संवर्धन के लिए चार पिंजरों की स्थापना हेतु यूनाइटेड मत्स्य विकास निधि से जल-विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ₹ 26.87 लाख आहरित किए (दिसम्बर 2014)। विभाग ने मत्स्य संवर्धन के लिए आठ पिंजरे (चार-चार प्रत्येक पौंग तथा गोबिन्द सागर जलाशयों के लिए) खरीदे तथा इन पिंजरों में विभिन्न प्रजातियों¹⁸ के 36,695 बीजों का स्टॉक किया जिसमें से केवल 10,094 (28 प्रतिशत) बीज जीवित रहे। उच्च मृत्यु दर (72 प्रतिशत) दर्ज करने के बावजूद, विभाग ने भविष्य की परियोजनाओं में व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए किसी भी अध्ययन/ जांच का संचालन नहीं किया।

विभाग ने निधियों के हस्तांतरण की तिथि से नौ महीने से अधिक अवधि के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान के साथ नवम्बर 2014 में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने प्रति पिंजरा दो मीट्रिक टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन का अनुमान लगाया तथा वर्ष 2016-17 से परियोजना का क्रियान्वयन किया। जून 2017 तक दो जलाशयों में 48 पिंजरों की खरीद एवं स्थापना (₹ 74.85 लाख) और बीज, चारा, इत्यादि पर निवेश लागत (₹ 58.32 लाख) के ₹ 1.33 करोड़ का निवेश किया गया। स्टॉक एवं विपणन सुविधा (बिक्री काउंटर, आईस प्लांट, एवं कोल्ड स्ट्रक्चर) का सृजन करने के लिए केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने भी ₹ 1.00 करोड़ की निधियां (फरवरी 2016) केन्द्रीय मत्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची (₹ 60.00 लाख) तथा मत्स्य पालन विभाग (₹ 40.00 लाख) को हस्तांतरित की। परियोजना को बची हुई निधियों सहित मार्च 2018 तक आगे बढ़ाया (जनवरी 2017) गया।

यह देखा गया कि 2016-18 के दौरान केन्द्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा दो जलाशयों में स्टॉक किए गए 6.85 लाख बीजों के प्रति केवल 1.54 लाख मत्स्यों का उत्पादन किया जा सका। उपर्युक्त अवधि के दौरान मत्स्य का उत्पादन न्यूनतम अनुमानित स्तर 192 मीट्रिक टन¹⁹ मूल्य ₹ 1.37 करोड़ के प्रति केवल 79 मीट्रिक टन मूल्य ₹ 55.76 लाख था, जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादन में 113 मीट्रिक टन (59 प्रतिशत) लगभग मूल्य ₹ 81.54 लाख की कमी हुई। इस कमी को केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने

¹⁷ भंडारण शेड के साथ पिंजरों की दो बैटरी के निर्माण की लागत: ₹ 80.00 लाख, बीज, चारा आदि की निवेश लागत तथा अन्य प्रबंधन लागत: ₹ 144.00 लाख, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का सृजन (बिक्री काउंटर, आईस-प्लांट, कोल्ड स्टोर, इत्यादि): ₹ 100.00 लाख तथा परियोजना कार्यान्वयन लागत: ₹ 10.00 लाख।

¹⁸ अमुर कार्प, इंडियन मेजर कार्प तथा पंगेशियस।

¹⁹ 48 पिंजरों (प्रत्येक जलाशय में 24 पिंजरे) x दो वर्ष x दो टन = 192 मीट्रिक टन।

नवम्बर से फरवरी माह में जलाशयों में अचानक मत्स्य के लिए सहनीय सीमा से नीचे तापमान की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जिसका निर्धारण न तो परियोजना प्रस्ताव में और न ही दिसम्बर 2014 में विभाग द्वारा किए गए पायलट अध्ययन में किया गया था।

केन्द्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने मार्च 2018 में मत्स्य पालन विभाग को पूरी राशि (₹ 3.34 करोड़) का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा परियोजना को 2018 से आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की। विभाग ने स्थापित किए पिंजरो का प्रभार संभाला तथा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा गोविन्द सागर जलाशय तथा पौंग बांध जलाशय के पिंजरो में आंगुलिक मत्स्य बीजों और मत्स्य को बढ़ाने के प्रस्ताव को सितम्बर 2018 में मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग दिसम्बर 2014 में पायलट अध्ययन के परिणामों का संज्ञान लेने में विफल रहा तथा परियोजना को पिंजरे में स्टॉक की गई मछलियों की उच्च मृत्यु दर के सम्बंध में कोई अध्ययन/ जांच किए बिना कार्यान्वयन करने से ₹ 81.54 लाख तक के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परियोजना के लिए प्राप्त कुल निधियों से भुगतान जारी करने तथा ब्याज सहित जमा में शेष राशि रखने की बजाय पूरी निधियों को केन्द्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान को हस्तांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2014 से जून 2017 की अवधि में ₹ 50.61 लाख²⁰ के ब्याज की हानि²¹ हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि विभाग परियोजना की सफलता के प्रति आश्वस्त है तथा जैसाकि परिकल्पित है, मत्स्य उत्पादन को प्राप्त कर लिया जायेगा तथा बताया कि मत्स्य उत्पादन कम था क्योंकि पिंजरे में पाली जाने वाली मत्स्यों की प्रजाति 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को सहन नहीं कर सकती थी। तथापि, कम तापमान के पिंजरो में मत्स्यों को पालने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में अध्ययन के परिणामों का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादन (59 प्रतिशत) के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी हुई।

सरकार परिकल्पित परिणामों को प्राप्त करने की दृष्टि से नई परियोजना की संकल्पना करते समय पायलट परियोजना एवं पिछले अनुभवों के अनुप्रयोगों का निर्धारण सुनिश्चित कर सकती है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3.5 अनुवर्ती लेखापरीक्षा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने राशन कार्ड के डिजीटलाईजेशन और उचित मूल्य की दुकानों के कम्प्यूटराईजेशन में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। तथापि, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां या तो कोई प्रगति नहीं/ नगण्य प्रगति अथवा केवल आंशिक प्रगति हुई। नये गोदामों के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। परीक्षण प्रयोगशालाओं में जन-शक्ति की कमी तथा विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना सामग्रियों के वितरण से गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अप्रभावी रही, जिसके कारण घटिया सामग्रियों का वितरण किया गया। अपात्र परिवारों/ व्यक्तियों को लाभार्थियों में शामिल करने की समस्या बनी रही, जो दर्शाती है कि ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों को पहचानने की प्रक्रिया मजबूत नहीं थी। विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की लोक लेखा समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया। निरीक्षणों में कमियां थी, सतर्कता समितियों का गठन नहीं हुआ था और सतर्कता समितियों की बैठकों में कमियां थी।

3.5.1 परिचय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण की एक प्रणाली है। भारत सरकार ने पात्र लाभार्थियों को

²⁰ ₹ 334 लाख फरवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के लिए: ₹ 334 लाख x 7.85 x 9 महीने/ 1200 = ₹ 19.66 लाख; नवम्बर 2014 से जनवरी 2016: ₹ 201 लाख x 7.85 x 15 महीने/1200 = ₹ 19.72 लाख और फरवरी 2016 से जून 2017: ₹ 101 लाख x 7.85 x 17 महीने/ 1200 = ₹ 11.23 लाख।

²¹ राज्य सरकार के उधार पर ब्याज की औसत दर पर गणना (7.85 प्रतिशत)।

संशोधित योजना उपलब्ध करवाने, खाद्यान्न अधिकार एवं दरों तथा सस्ती दरों पर गुणवत्ता भोजन की पर्याप्त मात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने को राज्य के लिए कानूनी बाध्यता बनाने हेतु सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया।

3.5.2 अनुवर्ती लेखापरीक्षा: लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

2005-11 की अवधि हेतु "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा पर एक प्रतिवेदन 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) (हिमाचल प्रदेश सरकार) में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 21 स्वीकृत टिप्पणियां तथा चार सामान्य सिफारिशें थीं। प्रतिवेदन 06 अप्रैल 2012 को राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा फरवरी 2015 में लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सम्बंध में 17 सिफारिशें की थीं।

उपर्युक्त निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती लेखापरीक्षा फरवरी एवं जून 2018 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की गई तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं सिफारिशों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा तक सीमित थी। लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक की अवधि को आवृत किया गया तथा निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले; दो जिला नियंत्रकों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (कांगड़ा और शिमला); तथा दो चयनित जिलों के छः खण्ड²² स्तर के निरीक्षकों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले; 38 उचित मूल्य की दुकानें; तथा 24 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच शामिल थी।

3.5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है: नगण्य या कोई प्रगति नहीं, आंशिक प्रगति तथा पूर्ण/ पर्याप्त प्रगति। परिणाम नीचे विस्तृत है:

क. नगण्य या कोई प्रगति नहीं

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
<p>1. खाद्यान्नों का आवंटन, बंटवारा एवं उठाना (परिच्छेद 1.1.10)</p> <p>लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि 2006-11 के दौरान भारत सरकार के आवंटन के प्रति प्रत्येक वर्ष में कुल 1.55 लाख मीट्रिक टन (कुल आवंटन का छः प्रतिशत) खाद्यान्न राज्य सरकार द्वारा कम उठाया गया। सरकार ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के पास भंडार की अनुपलब्धता के कारण कमी हुई।</p>	कोई सिफारिश नहीं	चर्चा के समय भण्डारण की कमी की समस्या को उजागर किया गया तथा भण्डारण की क्षमता बढ़ाने की जरूरत को इंगित किया गया। लोक लेखा समिति ने निर्देश दिए कि भूमि चयन और गोदामों के निर्माण की वास्तविक स्थिति/ अवस्था प्रस्तुत की जाए।	विभाग ने गोदामों की विद्यमान क्षमता के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया।	<ul style="list-style-type: none"> लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुपालना के सम्बंध में यह पाया गया कि यद्यपि विभाग ने गोदामों की विद्यमान भंडारण क्षमता के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित किया लेकिन इसने नए गोदामों की स्थिति के सम्बंध में कोई भी सूचना लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की। राज्य में मई 2018 को गोदाम की 60,000 मीट्रिक टन अपेक्षित क्षमता के प्रति 57,567 मीट्रिक टन उपलब्ध थी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 6,650 मीट्रिक टन की क्षमता के 10 नए गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 9.99 करोड़ की राशि संस्वीकृत तथा जारी की (2015-18 के दौरान) गई। इन गोदामों का कार्य नौ से 12 महीनों में पूरा होना था।

				<p>तथापि, कार्य स्थलों की पहचान में देरी, (पांच मामले), भूमि विवाद (एक मामला) और निर्माण की धीमी गति (तीन मामले) के कारण जनवरी 2019 तक इनमें से नौ गोदामों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।</p> <p>नेरवा में एक पूर्ण गोदाम को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने जनवरी 2019 तक अपने कब्जे में नहीं लिया था। जनवरी 2019 तक इन गोदामों के निर्माण पर ₹ 1.70 करोड़ खर्च किए गए थे। राज्य सरकार (जनवरी 2019) ने बताया कि क्रियान्वयन अभिकरणों को कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे।</p>
<p>2. गुणवत्ता नियंत्रण-विभागीय प्रयोगशालाएं, विनिर्देशों से निम्न खाद्यान्नों/ दालों को जारी करना (परिच्छेद 1.1.12) (उप-परिच्छेद 1.1.12.1 से 1.1.12.3))</p> <p>लेखापरीक्षा ने विभागीय प्रयोगशाला में अपर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर प्रकाश डाला था। मार्च 2011 तक चार स्वीकृत तकनीकी पदों में से तीन पद खाली पड़े थे।</p> <p>इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला में आयोडीन युक्त नमक, लेवी चीनी, रिफाईंड तेल और सरसों के तेल की जांच की कोई सुविधा नहीं थी। इसके कारण नमूनों को संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट भेजा जा रहा था परंतु जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी हो रही थी। नमूनों के संग्रह तथा जांच के सम्बन्ध में यह इंगित किया गया कि नमूनों के संग्रह में कमी थी (2006-11 के दौरान 46 से 78 प्रतिशत के बीच) तथा खाद्यान्न को उचित मूल्यों की दुकानों में जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही जारी कर दिया गया। परिणामतः 1,167.26 मीट्रिक टन निर्धारित विनिर्देश से निम्न खाद्यान्न (2006-11) और 2,066.47 मीट्रिक टन निर्धारित विनिर्देश से निम्न दालों (2007-11) को</p>	<p>अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जांच प्रयोगशाला में पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करवाने और समय पर नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।</p>	<p>सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए और वितरण से पहले जांच की जानी चाहिए।</p>	<p>राज्य सरकार ने लोक लेखा समिति को उन प्रयोगशालाओं के बारे में सूचित किया, जिन्हें जांच के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया गया था।</p>	<p>विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया जैसे की नीचे चर्चा की गई है:</p> <ul style="list-style-type: none"> यद्यपि, विभागीय प्रयोगशाला सभी प्रकार के नमूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं से लैस थी, लेकिन प्रयोगशाला में कर्मचारियों की कमी की समस्या विकट थी। जनवरी 2019 तक दोनों स्वीकृत तकनीकी पद अर्थात मुख्य विश्लेषक और तकनीकी विश्लेषक खाली पड़े थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि मुख्य विश्लेषक और तकनीकी विश्लेषक के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। 2016-17 में जांच के लिए नमूनों के संग्रह में 520 नमूनों (16 प्रतिशत) (अपेक्षित 3,312 नमूनों के प्रति 2,792 नमूने एकत्र किए गए) तथा 2017-18 में 1,490 नमूनों (45 प्रतिशत) (3,312 अपेक्षित नमूनों के प्रति 1,822 नमूने एकत्र किए गए) की कमी थी। यह देखा गया कि कुछ मामलों में जांच रिपोर्ट देरी से प्राप्त हो रही थी। 1,148 नमूना जांचित नमूनों में से, विभागीय प्रयोगशाला से 81 नमूनों (सात प्रतिशत) की जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित अवधि से एक से 48 दिनों की देरी से प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि भविष्य में विभागीय प्रयोगशाला से जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में देरी की समस्या कम हो जाएगी क्योंकि कनिष्ठ विश्लेषक के दो पद भरे गए थे। इसके अतिरिक्त, जांच/ विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना खाद्यान्न जारी किया जा रहा था। परिणामतः 2,067.74 मीट्रिक टन (14,64,659 मीट्रिक टन कुल वितरित

<p>लाभार्थियों को वितरित किया गया। आपूर्तिकर्ताओं से शास्ति के रूप में वसूले गए ₹68.78 लाख, मई 2011 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सरकारी खाते में जमा नहीं करवाए गए थे।</p>				<p>खाद्यान्न में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम खाद्यान्न, 2,222.03 मीट्रिक टन (1,28,330 मीट्रिक टन कुल वितरित दालों में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम दालें और 1.80 लाख लीटर (1,020.59 लाख लीटर कुल वितरित खाद्य तेल में से) निर्धारित विनिर्देशों से कम खाद्य तेल 2015-18 के दौरान लाभार्थियों को वितरित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने घटिया वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं से वसूले गए ₹3.00 करोड़ की शास्ति की राशि को दिसम्बर 2018 तक सरकार के खाते में जमा नहीं किया था। तथापि, ₹ 68.78 लाख की पूर्व में लगाई गई और वसूली गई शास्ति राशि कोषागार में जमा कर दी गई थी। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को पूरी शास्ति राशि कोषागार में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।
<p>3. उचित मूल्य की दुकानों की कार्य पद्धति (परिच्छेद 1.1.14)</p> <p>लेखापरीक्षा ने 96 उचित मूल्य की दुकानों की नमूना-जांच की और विभिन्न कमियों को उजागर किया था। विभागीय आदेशों के उल्लंघन में 40 उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अलावा समान वस्तुओं को भी रखा गया था। किसी भी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के नमूने प्रदर्शित नहीं किए गए थे।</p> <p>53 उचित मूल्यों की दुकानों में मासिक भण्डार की स्थिति प्रदर्शित नहीं की गई थी। किसी भी उचित मूल्य की दुकान में नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी। उचित मूल्य की चार दुकानों में खुलने और बंद होने का समय प्रदर्शित नहीं किया गया था।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं</p>	<p>--</p>	<ul style="list-style-type: none"> विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आदेशों की कमियों/ अनुपालना न करना, पर प्रकाश डाला था। वर्तमान लेखापरीक्षा में 38 उचित मूल्य की दुकानों की नमूना जांच की गई तथा यह पाया गया कि पिछले प्रतिवेदन में उजागर की गई कमियां अभी तक जारी हैं: <ul style="list-style-type: none"> 38 में से 13 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित मूल्य पर बेची जाने वाली वस्तुओं के साथ सामान्य भण्डारण वस्तुओं जैसे आटा, चावल, चीनी तथा दालों को बाजार दरों पर बिक्री करने के लिए रखा गया था। अतः उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डार को नियमित भण्डार के साथ बदलने/ स्थानापन्न करने का जोखिम था। 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में किसी ने भी उपलब्ध वस्तुओं के नमूने प्रदर्शित नहीं किए थे। 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में से 16 में महीने के दौरान वस्तुएं जारी करने की मात्रा को नहीं दर्शाया गया था।

				<ul style="list-style-type: none"> ○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्य की दुकानों में से 17 में सिटीजन चार्टर प्रदर्शित नहीं किया गया था। ○ 38 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में से 13 में दुकान खोलने और बंद करने का समय प्रदर्शित नहीं किया गया था। <p>राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इस सम्बंध में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे।</p>
--	--	--	--	---

ख. आंशिक प्रगति

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
<p>1. निधियों का आवंटन तथा व्यय (परिच्छेद 1.1.7.1)</p> <p>लेखापरीक्षा ने शीर्ष सब्सिडी और परिवहन (₹ 7.46 करोड़), अन्नपूर्णा योजना (₹ 1.34 करोड़), तथा कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 8.95 करोड़) के तहत बड़ी बचत के साथ 2006-11 के दौरान ₹ 471.05 करोड़ के कुल बजट आवंटन में से ₹ 17.80 करोड़ (चार प्रतिशत) के अनुपयोग के मामलों को इंगित किया था। राज्य सरकार ने बताया कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत बचत अन्नपूर्णा स्कीम में लाभार्थियों की वास्तविक और लक्षित संख्या के बीच भिन्नता और आपूर्ति की गई वस्तुओं में कमी के कारण हुई थी, जबकि कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत बचत रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई थी।</p>	कोई सिफारिश नहीं	<p>1. विभाग को अन्नपूर्णा स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में भारत सरकार को सूचित करना चाहिए।</p> <p>2. रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की स्थिति को लोक लेखा समिति के ध्यान में लाया जा सकता है।</p>	<p>1. राज्य सरकार ने मार्च 2018 तक अन्नपूर्णा स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (1,014 व्यक्ति) के बारे में भारत सरकार को यह बताते हुए सूचित किया कि "वृद्धावस्था पेंशन योजना" के कार्यान्वयन के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी आई थी।</p> <p>2. यह भी सूचित किया गया (जुलाई 2017) कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निरीक्षकों के 35 खाली पदों में से 25 पद अगस्त 2016 में भर दिए गए थे जबकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के साथ कनिष्ठ सहायकों के 19 पदों को भरने की भर्ती</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा में देखा गया कि शीर्ष सब्सिडी और परिवहन (₹ 54.23 करोड़), अन्नपूर्णा योजना (₹ 0.52 करोड़), तथा कर्मचारी लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 2.44 करोड़) के अंतर्गत बड़ी बचत के साथ 2015-18 के दौरान कुल आवंटन ₹ 678.95 करोड़ में से ₹ 59.07 करोड़ (नौ प्रतिशत) अनुपयोगी रहा। ● 2017-18 की अंतिम तिमाही में शीर्ष सब्सिडी और परिवहन में राज्य सरकार की योजना रियायती दालों, तेल आदि के अंतर्गत दावे प्रस्तुत न होने के कारण बचत हुई। राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनुमानित बजट के प्रति वास्तविक बिक्री के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सब्सिडी का दावा किया जा रहा था। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने विभाग को दावे प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके कारण अभिलेख में नहीं थे। ● अन्नपूर्णा योजना के सम्बंध में, देखा गया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचित किया था, तथा तदनुसार खाद्यान्न के आवंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया। तथापि, भारत सरकार ने 2016-17 के बाद से राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत कोई खाद्यान्न आवंटित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जा सका। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन न करने के कारण अभिलेख में नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न ए0पी0एल/ टाईड

			प्रक्रिया चल रही थी।	ओवर एलोकेशन के लिए आवंटित भण्डार से वितरित किया जा रहा था, जिसे दिसम्बर 2018 तक पुनर्गठित/समायोजित नहीं किया गया था। ● शीर्ष कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत बचत के सम्बंध में निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने उत्तर दिया कि यह रिक्त पदों के कारण था और कहा कि अनुपयोगी बजट स्वचालित रूप से सरेंडर किया जा रहा था। कनिष्ठ सहायकों के संवर्ग में स्वीकृत 19 पदों में से 18 पदों को सितम्बर 2018 तक भर लिया ²³ था। निरीक्षकों के संवर्ग में कुल स्वीकृत 83 पदों में से दिसम्बर 2018 तक 11 पद खाली पड़े थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) की कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे किन्तु योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
<p>2. लाभार्थियों की पहचान तथा अंत्योदय परिवारों का अवास्तविक आकलन (परिच्छेद 1.1.8.1 तथा 1.1.8.2)</p> <p>लेखापरीक्षा में इंगित किया गया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ 2.82 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार) के स्थान पर 5.14 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दे दिया गया (मार्च 2000 में भारत सरकार द्वारा अनुमानित), जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी दरों पर 2.32 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अतिरिक्त/अधिक खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, जिसे अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 38 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता थी, ने 1.07 लाख परिवारों (2.82 लाख का 38</p>	<p>सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान तथा सब्सिडी प्रदान करने हेतु 2006-07 में किए गए सर्वेक्षण में पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए।</p>	<p>1. विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि 2.32 लाख अतिरिक्त/अधिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न क्यों प्रदान किए गए।</p> <p>2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए ग्रामीण/शहरी विकास विभागों के साथ गरीबी रेखा के आंकड़ों का मिलान करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।</p>	<p>1. लोक लेखा समिति को 2.32 लाख अतिरिक्त/अधिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई मिलान नहीं किया गया।</p>	<p>● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा लाभार्थियों और अधिकारों के लिए संशोधित योजना लाई गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने यह निर्धारित किया कि राज्य सरकार को प्राथमिकता वाले परिवारों²⁴ एवं अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के दो स्तरीय वर्गीकरण का उपयोग करके 36.82 लाख व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए। यह पाया गया कि इन लक्ष्यों के प्रति, राज्य सरकार ने तीन स्तरीय वर्गीकरण का उपयोग करके (गरीबी रेखा के नीचे के परिवार 13.10 लाख व्यक्ति, प्राथमिकता वाले परिवार: 9.33 लाख व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना: 1.93 लाख परिवार या 9.18 लाख व्यक्ति) 31.61 लाख व्यक्तियों को शामिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खण्ड 32 में यह प्रावधान है कि अधिनियम राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने या तैयार करने से नहीं रोकता। इस प्रकार, राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर के 45.64 लाख व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान कर रही थी। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि भारत सरकार ने टाईड ओवर श्रेणी के तहत</p>

²³ मार्च 2015 से खाली पड़े थे और 09.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017, 13.10.2017, 16.10.2017 तथा 26.02.2018 को भरे गए।

²⁴ प्राथमिकता वाले घरों में शामिल हैं: एकल नारी, आश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चे, विधवा के नेतृत्व वाले घर, अंत्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति के नेतृत्व वाले घर, तिब्बती बंदोवस्त अधिकारी द्वारा सत्यापित तिब्बती घर, किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति, आदि। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक कवर नहीं की गई 10 प्रतिशत आवादी तक कवर न किए गए व्यक्तियों में से सबसे गरीब लोगों को चुना जा सकता है, बशर्ते कि वे पांच हेक्टेयर गैर सिंचित या दो हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक के मालिक न हों, और उनकी औसत मासिक घरेलू आय ₹12,000 से कम होनी चाहिए, का चयन किया जा सकता है।

<p>प्रतिशत) के स्थान पर 1.96 लाख परिवारों (5.14 लाख का 38 प्रतिशत) को शामिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप 0.89 लाख परिवारों को अधिक शामिल किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास विभागों द्वारा की गई थी तथा इस सम्बंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों विभाग की कोई भूमिका नहीं थी।</p>			<p>आवंटन किया था, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को भारत सरकार में मानकों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा पर खाद्यान्न की उपलब्धता के अनुसार प्रदान किया जा रहा था।</p> <ul style="list-style-type: none"> लाभार्थियों की पहचान के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निदेशों के अनुसार 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा किए गए गरीबी रेखा से नीचे के सर्वेक्षण के बाद, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से 2008, 2011, 2013 और 2018 में निर्धारित समावेश/ बहिष्करण मानदण्डों के अनुसार आवधिक समीक्षा करवाई। <p>2015-18 के अभिलेखों से पता चला है कि विभाग ने शिकायतों/ अनुरोधों के आधार पर 38,143 अयोग्य परिवारों को बाहर किया और 32,176 पात्र परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया। गरीबी रेखा से नीचे की सूची से बाहर किये गए परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर वाली सूची में शामिल करने का विचार किया गया।</p> <p>तथापि, छः चयनित खण्डों²⁵ की 24 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में 1,833 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा छानबीन से पाया गया कि 133 अपात्र परिवारों²⁶ (सात प्रतिशत) को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया गया था।</p> <p>नमूना-जांच के दौरान पाई गई समावेश त्रुटियों ने संकेत दिया कि ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों की पहचान के लिए दिशा-निदेशों में निर्धारित मानदण्डों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अयोग्य परिवारों को दिया जा रहा था। यद्यपि, पात्र परिवारों को बाहर किए जाने के मामलों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी फिर भी ऐसी बहिष्करण त्रुटियों की सम्भावना बनी रही।</p> <p><i>यह सिफारिश की जाती है कि विभाग गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवधिक समीक्षा जारी रखे ताकि समावेश एवं बहिष्करण त्रुटियों की संभावना कम हो सके।</i></p>
---	--	--	--

²⁵ चौपाल (461 में से 11), नारकण्डा (226 में से 14), ठियोग (389 में से 31), फतेहपुर (184 में से 15), नूरपुर (356 में से 22) और परागपुर (217 में से 40)।

²⁶ 48 परिवारों के पास चार पहिया वाहन थे, 71 परिवारों की आय ₹ 2,500 से अधिक थी, दस परिवारों के पास सरकारी नौकरी में कम से कम एक सदस्य था और चार परिवारों के पास दो हेक्टेयर से अधिक जमीन थी।

				राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि गरीबी रेखा से नीचे की सूची में 133 अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के मामले को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के साथ उठाया गया था (सितम्बर 2018)।
<p>3. खाद्यान्नों के अधिक वितरण के कारण अतिरिक्त सब्सिडी का भार (परिच्छेद 1.1.11.1)</p> <p>लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2002 (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह) में तय किए गए पैमाने को नजर अंदाज कर दिया तथा अप्रैल 2005 से जून 2009 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 60 किलो ग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न वितरित किया था। इसके परिणामस्वरूप 45,775.09 मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिला, जिससे भारत सरकार को ₹ 10.98 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का भार वहन करना पड़ा।</p>	राज्य सरकार को निर्धारित पैमाने के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।	<p>1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाना चाहिए।</p> <p>2. विभाग को खाद्यान्न के अधिक वितरण को नियमित करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी चाहिए।</p>	राज्य सरकार ने 2005-09 के दौरान 45,775.09 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति के नियमितकरण के लिए भारत सरकार को लिखा (मई 2016) था।	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने 2005-09 के दौरान आपूर्ति किए गए 45,775.09 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्नों के वितरण को नियमित करने से इंकार (जून 2016) कर दिया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, प्राथमिकता वाले परिवार का प्रत्येक सदस्य रियायती दरों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं: ₹ 2 प्रति किलो तथा चावल: ₹ 3 प्रति किलो) प्रतिमाह का हकदार था। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य आधारित योजनाओं को जारी रखने/तैयार करने के लिए लचीलापन था। अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार अप्रैल 2002 में निर्धारित पैमाने अर्थात् 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही थी। प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम प्रति माह की (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार) निर्धारित दर से ऊपर खाद्यान्न की मात्रा, गेहूं के लिए ₹ 5.25 प्रति किलोग्राम व चावल के लिए ₹ 6.85 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दरों पर जारी की जा रही थी। राज्य सरकार ने उपर्युक्त के आधार पर 2014-18 के दौरान ₹ 42.75 करोड़ की सब्सिडी वहन की। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि राज्य सरकार टाईड ओवर आबंटन से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा आवंटन से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही थी। गरीबी रेखा की दरों से ऊपर का व्यय राज्य सब्सिडी योजना से वहन किया जा रहा था।
<p>4. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उच्च दरों पर खाद्यान्न जारी करना (परिच्छेद 1.1.11.2)</p> <p>यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2006-11 के दौरान गेहूं एवं चावल को अधिकतम अंतिम खुदरा मूल्य से ₹ 0.60 प्रति किलो गेहूं और</p>	राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च परिवहन प्रभार का मामला उपचारात्मक उपायों के लिए भारत सरकार	पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च दर पर खाद्यान्नों के वितरण के मामले को भारत सरकार से परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति के लिए उठाना चाहिए।	राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को लिखा (मई 2016) था।	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन प्रभार की उच्च दर की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार करने से इंकार (जून 2016) कर दिया था। 2015-18 के दौरान निर्धारित दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया था।

<p>₹ 0.70 प्रति किलो चावल की दर से अधिक पर वितरित किया जिससे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को ₹ 35.11 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राज्य सरकार ने बताया कि यह पहाड़ी इलाकों में उच्च परिवहन प्रभार के कारण हुआ जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था।</p>	<p>से उठाना चाहिए था।</p>			
<p>5. अन्नपूर्णा स्कीम (परिच्छेद 1.1.13.1) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2005-11 के दौरान अन्नपूर्णा स्कीम के लाभार्थियों की संख्या 5,310 से घटकर 3,447 हो गई तथा 2006-11 के दौरान 3,683.10 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटन के प्रति केवल 1,457.86 मीट्रिक टन ही उठाया गया। लेखापरीक्षा में यह भी इंगित किया गया कि उठाए गए 1457.86 मीट्रिक टन की मात्रा के प्रति 1,755.30 मीट्रिक टन (अर्थात् 297.44 मीट्रिक टन अधिक) को वितरित किया हुआ दर्शाया गया, तथा इस बेमेल का विभाग द्वारा मिलान नहीं किया गया।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं</p>	<p>विभाग को आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए तथा इस सम्बंध में स्थिति को प्रस्तुत करें।</p>	<p>विभाग ने 2006 एवं 2011 के बीच अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत उठाए गए एवं वितरित किए गए खाद्यान्नों के बीच बेमेल आंकड़ों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई मिलान नहीं किया।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-18 के दौरान अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत आवंटित, उठाये और वितरित किए गए खाद्यान्न के लिए कोई बेमेल आंकड़ों को नहीं देखा गया था। • तथापि, इस सम्बंध में यह प्रकाश डाला गया कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या मार्च 2018 तक घटकर 1,014 हो गई थी, तथा राज्य सरकार को भारत सरकार से अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत अक्टूबर 2015 से कोई भी खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था। अन्नपूर्णा स्कीम के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न पात्रता गरीबी रेखा से ऊपर वाले खाद्यान्न के कोटे से पूरी की जा रही थी।
<p>6. सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्य न करना (परिच्छेद 1.1.15.1 तथा 1.1.15.2) लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि मार्च 2011 तक राज्य के सभी 12 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समितियां गठित कर ली गई थीं, 77 में से 17 खण्डों तथा 4,567 में से 225 उचित मूल्य की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर 58 एवं 81 प्रतिशत के बीच, खण्ड स्तर पर 67 एवं 99 प्रतिशत के बीच तथा उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर 95 एवं 99 प्रतिशत के बीच सतर्कता समिति की बैठकों में कमी को भी इंगित किया।</p>	<p>सभी खण्डों और उचित मूल्यों की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन किया जाना चाहिए तथा घटिया वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाने चाहिए।</p>	<p>विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सतर्कता समितियों के गठन एवं कार्य के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि घटिया खाद्यान्न की आपूर्ति को रोका जा सके।</p>	<p>विभाग ने खण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन की अधिसूचना जारी (फरवरी 2016) की तथा इस सम्बंध में लोक लेखा समिति को सूचित किया।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • यद्यपि, राज्य के सभी 12 जिलों में मार्च 2018 तक जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया था, राज्य के 77 में से 20 खण्डों तथा 4,930 में से 677 उचित मूल्यों की दुकानों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था। • जिला स्तर पर 42 एवं 52 प्रतिशत, खण्ड स्तर पर 93 एवं 97 प्रतिशत, तथा उचित मूल्यों की दुकान के स्तर पर 77 एवं 98 प्रतिशत के बीच सतर्कता समिति की बैठकें कम आयोजित की गई थी। • विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति का गठन न करना एवं सतर्कता समिति की बैठकों के आयोजन में कमी की दृष्टि से, यह स्पष्ट होता है कि निगरानी, पर्यवेक्षण तथा शिकायत निवारण के लिए सामुदायिक आधार पर नियंत्रण तंत्र कार्य नहीं कर रहा था जैसा कि परिकल्पित था। <p>राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि खण्डों और उचित मूल्यों की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति के गठन के सम्बंध में मामला विचाराधीन था।</p>

<p>7. उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण (परिच्छेद 1.1.15.4)</p> <p>लेखापरीक्षा ने 2006-11 के दौरान 24 से 66 प्रतिशत के बीच जिला नियंत्रकों, जिला निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के निरीक्षण में कमी को इंगित किया था। राज्य सरकार ने निरीक्षणों में कमी के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं।</p>	<p>रिक्त पदों को भरने के मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और स्थिति से लोक लेखा समिति को सूचित किया जाना चाहिए।</p>	<p>निरीक्षक के 35 खाली पदों में से विभाग ने अगस्त 2016 में 25 पदों को भर दिया था।</p>	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-18 के दौरान जिला नियंत्रकों, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण में कमी 12 एवं 42 प्रतिशत के बीच²⁷ रही। यह देखा गया कि 2015-18 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। यह रिक्त पदों को भरने के कारण हो सकता था: निरीक्षकों के संवर्ग की 83 कुल संस्वीकृत पदों में से दिसम्बर 2018 तक 11 पद खाली थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि निरीक्षण में कमी विभागीय कर्मचारियों की राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के कार्य में व्यस्त होने के कारण हुई।
--	--------------------------	---	---	---

ग. पूर्ण/ पर्याप्त प्रगति

विगत प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम	लेखापरीक्षा सिफारिशें	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित की गई स्थिति	वर्तमान लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणियां
<p>1. राशन कार्ड जारी करना (परिच्छेद 1.1.9)</p> <p>लेखापरीक्षा ने अयोग्य लाभार्थियों को नकली/ फर्जी राशन कार्ड जारी करने की संभावना को प्रकाशित किया था, यह देखते हुए कि 2006-10 के दौरान जिस जनसंख्या के लिए राशन कार्ड जारी किए गए थे वह अनुमानित जनसंख्या²⁸ से 2.93 लाख और 3.42 लाख के बीच की सीमा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 2009-11 के दौरान चार नमूना-जांचित जिलों की 246 (1,399 में से) ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों की वार्षिक समीक्षा के बाद 643 फर्जी/ अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए। लेखापरीक्षा ने फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने के लिए जिला नियंत्रक, जिला निरीक्षकों और निरीक्षकों द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों के निरीक्षण में कमी को भी इंगित किया था।</p>	<p>राज्य सरकार को अपात्र और फर्जी राशन कार्डों को हटाने के लिए राशन कार्डों की समय-समय पर जांच करनी चाहिए तथा विभाग के प्रत्येक निरीक्षक को प्रत्येक महीने कम से कम एक ग्राम पंचायत को कवर करना चाहिए और फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों का 100 प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिए।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं</p>	<p>--</p>	<ul style="list-style-type: none"> फर्जी राशन कार्डों की संभावना को कम करने/ समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटाइजेशन (स्मार्ट कार्ड जारी करना) तथा राशन कार्डों को आधार से जोड़ना (2016-17 से) शुरू किया। सितम्बर 2018 तक, सभी 18.34 लाख पुराने कागज के राशन कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार: 11.29 लाख, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार: 2.87 लाख, अंत्योदय अन्न योजना परिवार: 1.90 लाख, तथा प्राथमिकता वाले परिवार: 2.28 लाख) राज्य में डिजिटाइज्ड हो चुके थे। इन राशन कार्डों में पंजीकृत 71.87 लाख लाभार्थियों में से 70 लाख (97 प्रतिशत) को आधार से जोड़ दिया गया था। निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने बताया (अक्टूबर 2018) कि राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का कार्य प्रगति पर था।

²⁷ 2015-16: 7,944 के प्रति 4,585 निरीक्षण किए गए (कमी: 3,359 या 42 प्रतिशत); 2016-17: 11,040 के प्रति 7,835 निरीक्षण किए गए (कमी: 3,205 या 29 प्रतिशत) तथा 2017-18: 7,866 के प्रति 6,952 निरीक्षण किए गए (कमी: 914 या 12 प्रतिशत)।

²⁸ राज्य सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित अनुमानित जनसंख्या आंकड़े।

<p>2. उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण (परिच्छेद 1.1.15.3)</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया था कि राज्य में उचित मूल्यों की दुकानें कम्प्यूटराइज्ड नहीं की गई थीं।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं।</p>	<p>विभाग को उचित मूल्यों की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति के बारे के लोक लेखा समिति को सूचित करना चाहिए।</p>	<p>विभाग ने उचित मूल्यों की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति के बारे में लोक लेखा समिति को सूचित कर दिया था।</p>	<ul style="list-style-type: none"> अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि राज्य में सभी 4,930 उचित मूल्यों की दुकानों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया था। यह देखा गया कि बिक्री केन्द्र (पॉइंट-ऑफ-सेल) मशीनों को प्रत्येक 38 नमूना जांचित उचित मूल्यों की दुकानों में स्थापित किया गया था। बिक्री केन्द्र मशीनें हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटाबेस के कम्प्यूटर सिस्टम से जुड़ी थीं। उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के भण्डार को उचित मूल्य की दुकान द्वारा गोदाम से उठाते समय गोदाम के कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है। किसी लाभार्थी को उचित मूल्य के दुकान द्वारा खाद्यान्न के वितरण के समय उचित मूल्य की दुकान में बिक्री केन्द्र मशीन लाभार्थी के स्मार्ट कार्ड को पढ़ेगी एवं लाभार्थी के स्मार्ट कार्ड से और बिक्री केन्द्र मशीन के भण्डार से लाभार्थी को प्रदान किए गए खाद्यान्न की मात्रा को स्वचालित रूप से डेबिट कर देगी। प्रत्येक बिक्री/लेन-देन के लिए एक पेपर बिल भी तैयार किया जा रहा था। बिक्री केन्द्र मशीनों में बैटरी बैकअप की सुविधा थी और बिक्री केन्द्र मशीनों पर डाटा को नियमित अंतराल पर प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटाबेस के साथ मिलाया जा रहा था।
<p>3. लाभार्थी सर्वेक्षण (परिच्छेद 1.1.14.1)</p> <p>लेखापरीक्षा ने 1,564 गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया। 1,564 सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में 34 प्रतिशत अपात्र पाए गए, 13 प्रतिशत ने खाद्यान्न की गुणवत्ता घटिया बताई, 22 प्रतिशत ने रिपोर्ट दी कि आपूर्ति अनियमित थी तथा 38 प्रतिशत ने लेवी चीनी की कम आपूर्ति की सूचना दी।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं।</p>	<p>कोई सिफारिश नहीं।</p>	<p>--</p>	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा ने मानकीकृत प्रश्नावली के माध्यम से उचित मूल्यों की दुकानों के 186 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया। विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जिन मामलों पर प्रकाश डाला था उन मामलों को किसी भी सर्वेक्षित लाभार्थी ने सूचित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उचित मूल्यों की दुकानों के क्रियाकलाप के अन्य पहलुओं के बारे में कोई शिकायत नहीं थी।

तथापि, नवीनतम स्थिति मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2019)।

निष्कर्ष

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' की निष्पादन लेखापरीक्षा में 21 स्वीकृत टिप्पणियां एवं चार सामान्य सिफारिशें शामिल थीं। लेखापरीक्षा ने सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा/ लोक लेखा समिति की टिप्पणियों के कार्यान्वयन की सीमा की जांच की और पाया कि इनमें से 33 प्रतिशत को लागू नहीं किया गया, 50 प्रतिशत को आंशिक रूप से लागू किया गया तथा केवल 17 प्रतिशत टिप्पणियों को पूरी तरह से लागू किया गया था।

- विभाग ने गुणवत्ता के संदर्भ में लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया था। जांच प्रयोगशालाओं में जन-शक्ति की कमी थी और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना वस्तुओं के वितरण की प्रथा के कारण गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अप्रभावी थी जिससे घटिया वस्तुओं का वितरण हुआ।
- ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों की पहचान प्रणाली मजबूत नहीं थी; विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिश का अनुपालन नहीं किया।
- निरीक्षणों में कमी, सतर्कता समितियों का गठन न करना तथा सतर्कता समितियों की बैठकों के आयोजन में कमी दर्शाती है कि नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र कार्य नहीं कर रहे थे जैसा कि परिकल्पित था।
- राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन तथा उचित मूल्य की दुकानों के कम्प्यूटराइजेशन के सम्बंध में लेखापरीक्षा सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के सकारात्मक परिणाम यह दर्शाते हैं कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दी गई सेवाओं से संतुष्ट थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.6 निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति तथा प्रयुक्ति

औषधियों एवं उपभोज्यों के खरीद हेतु मांग निर्धारण एवं इनका वितरण न तो वैज्ञानिक था और न ही व्यवस्थित था जिससे खरीद न करने, खरीद में विलम्ब तथा औषधियां उपलब्ध न होने के दृष्टान्त स्वास्थ्य संस्थानों में देखे गए तथा स्वास्थ्य संस्थानों को औषधियां जारी नहीं की गईं, कम जारी की गईं, अधिक जारी की गईं। औषधियों की अनियमित एवं बिना आवश्यकता खरीद के परिणामस्वरूप इनकी उपयोग की तिथि समाप्त हो गई। अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की गईं। सूची प्रबंधन प्रणाली के अभाव में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व्यवस्थित नहीं थी जिससे खरीद न करने तथा बिना आवश्यकता के खरीद के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप मर्दें अप्रयुक्त/ बेकार तथा अक्रियाशील रहीं। मर्दें तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण भी अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

3.6.1 परिचय

कुशल जन-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक है।

मार्च 2017 तक, राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से तय की गई दरों पर औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद की जाती थी। मार्च 2017 की नई क्रय नीति में निर्धारित है कि नवम्बर 2016 में गठित राज्य खरीद प्रकोष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त मांग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर संविदा पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश देगा। तथापि, राज्य खरीद प्रकोष्ठ के क्रियाशील न होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए अनुदेश जारी किए (अक्टूबर 2017) कि सीधे केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों, जन औषधि भण्डारों, अन्य अनुमोदित स्रोतों/

आपूर्तिकर्ताओं²⁹ तथा यदि इन स्रोतों पर उपलब्ध नहीं हैं तो अपने स्तर पर स्थानीय विक्रेताओं से प्रत्यक्ष खरीद करें। राज्य सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुसार, 66 आवश्यक औषधियां सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध करवानी थीं; इस अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा संशोधित (सितम्बर 2017) किया गया जिसमें नियत था कि विभिन्न स्तरों³⁰ पर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के मध्य निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवानी थीं।

3.6.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

2015-18 की अवधि हेतु निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति एवं प्रयुक्ति की लेखापरीक्षा में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा जनसंख्या एवं बजट के मापदण्ड का प्रयोग करते हुए स्तरीकृत नमूना के माध्यम से चार जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू एवं मण्डी) का चयन कर उनके अभिलेखों की जांच शामिल थी। 2015-18 के दौरान राज्य में औषधियों एवं उपभोज्यों पर ₹ 146.75 करोड़³¹ तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर ₹ 67.87 करोड़³² का कुल व्यय था। इसमें से, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा क्रमशः ₹ 130.48 करोड़ तथा ₹ 29.76 करोड़ व्यय किया गया। 2015-18 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के नियंत्रणाधीन चयनित चार जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा क्रमशः ₹ 58.80 करोड़³³ तथा ₹ 11.27 करोड़³⁴ का व्यय किया गया। चयनित चार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के नियंत्रणाधीन कुल 70 क्षेत्रीय इकाइयों³⁵ (अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र) की नमूना जांच (व्यय एवं भौगोलिक विविधता के आधार पर चयनित) की गई। 35 में से आठ खण्ड चिकित्सा अधिकारियों³⁶ जो प्रशासनिक अध्यक्ष के रूप में उनके नियंत्रण के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों से मांग के एकत्रीकरण के लिए जिम्मेदार थे, के अभिलेखों की नमूना-जांच भी की गई। लेखापरीक्षा ने मांग निर्धारण, आपूर्ति, औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों का उपयोग; आवश्यक औषधियों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बद्ध मामलों की जांच की।

3.6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

औषधियां एवं उपभोज्य

औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु मांग का निर्धारण विगत उपभोग के पैटर्न, रोग प्रचलन, क्षेत्रीय-विशिष्ट आवश्यकताओं, इत्यादि के आधार पर बनाया जाना चाहिए। बजट प्रावधान, मांग निर्धारण के आधार पर बनाने चाहिए ताकि वांछित लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुंचे। औषधियों की अनुपलब्धता/ अप्रयुक्ति/ उपयोग तिथि की समाप्ति से बचने के लिए खरीद आवधिक/ लगातार एवं समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए। औषधियों की प्राप्ति के समय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रतिस्थापित होनी चाहिए ताकि रोगियों को गुणवत्ता पूर्ण औषधियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

²⁹ आपूर्तिकर्ता जिनके साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, शिमला द्वारा दर संविदा को हस्ताक्षरित किया गया हो।

³⁰ अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालयों, सिविल चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप केन्द्रों के स्तर पर क्रमशः 330, 216, 106 तथा 43 औषधियों एवं उपभोज्यों को निःशुल्क में प्रदान किया जाना था।

³¹ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं: ₹ 130.48 करोड़ तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान: ₹ 16.27 करोड़।

³² निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं: ₹ 29.76 करोड़ तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान: ₹ 38.11 करोड़।

³³ चम्बा: ₹ 7.83 करोड़; कांगड़ा: ₹ 23.36 करोड़; कुल्लू: ₹ 8.78 करोड़; तथा मण्डी: ₹ 18.83 करोड़।

³⁴ चम्बा: ₹ 1.45 करोड़; कांगड़ा: ₹ 3.51 करोड़; कुल्लू: ₹ 1.63 करोड़; तथा मण्डी: ₹ 4.68 करोड़।

³⁵ चिकित्सा अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में चार में से चार अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, 74 में से आठ सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 242 में से 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,067 में से 43 स्वास्थ्य उप केन्द्र व्यय एवं भौगोलिक विविधता के आधार पर चयनित।

³⁶ भवारना, गंगथ, जरी, किहार, कोटली, नग्गर, रोहाण्डा तथा समोट।

3.6.3.1 औषधियों एवं उपभोज्यों का अवैज्ञानिक मांग निर्धारण

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अनुदेश जारी (मई 2015) किए थे कि मांग विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की जाएगी जिसको खण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एकत्रित करके तथा तत्पश्चात जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आकलित मांग के लिए आपूर्ति आदेश करेगा। इस प्रणाली का कुशलता से कार्य करने के लिए, यह आवश्यक था कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग निर्धारण उपयुक्त हो तथा मांग का प्रस्तुतीकरण समयबद्ध तरीके से किया जाये ताकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मांग को समेकित करके तदनुसार आपूर्ति आदेश कर सकें। इससे स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार औषधियों की उपलब्धता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सकता था। चार चयनित जिलों के अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

- क्षेत्रीय इकाई स्तर पर मांग का निर्धारण बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किया जा रहा था, क्योंकि अभिलेख ऐसा कुछ नहीं दर्शाते थे कि मांग करते हुए कारक जैसे विगत उपभोग का पैटर्न, रोग प्रचलन, तथा क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं, इत्यादि को ध्यान में रखा गया था।

2015-18 के दौरान चयनित औषधियों³⁷ के सम्बंध में आठ नमूना-जांचित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई मांग से सम्बंधित अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि वर्ष विशेष हेतु की गई मांग, औसत उपभोग (विगत दो वर्षों के लिए) से कम या अधिक थी तथा इसमें भारी अंतर³⁸ था। अतः क्षेत्रीय इकाई स्तर पर मांग का निर्धारण उपयुक्त नहीं था तथा वास्तविक आवश्यकता को प्रतिबिम्बित नहीं करता था।

- सूची प्रबंधन अथवा भण्डार की आवधिक रिपोर्टिंग हेतु कोई प्रणाली नहीं थी, जिसके अभाव में क्षेत्रीय इकाइयों में भण्डार स्थिति को खण्ड/ जिला स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके दृष्टिगत, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग प्रस्तुतीकरण हेतु अनुसूची निर्धारित करनी चाहिए थी। तथापि, किसी भी नमूना जांचित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/ खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मांग विभिन्न समय पर प्राप्त हुई अथवा मांग प्राप्त नहीं हुई। औषधियों एवं उपभोज्यों की समेकित/ आवधिक मांग चम्बा एवं मण्डी जिलों में 2015-17 के दौरान तथा कुल्लू जिला में 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने क्षेत्रीय इकाइयों के लिए जहां से मांग प्राप्त नहीं हुई थी, औसतन आधार पर मांग का आकलन कर रहे थे। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर मांग का निर्धारण/ समेकन न तो उपयुक्त था और न ही समयबद्ध।

मांग निर्धारण में यथार्थता एवं सामयिकता का अभाव खरीद न करने, विलम्ब से खरीद तथा अधिक या कम जारी करने के परिणामस्वरूप गैर उपयोग तथा औषधियों एवं उपभोज्यों की तिथि समाप्ति के दृष्टान्तों में प्रतिबिम्बित है (परिच्छेद 3.6.3.2 से 3.6.3.8)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 2019) कि औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित किया जा रहा था तथा भविष्य में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

³⁷ आठ चयनित खण्डों में नौ एवं 29 के मध्य विभिन्न औषधियों को नमूना-जांच हेतु उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चयनित किया गया।

³⁸ 97 एवं 798 प्रतिशत के मध्य उदाहरण के लिए: (1) सिटरीजीन (खण्ड चिकित्सा अधिकारी रोहाण्डा, मण्डी): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 75,755; 2017-18 के लिए की गई मांग: 6,80,000 (भिन्नता: 798%); (2) इंजेक्शन जैंटामाईसिन (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किहार, चम्बा): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 405; 2017-18 के दौरान की गई मांग: 1,750 (भिन्नता: 332%); तथा गोली डोमपेरीडोन (खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली, मण्डी): 2015-17 के दौरान औसत उपभोग: 2,000; 2017-18 के लिए की गई मांग: 15,000 (भिन्नता: 650%)।

सिफारिश: राज्य सरकार कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टिंग अथवा सूची प्रबंधन को प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक मांग की निर्धारण प्रणाली को विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिससे भण्डार स्थिति का नियमित अथवा वास्तविक समय पर अनुश्रवण हो सकेगा।

3.6.3.2 औषधियों एवं उपभोज्यों की आपूर्ति में विलम्ब

मांग के निर्धारण के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके अनुसरण में जिला स्टोर्स से आपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फर्मों से प्राप्त आपूर्ति की गुणवत्ता एवं सामयिकता को सुनिश्चित करना तथा चूक के मामले में फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करना अपेक्षित था। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशों (मई 2015) में नियत है कि आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण आपूर्ति करनी चाहिए तथा विलम्ब से आपूर्ति हेतु शास्ति/ परिसमापन हर्जाना लगाने का प्रावधान है।

चार चयनित जिलों में 2015-18 के दौरान ₹ 34.06 करोड़ की कुल आपूर्ति में से, 257 नमूना-जांचित आपूर्ति आदेशों में से 97 के सम्बंध में ₹ 1.46 करोड़ की आपूर्ति एक से 32 सप्ताह के विलम्ब से प्राप्त हुई। आगे यह पाया गया कि सम्बद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/ चिकित्सा अधीक्षकों ने सम्बंधित फर्मों को ₹ 16.39 लाख की शास्ति/ परिसमापन हर्जाना नहीं लगाया। बफर स्टॉक के भण्डारण का रख-रखाव न करने सहित आपूर्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप औषधियों एवं उपभोज्यों की कमी/ अनुपलब्धता हुई।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम दर संविदा में शास्ति खण्ड नहीं था तथा सम्बंधित फर्मों के साथ पत्राचार किया जा रहा था। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के दर संविदा में शास्ति खण्ड था।

3.6.3.3 आवश्यक औषधियों की खरीद न करना

राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (मार्च 2017) कि नवम्बर 2016 में गठित राज्य खरीद प्रकोष्ठ जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तय की गई दर संविदाओं के आधार पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी करेगा। सितम्बर 2017 में, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मौजूदा दर संविदा को अंतिम रूप दिया गया था, को समाप्त करने का निर्णय लिया।

राज्य खरीद प्रकोष्ठ कार्यपालकों जैसे कि अधीक्षक, परामर्शदाता (खरीद), वरिष्ठ सहायक/ सहायक, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इत्यादि की तैनाती न होने के कारण क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। विभाग 66 अधिसूचित आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु दर संविदा को अंतिम रूप नहीं दे सका तथा इसके बजाय विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के मध्य सूची का विस्तार (सितम्बर 2017) कर दिया। तत्पश्चात, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों, जन औषधि भण्डारों, फर्मों जिनकी दर संविदा संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल/ केन्द्रीय राज्य बीमा निगम के साथ अंतिम की गई हो अथवा ऐसे मामले जिनमें ये मदें इन स्रोतों में उपलब्ध नहीं हैं, खुली निविदा के माध्यम से निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी किए गए (अक्टूबर 2017) अनुदेशानुसार आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद करना था।

खण्ड चिकित्सा अधिकारियों/ सिविल चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर अपेक्षित 216 आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों में से 68 (चम्बा), 145 (कांगड़ा), 112 (कुल्लू) तथा 137 (मण्डी) सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद नहीं की जा सकी। अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय के स्तर पर अपेक्षित 330 आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों में से 48 (चम्बा), 196 (कांगड़ा), 131 (कुल्लू) तथा 140 (मण्डी) औषधियों एवं उपभोज्यों की खरीद नहीं की जा सकी।

अतः, दर संविदा को अंतिम रूप न देने तथा अनुमोदित स्रोतों से औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों को विलम्ब/ खरीद न करने के परिणामस्वरूप विभिन्न नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता रही (परिच्छेद 3.6.3.6)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि अनुमोदित स्रोतों में इन औषधियों की अनुपलब्धता तथा कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगने के कारण आवश्यक औषधियों की खरीद नहीं की जा सकी।

सिफारिश: राज्य सरकार दर संविदा को अंतिम रूप देने के मामले का समाधान कर सकती हैं ताकि आवश्यक औषधियों की खरीद में विलम्ब न हो/ बाधित न हो।

3.6.3.4 मांग एवं इन्डेंट के अनुसार औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी न करना

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशानुसार (मई 2015), क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त मांग को जिला स्तर पर विचार एवं समेकित करके आपूर्ति आदेश जिला स्तर पर दिए जाएंगे। जिला स्टोर से आपूर्ति की प्राप्ति के पश्चात औषधियों एवं उपभोज्यों को क्षेत्रीय इकाइयों को उनकी इन्डेंट के अनुसार जारी किया जाना था।

चौबीस नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों (परिशिष्ट-3.2) को जिला स्टोर से जारी औषधियों (कांगड़ा: 35, चम्बा: 20, मण्डी: 20 तथा कुल्लू: 54) के सम्बंध में 2016-18 की अवधि के अभिलेखों की छानबीन से मांग के प्रति औषधियों को कम जारी करने, अधिक जारी करने तथा न जारी करने के मामलों के दृष्टांत उद्घाटित हुए, जैसा कि निम्न विवरणित है:

- एक से 16 औषधियों के सम्बंध में, 21 क्षेत्रीय इकाइयों को 37,12,894 की मांग की गई मात्रा के प्रति 14,16,819 की मात्रा जारी करने के परिणामस्वरूप 22,96,075 की मात्रा (62 प्रतिशत) कम जारी की गई। क्षेत्रीय इकाई वार कम जारी की गई मात्रा 22 से 98 प्रतिशत के मध्य थी।
- एक से छः औषधियों के सम्बंध में, यह पाया गया कि नौ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 6,42,080 मात्रा की मांग के प्रति इन इकाइयों को कोई मात्रा जारी नहीं की गई।
- एक से नौ औषधियों के सम्बंध में, 8,10,175 मात्रा की मांग के प्रति 15 क्षेत्रीय इकाइयों को 13,33,034 मात्रा जारी करने के परिणामस्वरूप 5,22,859 (65 प्रतिशत) मात्रा अधिक जारी की गई। क्षेत्रीय इकाई वार अधिक जारी की गई मात्रा 10 से 669 प्रतिशत के मध्य³⁹ थी।
- एक से तीन औषधियों के सम्बंध में, चार क्षेत्रीय इकाइयों को बिना मांग के 96,430 मात्रा जारी की गई।

जिला स्टोर से क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियां जारी करने में कमियां मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अवैज्ञानिक मांग के निर्धारण तथा दर संविदा को अंतिम रूप न देने (परिच्छेद 3.6.3.1 तथा 3.6.3.3) के कारण थीं।

³⁹ मांग मात्रा के 10 प्रतिशत जारी मात्रा के विचलन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांचित चार जिलों में 33 इन्डेंटस (परिशिष्ट-3.3) की जांच की गई जिसमें कुल 910 औषधियों की मांग की गई थी। यह पाया गया, कि 910 मांगी गई औषधियों में से, 346 औषधियां क्षेत्रीय इकाइयों को आपूर्ति नहीं की गई। 62 औषधियों के सम्बंध में, 2,77,283 मात्रा की औषधियों की अल्प आपूर्ति की गई (4,60,220 मात्रा की मांग के प्रति 1,82,937 मात्रा की आपूर्ति की गई)। 21 औषधियों के सम्बंध में, औषधियों की 40,755 मात्रा की अधिक आपूर्ति की गई (73,540 मात्रा की मांग के प्रति 1,14,295 मात्रा की आपूर्ति की गई)।

मांग के प्रति औषधियों को कम जारी करने तथा जारी न करने के प्रचलन के कारण औषधियां अल्प अथवा अनुपलब्ध रहीं जबकि औषधियों के अधिक जारी करने तथा बिना मांग के जारी करने के प्रचलन से औषधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई एवं उपयोग की तिथि समाप्त हुई (परिच्छेद 3.6.3.6 से 3.6.3.8)।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों एवं उपभोज्यों को मांग तथा जिला स्टोर में मदों की उपलब्धता के अनुसार जारी किया गया था। आगे यह बताया कि औषधियां जो उपयोग होने की तिथि की समाप्ति पर थी, की खपत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही थी।

3.6.3.5 जारी और प्राप्त मात्रा के बीच विसंगतियां

जिला/ खण्ड स्टोरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को जारी की जाने वाली औषधियों एवं उपभोज्यों को सम्बंधित स्टॉक रजिस्ट्रों में विधिवत दर्ज तथा अभिलिखित किया जाना चाहिए, साथ ही सम्बंधित स्टोरों के प्रभारी अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि मदों को विधिवत जारी/ प्राप्त किया गया है।

29 नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों⁴⁰ के स्टॉक रजिस्ट्रों का कांगड़ा एवं कुल्लू जिला के जिला/ खण्ड स्टोरों के स्टॉक रजिस्ट्रों के प्रति-सत्यापन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

- 57 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु 0.51 लाख की मात्रा (लागत ₹ 0.34 लाख) को जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी किया गया दर्शाया गया, जबकि 16 नमूना-जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में कोई भी मात्रा प्राप्त, नहीं दर्शाई गई थी। दो औषधियों (कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन: 14,400 मात्रा लागत ₹ 0.10 लाख, तथा असाइक्लेयिर गोली 800 मिली ग्राम: 5,000 मात्रा लागत ₹ 0.15 लाख) के मामले में यह विसंगति विशेषतया उच्च थी।
- 70 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु, 25 नमूना-जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में प्राप्त मात्रा, जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी मात्रा से 1.08 लाख (लागत ₹ 0.42 लाख) तक कम दर्शायी गयी थी।
- 33 औषधियों एवं उपभोज्यों हेतु, 16 नमूना जांचित प्राप्त करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में प्राप्त मात्रा जारी करने वाली इकाइयों के अभिलेखों में जारी मात्रा से 0.31 लाख (लागत ₹ 0.14 लाख) अधिक दर्शायी गयी थी।

अतः जिला/ खण्ड स्तर से जारी औषधियों एवं उपभोज्यों की मात्रा तथा क्षेत्रीय इकाई स्तर पर प्राप्त मात्रा में विसंगतियां थीं जो कि त्रुटिपूर्ण भण्डारण/ स्टॉक प्रबंधन का परिचायक था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि मामले की जांच की जा रही है तथा तदनुसार आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भविष्य में वस्तुसूची प्रबंधन के माध्यम से विसंगतियों के मिलान हेतु निर्देश जारी कर दिए थे।

⁴⁰ क्षेत्रीय चिकित्सालय: 01; सिविल चिकित्सालय: 01; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: 02; खण्ड चिकित्सा अधिकारी: 01; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र: 05 तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र: 19।

3.6.3.6 आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता

राज्य सरकार की अधिसूचनानुसार (जनवरी 2016) सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 66 आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवानी थीं; इसे राज्य सरकार की अधिसूचना (सितम्बर 2017) के द्वारा संशोधित किया गया जिसमें नियत है कि विभिन्न स्तरों⁴¹ पर स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में 43 तथा 330 के बीच औषधियां मुफ्त उपलब्ध करवानी थीं। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अनुदेश दिए (फरवरी 2016) कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आवश्यक औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखा जाना चाहिए।

तथापि, विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता ध्यान में आई जैसाकि निम्न तालिका- 3.6.1 में विवरणित है:

तालिका-3.6.1: नमूना-जांचित इकाइयों में आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता का विवरण (2015-18)

संस्थान की श्रेणी		अपेक्षित (2016 की अधिसूचनानुसार)	उपलब्ध नहीं	अपेक्षित (2017 की अधिसूचनानुसार)	उपलब्ध नहीं
प्रशासनिक मुखिया	कार्यकारी मुखिया				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	66	7-40 (11-61)	216	50-169 (23-78)
	चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय	66	3-4 (5-6)	330	122-196 (37-59)
खण्ड चिकित्सा अधिकारी	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	66	5-53 (8-80)	216	109-195 (50-90)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सिविल चिकित्सालय)	66	6-8 (9-12)	216	85-183 (39-85)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)	66	9-47 (14-71)	216	78-139 (36-64)
	चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	66	8-47 (12-71)	106	14-95 (13-90)
	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (स्वास्थ्य उप-केन्द्र)	66	9-58 (14-88)	43	9-36 (21-84)

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

यह पाया गया कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तीन से 58 औषधियां एवं उपभोज्य एक से 27 महीने के मध्य (2016 की अधिसूचना के संदर्भ में) की अवधि में उपलब्ध नहीं थे; तथा नौ से 196 औषधियों एवं उपभोज्य एक से छः महीने (2017 की अधिसूचना के संदर्भ में) तक उपलब्ध नहीं थे।

आगे यह देखा गया कि नमूना-जांचित चार जिला भण्डारों में से किसी में भी बफर स्टॉक का भण्डारण नहीं किया गया था, जिससे समाप्त हो चुकी औषधियों एवं उपभोज्यों की मांग उठने की स्थिति में जिला भण्डार क्षेत्रीय इकाई में स्टॉक को पुनः पूर्ति करने में स्पष्टतः असमर्थ रहा।

⁴¹ अंचल/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र स्तर पर क्रमशः 330, 216, 106 तथा 43 औषधियों एवं उपभोज्यों को निःशुल्क में प्रदान किया जाना था।

रोगियों पर आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता का प्रभाव जानने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित चार जिलों की 11 क्षेत्रीय इकाइयों में सर्वेक्षण (अप्रैल-मई 2018) किया गया। जिला स्तर इकाइयों में अर्थात् अंचल चिकित्सालयों, कांगड़ा एवं मण्डी, तथा क्षेत्रीय चिकित्सालयों कुल्लू एवं चम्बा में 1,415 सर्वेक्षण किए गए रोगियों में से 486 रोगियों (34 प्रतिशत) को आवश्यक औषधियां प्रदान नहीं की गई थीं। खण्ड एवं निम्न स्तर इकाइयों में अर्थात् सिविल चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में सर्वेक्षण किए गए, 742 रोगियों में से 274 रोगियों (37 प्रतिशत) को आवश्यक औषधियां प्रदान नहीं की गई थीं।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ सितम्बर 2017 में दर संविदा को निरस्त कर दिया था एवं तत्पश्चात नई दर संविदा में कोडल औपचारिकताएं पूरा करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब था।

3.6.3.7 औषधियों एवं उपभोज्यों का उपयोग न करना

मांग निर्धारण प्रणाली में त्रुटियां तथा इंडेंट/ मांग के अनुसार औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी न करने के प्रचलन के परिणामस्वरूप औषधियां एवं उपभोज्य बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़े रहे।

- 2016-18 के दौरान अंचल चिकित्सालय, मण्डी में पांच औषधियों (कफ सिरप एक्सपेक्टोरेण्ट, इंजेक्शन सेपोफ-टी 1.125 मिली ग्राम, संस्पेशन एल्वेन्डाजोल, डुओलिन रेसपियूलज तथा फेटल डॉपलर) जिनकी पर्याप्त मात्रा (48,806) भण्डार में उपलब्ध थी, के बावजूद बिना आवश्यकता के स्थानीय स्तर पर 40,765 मात्रा की खरीद की गई थी (अक्टूबर 2016-नवम्बर 2017)। इन औषधियों में से 62,365 की मात्रा को वितरित किया गया जबकि 27,206 की मात्रा अप्रैल 2018 तक अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, छः इंजेक्शन (मात्रा: 5,000) इनकी प्राप्ति (फरवरी 2017-नवम्बर 2017) से अप्रयुक्त पड़े रहे, जो दर्शाता है कि ये औषधियां बिना आवश्यकता से खरीदी गईं। इन अप्रयुक्त औषधियों एवं उपभोज्यों की कुल लागत ₹ 30.14 लाख थी।
- 2016-18 के दौरान तीन⁴² क्षेत्रीय इकाइयों ने, आठ औषधियों (गोली कोट्रीमजोल, गोली सफ्ट्राईएक्सजोन, इंजेक्शन जाईलोकेन ईडरालीन, इंजेक्शन मैक्स पी0टी0 4.5 मिली ग्राम, इंजेक्शन विटमिन के, इन्जेक्शन डेक्सट्रोस 5%, इन्जेक्शन ऐविल एवं आई0/ वी0एन0एस0) की जिला स्टोर से मांग एवं प्राप्त की गई (मात्रा: 8,657) जबकि इन औषधियों का स्टोर में पर्याप्त स्टॉक (मात्रा: 3,587) उपलब्ध था। इन औषधियों की 3,675 मात्रा को वितरित कर दिया गया था जबकि मई 2018 तक चार से 21 महीने तक ₹ 1.61 लाख की 8,569 मात्रा अप्रयुक्त रही। सितम्बर 2018 तथा नवम्बर 2018 के मध्य इन औषधियों के उपयोग की तिथि समाप्त होनी थी। सम्बंधित क्षेत्रीय इकाइयों ने बताया (अप्रैल-मई 2018) कि अधिक स्टॉक होने के कारण जिला स्टोर ने औषधियों को जारी कर दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा ने बताया (अगस्त 2018) कि सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की स्टॉक स्थिति उपलब्ध नहीं थी एवं उन्होंने जिला स्टोर को स्टॉक स्थिति की सूचना नहीं दी।
- दो जिलों (चम्बा एवं मण्डी), में यह पाया गया कि 34,600 मात्रा की औषधियां (पेंटोप्राजोल इन्जेक्शन, मिजाप्रोस्टोल गोली एवं सिफोटेक्सईम इन्जेक्शन) जिला स्टोरों द्वारा पांच क्षेत्रीय इकाइयों⁴³ को बिना आवश्यकता/ इन्डेंटस के जारी (मार्च 2016-जुलाई 2017) की गई थी। परिणामतः क्षेत्रीय इकाइयों में ₹ 1.10 लाख की 22,400 औषधियां (65 प्रतिशत) आठ एवं 24 महीने के मध्य की अवधि के लिए अप्रयुक्त रही।

⁴² सिविल चिकित्सालय, डलहौजी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहाड़ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोटला (जिला चम्बा)।

⁴³ क्षयरोग चिकित्सालय चम्बा; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चूरी; सिविल चिकित्सालय सुन्दरनगर तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि आपूर्ति पिछले अनुभव एवं मौसमी बीमारियों के प्रकोप के अनुसार जारी की गई थी तथा दवाओं को वापस/ उपभोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, अब मांग को औषधि और टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है तथा बफर स्टॉक का रख-रखाव किया जा रहा है।

3.6.3.8 औषधियों एवं उपभोज्यों की उपयोग होने की तिथि समाप्ति

यद्यपि, औषधियों/ उपभोज्यों के उपभोग की समाप्ति की तिथि के बाद उपयोग करना असुरक्षित है, का कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है परंतु उनकी क्षमता घटने का जोखिम हो सकता है। अतः प्राप्ति इस तरीके से होनी चाहिए कि क्रय की गई मात्रा को उपयोग की तिथि की समाप्ति से पहले उपभोग किया जा सके।

तीन जिलों (चम्बा, कुल्लू एवं मण्डी) में यह देखा गया कि ₹ 13.43 लाख⁴⁴ की 66 औषधियां एवं उपभोज्य (मात्रा: 20,79,877 ग्लूकोस्ट्रिप सहित) 18 क्षेत्रीय इकाइयों में दो से 36 महीने तक अप्रयुक्त रहने के परिणामस्वरूप उनके उपयोग की तिथि समाप्त हो गई थी। यह इस तथ्य का परिचायक था कि इन मदों को बिना आवश्यकता के खरीद/ प्राप्त किया गया था। आगे यह देखा गया कि ₹ 0.58 लाख की 17 औषधियों एवं उपभोज्यों (मात्रा: 13,071) का चार⁴⁵ क्षेत्रीय इकाइयों ने उपयोग की समाप्ति की तिथि के उपरांत उपभोग किया। जिला कुल्लू में 1,891 ग्लूकोस्ट्रिप का तिथि समाप्त⁴⁶ होने के उपरांत भी 20 महीने की अवधि तक लगातार उपयोग किया गया। अतः 18 नमूना-जांचित इकाइयों में ₹ 13.43 लाख मूल्य की औषधियां एवं उपभोज्य दो से 36 महीनों के लिए अप्रयुक्त रहे जिसकी वजह से उनके उपयोग की तिथि समाप्त हो गई।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि भविष्य में आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

3.6.3.9 खरीद में अनियमितताएं

(i) नॉन-जैनेरिक औषधियों की खरीद

राज्य औषधि नीति (1999) तथा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेश (अक्टूबर 2016) केवल जैनेरिक औषधियों की खरीद को नियत करते हैं।

यह पाया गया कि 2016-18 के दौरान अंचल चिकित्सालय, मण्डी ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.75 करोड़ की गैर-जैनेरिक औषधियां, जैनेरिक औषधियों की पर्याप्त मात्रा तथा अनुमोदित स्रोतों पर औषधियां होने के बावजूद क्रय की। ₹ 30.14 लाख मूल्य की औषधियां मार्च 2018 तक अप्रयुक्त रही जिसमें से ₹ 1.33 लाख मूल्य की औषधियों की उपयोग की तिथि समाप्त हो गई थी। जैनेरिक औषधियों की कीमत पर नॉन जैनेरिक औषधियों को खरीदने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका उपयोग अन्य आवश्यक वस्तुओं पर किया जा सकता था।

⁴⁴ क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू: ₹ 2.32 लाख (6,279); अंचल चिकित्सालय, मण्डी: ₹ 1.33 लाख (10,783); लेपरोसी चिकित्सालय, चम्बा: ₹ 0.03 लाख (2,150); सिविल चिकित्सालय, डलहौजी: ₹ 0.20 लाख (1,672); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किहाड़: ₹ 3.69 लाख (3,08,397); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर: ₹ 4.97 लाख (17,24,500); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरी: ₹ 0.01 लाख (9,455); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहार: ₹ 0.01 लाख (1,800); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर: ₹ 0.01 लाख (221); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा: ₹ 0.01 लाख (2,719); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डियूर: ₹ 0.17 लाख (1,076); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुनेरा: ₹ 0.03 लाख (230) तथा ग्लूकोस्ट्रिपस खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी: ₹ 0.35 लाख (6,100); स्वास्थ्य उप केन्द्र, धारा: ₹ 0.09 लाख (1,502); स्वास्थ्य उप केन्द्र, बराधा: ₹ 0.08 लाख (555); स्वास्थ्य उप केन्द्र, बरशैणी: ₹ 0.05 लाख (958); स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीश: ₹ 0.05 लाख (900) तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र, पीरड़ी: ₹ 0.03 लाख (580)।

⁴⁵ क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू: ₹ 0.57 लाख (5,613); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरी: ₹ 0.01 लाख (7,420); प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर: ₹ शून्य (29) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा: ₹ शून्य (09) जिला कुल्लू।

⁴⁶ स्वास्थ्य उप केन्द्र, धारा: 292; स्वास्थ्य उप केन्द्र, बराधा: 79; स्वास्थ्य उप केन्द्र, बरशैणी: 40; स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीश: 900 तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र, पीरड़ी: 580

चिकित्सा अधीक्षक, अंचल चिकित्सालय, मण्डी ने बताया (मई 2018) कि अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विलम्ब से आपूर्ति करने, विशेषज्ञ चिकित्सों द्वारा नॉन-जैनरिक औषधियां लिखने तथा विभिन्न वार्डों की मांग के अनुसार औषधियों की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से किया गया था।

(ii) निविदा/ कोटेशन के बिना अनियमित खरीद

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में नियत है कि रोगी कल्याण समिति द्वारा ₹ 2000/- से अधिक कीमत की वस्तुओं की खरीद निविदा आमंत्रित किए बिना नहीं की जा सकती, तथा ऐसी कुल खरीद एक वर्ष में ₹ 50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्षेत्रीय चिकित्सालय चम्बा, क्षेत्रीय चिकित्सालय कुल्लू तथा अंचल चिकित्सालय धर्मशाला की रोगी कल्याण समिति के अभिलेखों की छानबीन में देखा गया कि इन चिकित्सालयों ने 2015-18 के दौरान निविदा आमंत्रित किए बिना अथवा कोडल औपचारिकताओं का अवलोकन किए बिना स्थानीय हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों से ₹ 5.27 करोड़ लागत की नॉन-जैनरिक औषधियों एवं उपभोग्यों की खरीद की। इस संदर्भ में, यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य पर केवल 10 प्रतिशत तक छूट दी गई जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी ने इसी अवधि के दौरान स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से निविदा आमंत्रित करने के उपरांत 40 तथा 83 प्रतिशत के मध्य छूट प्राप्त की थी।

अतः हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानों से निविदा आमंत्रित किए बिना औषधियों की प्रत्यक्ष खरीद न केवल अनुदेशों का उल्लंघन था अपितु स्वास्थ्य संस्थान अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से भी वंचित हुए।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि डॉक्टरों की पर्ची के अनुसार औषधियां खरीदी गईं तथा भविष्य में विभिन्न योजनाओं के तहत औषधियों की दैनिक आधार पर खरीद की रीति को स्थगित किया जाएगा।

(iii) दर संविदा से अधिक भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अंतिम रूप दी गई दर संविदा (मई 2015) की शर्तों के अनुसार अंतिम दरें औषधियों को तय स्थान तक पहुंचाने के लिए है जिसमें सभी कर शामिल है, तथा कोई कर अथवा अन्य प्रभार इन दरों के ऊपर भुगतान नहीं किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू ने फरवरी-मार्च 2016 में नौ औषधियों की खरीद के लिए पांच आपूर्ति आदेश दिए, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अंतिम रूप दी गई दरों से अधिक थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.46 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मामला सम्बंधित फर्मों के साथ उठाया जाएगा।

3.6.3.10 गुणवत्ता नियंत्रण

रोगियों को प्रदान करने के लिए औषधियों की मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण है। राज्य औषधि नीति (1999) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने एवं श्रेष्ठ औषधियों के वितरण की परिकल्पना करती है। तथापि, नमूना-जांच में निम्नवत् कमियां उद्घाटित हुईं:

(i) अनुवर्ती जांच हेतु आपूर्ति के समय औषधियों के नमूनों का चयन न करना

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुदेशों (मई 2015) में निर्धारित है कि प्रत्येक बैच की आपूर्ति से नमूनों की आपूर्ति/वितरण/ भण्डारण के समय चयन करना था तथा जांच हेतु सरकार द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में भेजा था।

चार नमूना-जांचित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि नमूनों की जांच/गुणवत्ता नियंत्रण की निर्धारित प्रणाली पूर्णतः अक्रियाशील थी क्योंकि सम्बंधित जिला स्टोरों के स्टोर प्रभारियों ने आपूर्ति के समय अनुवर्ती जांच हेतु नमूने नहीं लिए थे।

विभाग गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रोगियों को वितरित की जा रही औषधियों की नियत जांच को सुनिश्चित नहीं कर रहा था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि ड्रग्स निरीक्षकों द्वारा यादृच्छिक नमूना लिया जा रहा था तथा आपूर्तिकर्ता के विश्लेषण परीक्षण रिपोर्ट के साथ औषधियां प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं के सूचीबद्ध की प्रक्रिया चल रही थी।

(ii) जांच रिपोर्ट का विलम्ब से प्राप्त करना/प्राप्त न करना तथा घटिया औषधियों का उपभोग

ड्रग निरीक्षक शिकायत प्राप्त होने अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्टों की जांच के उपरांत यादृच्छिक आधार पर नमूने ले रहे थे। नमूनों को संयुक्त जांच प्रयोगशाला, कण्डाघाट तथा एक सूचीबद्ध प्रयोगशाला चण्डीगढ़ में भेजा जा रहा था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्टों की प्राप्ति हेतु कोई समय अवधि नियत नहीं की गई थी तथा जांच रिपोर्टों की प्राप्ति होने तक औषधियों को जारी करने/ वितरण को रोकने हेतु कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

2013-18 के दौरान, ड्रग निरीक्षकों द्वारा जांच हेतु 417 नमूने लिए गए थे, जिसमें से 15 नमूनों को (चार प्रतिशत) "मानक गुणवत्ता अनुसार नहीं" घोषित किया गया। इन नमूनों की जांच रिपोर्टें एक से 39 महीने के उपरांत प्राप्त हुईं। 116 नमूनों की जांच रिपोर्टें (एक वर्ष से अधिक से संग्रहित) मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुई थीं। उपर्युक्त मामलों में औषधियों को पहले ही जारी/ वितरित किया जा चुका था।

इसी प्रकार, अंचल चिकित्सालय, मण्डी तथा क्षेत्रीय चिकित्सालय, चम्बा द्वारा शिकायत के उपरांत, मार्च 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य खरीदी गई चार औषधियों के नमूने लिए गए थे तथा जांच (अगस्त 2016 तथा जनवरी 2018) हेतु भेजे गए थे। तथापि, आपूर्ति औषधियों की जांच रिपोर्टें जिन्हें घटिया घोषित किया गया था, दो से चार महीने के विलम्ब के साथ 2017-18 में प्राप्त हुईं, तथा इसी बीच इन घटिया औषधियों की 0.84 लाख मात्रा रोगियों को जारी की जा चुकी थी।

प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों की जांच तथा रिपोर्ट भेजने में विलम्ब के साथ-साथ जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना औषधियों को जारी करने के प्रचलन का अर्थ है कि रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की जा रही थी।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2019) तथा बताया कि निर्देशों के अनुसार नमूनों का परीक्षण अभी तक प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध न होने के कारण नहीं अपनाया गया था जिसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही थी।

सिफारिश: विभाग वर्तमान में प्रयोग की जा रही प्रयोगशालाओं में क्षमता की कमी को देखते हुए समर्पित औषधि जांच प्रयोगशाला की स्थापना अथवा प्रमाणित निजी औषधि जांच प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है।

(iii) स्टॉक का सामान्य तापमान (रूम टेम्परेचर) पर अनुरक्षण न करना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा “आवश्यक औषधियों एवं अन्य स्वास्थ्य पदार्थों के भण्डारण” हेतु जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि औषधियों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता है तथा अधिकतर औषधियों को सामान्य तापमान (15-25 डिग्री सेल्सियस) पर स्टोर किए जाने की आवश्यकता है। अतः गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से औषधियों के लिए उपयुक्त भण्डारण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा द्वारा स्टोर के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चार नमूना-जांचित जिला स्टोरों में से तीन (अर्थात् कांगड़ा के अतिरिक्त) में आपूर्ति को सामान्य कमरों में इक्कठा करके तापमान की किसी प्रणाली अथवा आर्द्रता नियंत्रण/ अनुरक्षण के बिना रखा गया था, जिसके अभाव में, विभिन्न औषधियों एवं उपभोज्यों का भण्डारण दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः अनुपयुक्त तापमान/ आर्द्रता के संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण औषधियों एवं उपभोज्यों की क्षमता खो देने अथवा क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि निर्देशों के अनुसार अधिकांश औषधियों एवं उपभोज्यों को 25 डिग्री से नीचे के परिवेश के तापमान में रखा गया था, जबकि इन्जेक्शन तथा टीके डी-फ्रिजर में रखे गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टान्तों को देखा जिनमें औषधियों को बिना किसी तापमान या आर्द्रता नियंत्रण के सामान्य कमरों में इक्कठा कर दिया गया था।

3.6.3.11 आंतरिक नियंत्रण**(i) स्टॉक रजिस्टर में विस्तृत सूचना का अनुरक्षण न करना**

अंचल चिकित्सालय/ क्षेत्रीय चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्ट, तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रखने एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। 78 क्षेत्रीय इकाइयों के स्टॉक रजिस्ट्रों की नमूना-जांच में देखा गया कि 28 क्षेत्रीय इकाइयों⁴⁷ में, औषधियों एवं उपभोज्यों का विस्तृत विवरण (बैच नम्बर, विनिर्माण की तिथि, समाप्ति की तिथि, दर आदि) को दर्ज/ अनुरक्षित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में मर्दों के विभिन्न बैचों की समाप्ति की तिथियों को सुनिश्चित करना कठिन था जिससे उनकी समाप्ति का जोखिम था। यह पाया गया कि 2015-18 के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समोत (चम्बा जिला) में स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि इन 28 क्षेत्रीय इकाइयों में से तीन (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौक, हुनेरा एवं नग्गर) में फार्मासिस्ट का पद खाली रहने के परिणामस्वरूप स्टॉक रखने में कमियां थीं।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि सम्बंधित संस्थानों को स्टॉक रजिस्टर को ठीक से बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए थे।

(ii) स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 (2) में निर्धारित है कि सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार करना चाहिए। अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि स्टोरों/ स्टॉक का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू (2017-18); खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर (2015-18); सिविल चिकित्सालय, मनाली (2015-18); तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा (2015-18) में नहीं किया गया था। अतः इन इकाइयों में स्टॉक रजिस्ट्रों के अनुसार मात्रा सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जांच प्रणाली क्रियाशील नहीं थी।

⁴⁷ खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी; खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर; सिविल चिकित्सालय, मनाली; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नग्गर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुंतर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़सा; स्वास्थ्य उप केन्द्र, महीस; स्वास्थ्य उप केन्द्र, सिओबाग; स्वास्थ्य उप केन्द्र, थेला; स्वास्थ्य उप केन्द्र, हुरला; स्वास्थ्य उप केन्द्र, शिया; स्वास्थ्य उप केन्द्र, नाजन; स्वास्थ्य उप केन्द्र, साचानी; खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भवारना; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवारना; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलह; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डरोह; स्वास्थ्य उप केन्द्र, परोर; स्वास्थ्य उप केन्द्र, कुरल; सिविल चिकित्सालय, डलहौजी; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किहार; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुनेरा; स्वास्थ्य उप केन्द्र, गुलेल; स्वास्थ्य उप केन्द्र, भींग; स्वास्थ्य उप केन्द्र, काहरी; स्वास्थ्य उप केन्द्र, होबर; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारांडा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौक।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि कुल्लू जिला में अपेक्षित भौतिक सत्यापन कर लिया गया था तथा भविष्य में सावधानियां बरती जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई टिप्पणियां नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मशीनरी एवं उपकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण की मदों को निर्धारित करते हैं। मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग और कार्यपद्धति की निगरानी के लिए क्षेत्रीय इकाइयों से रिपोर्टिंग की एक प्रणाली होनी चाहिए। मशीनरी एवं उपकरण के गैर-उपयोग या कम-उपयोग से बचने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

3.6.3.12 मांग निर्धारण की प्रणाली में कमियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2010) के अनुसार, जिले की सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए मशीनरी एवं उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर खरीदे जाने थे, जबकि छोटे उपकरण रोगी कल्याण समिति निधियों से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा खरीदे जा सकते थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से जिला स्टोरों और क्षेत्रीय इकाइयों में उपकरण सीधे भी प्राप्त किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बहुत सी इकाइयों में निर्धारित प्रणाली कार्यात्मक नहीं थी; 78 नमूना-जांचित इकाइयों में से केवल 25 ने 2015-18 के दौरान समेकित मांग भेजी/ प्रस्तुत की थी।

मांग प्रस्तुत न करने की दृष्टि से, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मांग निर्धारण हेतु एक वैकल्पिक प्रणाली को तैयार करना चाहिए था। उपलब्ध मशीनरी एवं उपकरणों के आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली हो सकती थी, तथा मांग का निर्धारण भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित मांग अंतर विश्लेषण प्रयोग के आधार पर किया जा सकता था।

यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने या तो स्वयं अपने स्तर पर अथवा मासिक बैठक के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किए थे। तथापि, इस प्रचलन के परिणामस्वरूप मांग निर्धारण गलत किया जा रहा था, तथा लेखापरीक्षा ने आवश्यकता के बिना खरीद, गैर-खरीद तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अनुपयोगी/ बेकार मदों की रिपोर्टिंग के दृष्टांत देखे जैसा कि आगामी परिच्छेदों में वर्णित है।

अतः 2015-18 के दौरान मशीनरी एवं उपकरणों के मांग निर्धारण की प्रणाली अक्रियाशील थी। इसके अतिरिक्त, स्टॉक के सामयिक रिपोर्टिंग की कोई प्रणाली नहीं थी जिससे मांग निर्धारण गलत हुआ।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि मांग निर्धारण हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा उपकरण वास्तविक मांग/ आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

3.6.3.13 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग की गई मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद न करना

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने चार⁴⁸ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 42 मदों की मांग (जनवरी-फरवरी 2018) के बावजूद खरीद प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की बजाय मार्च 2018 में ₹ 56.16 लाख (आवंटित कुल निधि ₹ एक करोड़ में से) बजट का अभ्यर्पण किया। इसी तरह, 2016-17 के दौरान 96 मदों की मांग हेतु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा ने खरीद प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया तथा इसके बजाय मार्च 2017 में ₹ 30.10 लाख (आवंटित कुल निधि ₹ एक करोड़ में से) बजट का अभ्यर्पण कर दिया।

अतः मण्डी एवं कांगड़ा में क्षेत्रीय इकाइयों से मांग के बावजूद मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर बजट खर्च करने के बजाय बजट से ₹ 86.26 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

⁴⁸ खण्ड चिकित्सा अधिकारी कटौला तथा सिविल चिकित्सालय सुन्दरनगर, कोटली तथा गोहर।

वित्तीय वर्ष के अंत में बजट के अभ्यर्पण के लिए अनुमोदित स्रोतों की अनुपलब्धता तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं करने के कारण था क्योंकि राज्य उपार्जन प्रकोष्ठ कार्यशील नहीं हो पाया।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि कुछ उपकरणों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शुरू किया गया था तथापि, नई क्रय नीति की शुरुआत (मार्च 2017) के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था।

3.6.3.14 आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अनुपलब्धता

क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध मशीनरी एवं उपकरणों की स्थिति के सम्बंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवधिक रिपोर्टिंग की किसी प्रणाली के अभाव के कारण आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अनुपलब्धता के दृष्टांत ध्यान में आए।

78 नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि मार्च 2018 तक 22 क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण (भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक के संदर्भ में) उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि निम्न तालिका-3.6.2 में वर्णित है, परिणामस्वरूप रोगियों को सम्बद्ध सेवाओं/ सुविधाओं की कमी हुई।

तालिका-3.6.2: नमूना-जांचित इकाइयों में भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकानुसार आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण की अनुपलब्धता का विवरण

क्रमांक	मशीनरी/ उपकरण	संस्था का स्तर	संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं के नाम
1.	अल्ट्रासोनोग्राफी	सिविल चिकित्सालय	2	डलहौजी तथा किहाड़
2.	हिस्टीरियोस्कोप	क्षेत्रीय चिकित्सालय	1	कुल्लू
3.	कोल्पोस्कोप	क्षेत्रीय चिकित्सालय	1	कुल्लू
4.	सक्शन उपकरण	सिविल चिकित्सालय	1	मनाली
5.	ऑपरेशन थिएटर टेबल	सिविल चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5	मनाली (सिविल चिकित्सालय); डियूर, सुण्डला, हुनेरा तथा मोतला (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)
6.	लेबर टेबल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	डियूर, हुनेरा, मोतला तथा डरोह
7.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	ननोंवां, गोखडा, चौक तथा धारांडा
8.	ग्लूकोमीटर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उप-केन्द्र	6	गोखडा, चौक तथा धारांडा (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र); सैन-अलाथू, साइगलू तथा घुमानु (स्वास्थ्य उप-केन्द्र)
9.	ऑटोक्लेव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2	चौक तथा धारांडा
10.	म्यूकस सकर	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	3	परोर, घनेटा तथा सलोह
11.	स्टेथोस्कोप	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	1	शमशी
12.	भार-तोलन मशीन	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	4	परोर, घनेटा, साइगलू तथा घुमानु
13.	रक्तचाप उपकरण	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	2	साइगलू तथा घुमानु
14.	हिमोग्लोबिन जांच किट	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	5	तांदी, सैन-अलाथू, साइगलू, घुमानु तथा कपाही

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि उपकरण वास्तविक आवश्यकता तथा जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रदान किए थे। तथापि, उपकरण भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए थे।

3.6.3.15 बेकार मशीनरी एवं उपकरण

नमूना-जांचित क्षेत्रीय इकाइयों (परिशिष्ट-3.4) में बेकार/ निष्क्रिय/ अनुपयोगी मशीनरी एवं उपकरण के निम्नवत् दृष्टांत लेखापरीक्षा में पाए गए:

(i) नमूना-जांचित जिलों में ₹ 2.61 करोड़ की लागत के 24 मशीनरी एवं उपकरण जन-शक्ति के अभाव के कारण बेकार पड़े थे। इसमें ₹ 78.35 लाख मूल्य की नौ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनें (चार जिलों में 30 में से) एक से तीन वर्षों तक रेडियोलजिस्ट की तैनाती न करने के कारण बेकार पड़ी थी; ₹ 27.03 लाख मूल्य की 12 एक्स-रे मशीनें (चार जिलों में 70 में से) रेडियोग्राफर की तैनाती न होने के कारण एक से आठ वर्षों तक बेकार थी; सिविल चिकित्सालय, जयसिंहपुर में हाईकेयर इन्क्यूबेटर (₹ 1.41 करोड़) एवं वाटरबाथ (₹ 14.09 लाख); तथा सिविल चिकित्सालय, थुरल में फोटोथेरेपी उपकरण (₹ 0.53 लाख) तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण दो से तीन वर्षों तक बेकार पड़े थे।

(ii) नमूना-जांचित जिलों में ₹ 1.12 करोड़ मूल्य के 11 मशीनरी एवं उपकरण मई 2018 तक चार से 48 महीने की अवधि के मध्य खराब होने के कारण निष्क्रिय पड़े थे। इसमें अंचल चिकित्सालय धर्मशाला तथा क्षेत्रीय चिकित्सालय, चम्बा की दो सी0टी0 स्कैन मशीनें शामिल थीं जिसके संदर्भ में यह पाया गया कि रख-रखाव अनुबंध का नवीकरण नहीं किया गया था तथा सी0टी0 स्कैन सेवाओं को आऊटसोर्स किया गया था। सिविल चिकित्सालय, संधोल स्थित ऑटोमेटिड हीमोटोलॉजी एनालाईजर के मामले में यह देखा गया कि आपूर्ति दोषपूर्ण थी परंतु मद को बदला नहीं गया था। आगे यह भी पाया गया कि सम्बंधित स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इन 11 खराब मदों की मरम्मत अथवा बदलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मदों के कार्य न करने के फलस्वरूप रोगी अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहे।

(iii) अभिलेखों की छानबीन से देखा गया कि ₹ 19.01 लाख लागत की मशीनरी एवं उपकरणों की सात मदें⁴⁹ (कुल मात्रा: 53) मार्च 2018 तक इनके खरीदे जाने के आठ महीने तथा तीन वर्षों के मध्य की अवधि से नमूना जांचित तीन जिलों की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के स्टोर/ वार्ड में अप्रयुक्त पड़ी थीं जोकि इन मदों की आवश्यकता न होने का परिचायक था। इन मदों के अप्रचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, जिससे ₹ 19.01 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(iv) लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगथ (कांगड़ा जिला) में स्थापित (अगस्त-दिसम्बर 2014) न्यू बॉर्न सिक केयर तथा न्यू बॉर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट, स्टाफ की तैनाती न करने के कारण अक्रियाशील थे जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2018 तक स्थापन की तिथि से तीन वर्षों से अधिक तक ₹ 4.82 लाख के मशीनरी एवं उपकरण अप्रयुक्त/ बेकार रहे।

(v) नमूना जांचित चार जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मार्च 2018 तक तकनीशियनों की तैनाती न होने के कारण, 181 प्रयोगशालाओं में से 86⁵⁰ प्रयोगशालाएं (48 प्रतिशत) अक्रियाशील थीं। राज्य में संस्वीकृत संख्या 884 के प्रति केवल 263 (30 प्रतिशत) प्रयोगशाला तकनीशियन कार्यरत थे। प्रयोगशाला तकनीशियन का पद 46 प्रयोगशालाओं में तीन वर्षों से अधिक, चार प्रयोगशालाओं में दो वर्षों से अधिक तथा 36 प्रयोगशालाओं में एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त था। राज्य सरकार दैनिक आधार पर नजदीक के स्वास्थ्य संस्थानों से प्रयोगशाला तकनीशियन की तैनाती पर विचार कर सकती है।

⁴⁹ एक्स-रे: एक, चलायमान एक्स-रे: एक, एक्स-रे यूनिट दंत: एक, ऑक्सीजन कनसट्रैटर: पांच, लेबर टेबल: एक, ड्रैसिंग ट्रॉली: 28 तथा स्ट्रेचर ट्रॉली: 16

⁵⁰ चम्बा: 25; कांगड़ा: 24; कुल्लू: चार तथा मण्डी: 33

(vi) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009, में निर्धारित है कि अनुपयोगी मर्दों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी जिला में 1965-2016 के दौरान खरीदी गई ₹ 2.88 करोड़ की अनुपयोगी मशीनरी एवं उपकरण निपटान किए बिना तीन महीने से 13 वर्षों तक पड़े थे। सम्बन्धित प्राधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (अप्रैल-मई 2018) कि इन मर्दों के निपटान हेतु प्रयास किए जाएंगे।

अतः ₹ 3.97 करोड़ लागत के मशीनरी एवं उपकरण आवश्यकता न होने तथा/ अथवा तकनीकी स्टाफ की तैनाती न करने के कारण खराब अथवा अप्रयुक्त पड़े थे। प्रयोगशालाओं में तकनीकी स्टाफ की कमी के परिणामस्वरूप 48 प्रतिशत प्रयोगशालाएं अक्रियाशील रहीं।

क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों ने बताया कि ये उपकरण या तो बिना मांग के प्राप्त हुए या जनशक्ति की अनुपलब्धता/ संस्वीकृत पदों/ प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण उपकरण प्रतिस्थापन से बेकार पड़े थे।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 2019) कि प्रयोगशाला तकनीशियनों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी तथा निःशुल्क निदान पहल योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग/ सरकार ऐसे सभी मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है।

निष्कर्ष

नमूना जांच के दौरान औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद की प्रणाली में निम्नवत् कमियां देखी गईं:

- मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मांग निर्धारण तथा समेकन की प्रणाली न तो सही थी और न ही समयबद्ध; तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को औषधियों एवं उपभोज्यों को जारी होने की प्रणाली मांग/ इन्डेंट के अनुसार नहीं थी; जिसमें औषधियों एवं उपभोज्यों के उपार्जन न करने, उपलब्ध न होने, कम जारी करने, जारी न करने, अधिक जारी करने, उपयोग न करने तथा औषधियों एवं उपभोज्यों के उपयोग की समाप्ति की ओर अग्रेषित करती है।
- आवश्यक औषधियों एवं उपभोज्यों की आपूर्ति हेतु दर संविदा को अंतिम रूप न देने के परिणामस्वरूप मर्दों की खरीद में विलम्ब तथा खरीद नहीं हुई
- विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त औषधियों की मात्रा तथा जारी की गई मात्रा में बहुत विसंगतियां थी जो या तो चोरी या घटिया स्टॉक प्रबंधन को दर्शाती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली व्यावहारिक रूप से विद्यमान नहीं थी क्योंकि आपूर्ति के समय औषधियों के नमूने नहीं लिए जा रहे थे, तथा औषधियां बिना जांच अथवा जांच रिपोर्टों का इंतजार किए बिना जारी की जा रही थीं जिसके परिणामस्वरूप घटिया स्तर की औषधियों का वितरण हुआ।
- मशीनरी एवं उपकरणों के सम्बंध में मांग निर्धारण प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद नहीं की गई तथा उपलब्ध नहीं करवाई गई।
- क्षेत्रीय इकाइयों में मशीनरी एवं उपकरणों के सम्बंध में कोई रिपोर्टिंग तंत्र नहीं था जिसके परिणामस्वरूप बिना आवश्यकता के खरीद करने, खराब रहने तथा तकनीकी जनशक्ति में कमी के कारण अधिकतर संख्या में मर्दें निष्क्रिय/ अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

सिफारिश: विभाग औषधियों एवं उपभोज्यों की अनुपलब्धता, अप्रयुक्त तथा उपयोग तिथि की समाप्ति से बचने के लिए मांग का सुव्यवस्थित निर्धारण सुनिश्चित करे तथा गुणवत्तापूर्ण औषधियों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे। इसी प्रकार, मदों की अनुपलब्धता या अप्रयुक्त के दृष्टान्तों से बचने के लिए मशीनरी एवं उपकरणों के संदर्भ में एक रिपोर्टिंग तंत्र तैयार किया जाये तथा उनकी सर्वोत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जा सकती है।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2019) कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का उत्तर संतोषजनक था तथा सम्बंधित संस्थानों और प्राधिकारियों से आगामी समेकन हेतु सूचना मांगी गई थी।

उद्योग विभाग

3.7 निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान

एजेंसी शुल्क के भुगतान को स्वीकृत दरों पर प्रतिबंधित न करने में विभाग की विफलता के कारण 2015-18 के दौरान ₹ 89.37 करोड़ के कुल निक्षेप कार्यों पर निगम को ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से जमा के आधार पर विभिन्न निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है। निगम निक्षेप कार्यों पर किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के आधार पर एजेंसी शुल्क का उदग्रहण करता है। विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गए निक्षेप कार्यों के सम्बंध में निगम प्राक्कलन⁵¹ तैयार करता है तथा निधियों के आवंटन तथा आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यय संस्वीकृति हेतु सम्बंधित विभाग को भेजता है। एजेंसी शुल्क सहित धन राशि विभागों द्वारा किश्तों में जारी की जाती है तथा आगामी किश्तें पिछली किश्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बंध में निक्षेप कार्यों के निष्पादन के लिए विभागीय शुल्क की दर में कमी (जनवरी 2012) कर नौ प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप, निगम के निदेशक मण्डल (निदेशक, उद्योग विभाग सहित) ने (29 मार्च 2013 को 239वीं बैठक) विद्यमान एजेंसी शुल्कों की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2018) कि 2015-18 के दौरान (दिसम्बर 2017 तक) की अवधि में निगम द्वारा उद्योग विभाग के लिए ₹ 99.54 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्य किए गए जिसमें एजेंसी शुल्क के ₹ 10.17 करोड़ शामिल थे। निगम ने नौ प्रतिशत की लागू दर के प्रति 10.24 और 12.50 प्रतिशत के मध्य विभिन्न दरों पर कुल ₹ 10.17 करोड़ का एजेंसी शुल्क वसूल किया। यह देखा गया कि उद्योग विभाग के उप-निदेशक प्राक्कलनों, जिनमें 10.24 और 12.50 प्रतिशत के मध्य एजेंसी शुल्क शामिल था की संस्वीकृति देते समय इसका ध्यान रखने में विफल रहे, तथा साथ ही उपयोगिता प्रमाणपत्रों को स्वीकार करते समय व्यय के विवरण के लिए भी आग्रह नहीं किया। कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विभाग ने निगम द्वारा प्रस्तुत व्यय का कोई भी शीर्षवार विवरण प्राप्त किए बिना कुल व्यय को उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार किया।

2015-18 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 89.37 करोड़ की लागत के कुल कार्यों का निष्पादन करने पर नौ प्रतिशत की अनुमोदित दर पर देय एजेंसी शुल्क ₹ 8.04 करोड़ बनता है जबकि वास्तव में भुगतान ₹ 10.17 करोड़ का किया गया। इसके परिणामस्वरूप निगम को एजेंसी शुल्क के ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान कमजोर नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

⁵¹ प्राक्कलनों में निगम द्वारा लगाए गए एजेंसी शुल्क शामिल हैं।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि निगम के साथ अधिक भुगतानों की वापसी के सम्बंध में मामला उठाया गया था। निदेशक, उद्योग ने बताया (सितम्बर 2019) कि अधिक अदायगी की वसूली निगम को जारी की जाने वाली देय अदायगी में से की जाएगी। तथापि, सितम्बर 2019 तक इस सम्बंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

अतः विभाग की अनुमोदित दरों से एजेंसी शुल्कों के भुगतान को प्रतिबंधित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ग्राहक विभागों के साथ-साथ निष्पादन अभिकरणों को अतिरिक्त एजेंसी शुल्क की वसूली हेतु तथा इसी तरह के मामलों की समीक्षा करने के अनुदेश जारी कर सकती है।

3.8 बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण हानि

बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए कम्पनी के खिलाफ समय पर कार्रवाई शुरू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 0.42 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

राज्य सरकार तथा मैसर्स इंडिया सीमेंट लिमिटेड (कम्पनी) के मध्य चौपाल (जिला शिमला) में सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (मई 2006) सम्पादित किया गया था। समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार, कम्पनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल के भीतर संयंत्र को चालू करने के लिए निर्धारित विभिन्न माईल स्टोन⁵² प्राप्त करने थे। कम्पनी को राज्य सरकार के पक्ष में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से 45 दिनों के भीतर सावधि जमा रसीद/ अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में ₹ 2.00 करोड़ जमा करने अपेक्षित थे। समझौता ज्ञापन के परिचालन के दौरान कम्पनी द्वारा प्रत्याभूति को वैध रखा जाना था और समझौता ज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के उल्लंघन के मामले में यह प्रत्याभूति राशि ब्याज सहित जब्त की जानी थी। विफलता के मामले में राज्य सरकार के हितों की रक्षा के लिए बैंक गारंटी को इसकी वैधता के अंतिम दिन भुनाया जाना था।

राज्य भू-विज्ञानी, उद्योग विभाग के अभिलेखों की छानबीन (मई 2018) से पता चला है कि कम्पनी ने (जून 2006) राज्य सरकार के पक्ष में 30 मई 2006 को जारी बैंक गारंटी के रूप में ₹ 2.00 करोड़ की प्रत्याभूति जारी की थी। बैंक गारंटी को बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया तथा 09 मार्च 2009 को जारी बैंक गारंटी 31 मार्च 2012 तक वैध थी। तथापि समझौता ज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन में अनुश्रवण/ अंतर अनुशासनात्मक समिति⁵³ ने निर्णय लिया (24 फरवरी 2012) कि कम्पनी बैंक गारंटी के बदले निदेशक उद्योग के पक्ष में ₹ 2.00 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान करेगी। यह निर्णय निदेशक, उद्योग द्वारा बैंक गारंटी की समाप्ति के बाद कम्पनी को 07 अप्रैल 2012 को सूचित किया गया था।

कम्पनी ने विभाग को सूचित (19 अप्रैल 2012) किया कि समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्याभूति राशि केवल सावधि जमा रसीद/ अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में अपेक्षित थी। तथापि कम्पनी ने 31 मार्च 2012 के बाद बैंक गारंटी को पुनर्वैध नहीं किया। विभाग वैधता अवधि के अंतिम दिन बैंक गारंटी को भुनाने में विफल रहा तथा उसने कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। आगे छानबीन में देखा गया कि विभाग ने राज्य सरकार को लिखा

⁵² **एक वर्ष के भीतर:** स्थल का चयन, संयंत्र तथा खनन स्थल के राजस्व पत्रों की खरीद, राज्य स्तर की स्थल मूल्यांकन समिति से स्थल की मंजूरी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा खनन योजना तैयार करना। **तीन साल के भीतर:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारत सरकार से मंजूरी, वन मंजूरी, निजी भूमि का अधिग्रहण तथा भारत सरकार से खनन योजना की मंजूरी। **पांच साल के भीतर:** परियोजना का भौतिक कार्यान्वयन।

⁵³ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमोदन तथा मंजूरी की स्थिति की समीक्षा करने और मंजूरी तथा कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कार्यवाही करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति।

(26 दिसम्बर 2012) कि समझौता ज्ञापन की वैधता को बढ़ाने के सम्बंध में निर्णय कम्पनी द्वारा ₹ 2.00 करोड़ की प्रत्याभूति राशि जमा करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार ने बैंक गारंटी को कम्पनी से पुनर्वैध किए बिना समझौता ज्ञापन के संचालन को 31 मई 2014 तक बढ़ा दिया (मार्च 2014)। इसी बीच, कम्पनी द्वारा स्थान का चयन, राजस्व पत्रों की खरीद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, विद्युत लाइनों और सड़क का सर्वेक्षण, पर्यावरण अध्ययन और खनिज पूर्वक्षेपण से सम्बंधित कार्य मई 2015 तक किए गए थे। तथापि, कम्पनी अन्य माईल स्टोन अर्थात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारत सरकार से मंजूरी, वन अनुमति, निजी भूमि का अधिग्रहण और भारत सरकार से खनन योजना की अनुमति हासिल करने में असफल रही। परिणामतः, समझौता ज्ञापन की तिथि से पांच साल के भीतर संयंत्र को स्थापित नहीं किया जा सका जैसा कि परिकल्पित था।

तथापि, प्रत्याभूति की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार मार्च 2012 के बाद समझौता ज्ञापन की सेवा-शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी कम्पनी से ₹ 2.00 करोड़ तथा ब्याज के ₹ 42.00 लाख⁵⁴ (अप्रैल 2012 से मार्च 2018) जब्त करने में विफल रही। अंततः अंतर अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों (अगस्त 2015) पर, राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए मई 2006 में किए गए समझौता ज्ञापन को रद्द (मई 2017) कर दिया तथा कम्पनी द्वारा सड़क को चौड़ा एवं मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास जमा ₹ 1.67 करोड़ की राशि को जब्त करने का निर्णय लिया। आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने दिसम्बर 2018 तक अभिप्रेत उद्देश्य के लिए राशि का पहले ही उपयोग कर लिया था।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि जमा राशि को जब्त करने के मामले को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के साथ उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग बैंक गारंटी की समाप्ति से पूर्व नवीनीकरण के लिए समय पर कार्रवाई करने अथवा वैधता के अंतिम दिन इसका नकदीकरण करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 1.67 करोड़ जब्त करने का अवसर भी खो दिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने पहले ही इस राशि का उपयोग कर लिया था। तथापि, इस सम्बंध में सितम्बर 2019 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, बैंक गारंटी का नवीनीकरण न होने के कारण समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिये पर कम्पनी के खिलाफ समय पर कार्रवाई शुरू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 0.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सरकार विभाग के परस्पर विरोधी निर्णय के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है तथा राज्य सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा की दृष्टि से समय पर नवीनीकरण या प्रत्याभूति जमा के नकदीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

3.9 वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजना पर व्यर्थ निवेश

ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय तक परियोजना पूर्ण नहीं होने से लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 17.48 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोगों के लिए परिवर्तन हेतु विभाग को वन मंजूरी पूर्व में सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

⁵⁴ बचत बैंक दर 3.5 प्रतिशत पर गणना की गई।

ऊना जिले के आठ⁵⁵ गांवों की 570 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 19.33 करोड़ में नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत (जून 2010), परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने ₹ 19.10 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की। तथापि, विभाग ने इस परियोजना को नाबार्ड से वापिस ले लिया तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लिए ₹ 15.61 करोड़ अनुमोदित (फरवरी 2011) किए। परियोजना के अंतर्गत टकोली खड्ड (वर्षा जल संचयन संरचना-I एवं II) तथा समूर खड्ड (वर्षा जल संचयन संरचना-III) में तीन वर्षा जल संचयन संरचनाओं/बांधों का निर्माण किया जाना था जहां से उठाऊ सिंचाई योजनाओं⁵⁶ के माध्यम से पानी प्राप्त करना था।

ऊना मण्डल-II के अभिलेखों (मार्च 2018) की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि वर्षा जल से संचयन संरचना-I, II एवं III निर्माण का कार्य एक ठेकेदार यानि नेशनल इंडिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पठानकोट को ₹ 9.56 करोड़ की निविदा लागत में मई 2013 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा (अक्टूबर 2011) गया था। पम्प हाऊसों का निर्माण, उपलब्ध करवाना, बिछाना, जोड़ना तथा राइजिंग मेन की जांच करना, पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति एवं स्थापना, इत्यादि से सम्बंधित कार्य दो ठेकेदारों को सितम्बर एवं अक्टूबर 2013 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 6.35 करोड़⁵⁷ में सौंपा (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) गया था। तथापि, कार्यों को उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करके पूर्व वन मंजूरी के बिना ठेकेदारों को सौंपा गया था। राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली का कार्य वन भूमि में होने के कारण बंद (मार्च 2014) कर दिया गया था। विभाग ने गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि (5.2879 हेक्टेयर) के परिवर्तन हेतु भारत सरकार से स्वीकृति (दिसम्बर 2014) मांगी थी जो जनवरी 2019 तक प्राप्त नहीं हुई। वर्षा जल संचयन संरचना-I, II एवं III का निर्माण कम्पनी द्वारा जुलाई 2015 में पूर्ण कर लिया गया था तथा ठेकेदारों द्वारा मार्च 2014 तक लगभग 9,802 रनिंग मीटर (11,020 रनिंग मीटर में से) राइजिंग मेन को उपलब्ध करने एवं बिछाने का कार्य कर लिया गया था। वन मंजूरी न होने के कारण कार्य⁵⁸ की शेष मदें मार्च 2014 से बाधित पड़ी रही।

इसके अतिरिक्त, पम्प घरों के निर्माण, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने, आदि की संविदा में, ठेकेदारों को स्थल पर लाई गई सामग्री के लिए जारी (अक्टूबर 2012 और जुलाई 2013 के बीच) किए गए ₹ 2.65 करोड़ के सुरक्षित अग्रिम के प्रति, मार्च 2014 तक ₹ 1.49 करोड़ की सामग्री की खपत की थी। जनवरी 2019 तक ₹ 1.16 करोड़ मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही। जैसा कि निर्माण कार्य मार्च 2014 से अवरूद्ध था, ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी सामग्री का लम्बे समय से उपयोग नहीं होने से चोरी/दुरुपयोग/क्षति के जोखिम की संभावना थी।

इस बीच, जून 2018 तक मण्डल ने परियोजना पर ₹ 17.48 करोड़ (एआईबीपी: ₹ 15.61 करोड़ एवं नाबार्ड: ₹ 1.87 करोड़) का व्यय किया। परियोजना के भावी क्रियान्वयन के लिए विभाग ने परियोजना को नाबार्ड (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-XXI) के अंतर्गत संस्वीकृत (दिसम्बर 2015) करवाया तथा राज्य सरकार ने ₹ 36.23 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (दिसम्बर 2015) प्रदान की।

⁵⁵ बरोटा, बेसेनर, भलौन, भरमाड, चौकी मनियार चतेहर, नंदग्राम, रामनगर एवं टकौली।

⁵⁶ टकोली खड्ड से उठाऊ सिंचाई योजना (₹ 9.46 करोड़) तथा समूर खड्ड से उठाऊ सिंचाई योजना (₹ 6.15 करोड़) जिसके अंतर्गत खुले कुओं एवं तीन पम्प हाऊस का निर्माण, 11,020 रनिंग मीटर राइजिंग मेन बिछाना, छः डिलीवरी टैंकों का निर्माण, वितरण प्रणाली का बिछाना, पम्पिंग मशीनरी एवं डिस्ट्रीब्यूशन संरचना लगाना था।

⁵⁷ वर्षा जल संचालन संरचना-I एवं II के अंतर्गत संविदा: ₹ 3.65 करोड़ (अक्टूबर 2012) तथा वर्षा जल संचालन संरचना-III के अंतर्गत संविदा: ₹ 2.70 करोड़ (सितम्बर 2012)।

⁵⁸ राइजिंग मेन (1,218 रनिंग मीटर) तथा वितरण प्रणाली को उपलब्ध कराना एवं बिछाना, खुले कुओं एवं पम्प घरों का निर्माण (तीन) डिलीवरी टैंक (छः), वितरण संरचना एवं निकासी, पम्पिंग मशीनरी की स्थापना एवं विद्युत की आपूर्ति, इत्यादि।

अतः, ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी को प्राप्त करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने में विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय में परियोजना पूर्ण नहीं हो पायी। परिणामस्वरूप, सम्बंधित लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ और ₹ 17.48 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि वन मंजूरी से सम्बंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है तथा वन मंजूरी प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्य को पुनः आरम्भ (जनवरी 2019) कर दिया गया है। तथापि, विभाग ने पूर्व वन मंजूरी प्राप्त किए बिना ही परियोजना का क्रियान्वयन कर दिया। इसके अतिरिक्त, मण्डल से प्राप्त (अक्टूबर 2019) सूचना के अनुसार कार्य अभी तक रूका पड़ा था।

विभाग को सिंचाई स्कीमों के कार्य निष्पादन हेतु पूर्व वन मंजूरी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को समय पर अभिप्रेत सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके।

3.10 जलापूर्ति स्कीमों के आवर्धन पर निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना तथा पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने एवं निष्पादन में निर्धारित अनुक्रम का अनुसरण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप सात से नौ वर्षों से अधिक समय में दो जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण नहीं हुई जिससे सम्बंधित लाभार्थियों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल हुआ एवं ₹ 15.42 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के नियम पुस्तिका के परिच्छेद 3.1.1 के अनुसार जलापूर्ति परियोजना के लिए पूर्व निवेश योजना एवं उसकी आवश्यकता के साथ-साथ तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक रूप से व्यवहार्य होने का प्रावधान होना चाहिए। विभाग के प्रमुख अभियंता के अनुदेशों (मार्च 1995) के अनुसार, जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन करने के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन करना चाहिए (अर्थात् सर्वप्रथम पानी का स्रोत विकसित किया जाना चाहिए, निर्भर रहने योग्य पानी का पता लगाया जाना चाहिए तथा उसके बाद वितरण लाइनों को बिछाने सहित अन्य कार्यों को करने के लिए लिया जाना चाहिए)। इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार, वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए परिवर्तन हेतु विभाग को पूर्व वन मंजूरी सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

आनी (दिसम्बर 2017) एवं सुन्दरनगर (नवम्बर 2017) मण्डलों के अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

(क) सतलुज जल विद्युत निगम⁵⁹ के रामपुर जल विद्युत शक्ति परियोजना से प्रभावित सात ग्राम पंचायतों⁶⁰ के लगभग 10,789 व्यक्तियों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, उपायुक्त, कुल्लू ने स्थानीय क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष के तौर पर जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए ₹ 7.48 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2010)। नगेढ़ एवं मोचका खड्डों से पानी का दोहन करके योजना का निर्माण आनी मण्डल द्वारा किया जाना था। मुख्य अभियंता, मण्डी क्षेत्र ने योजना के लिए ₹ 7.94 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया (जून 2009)। विभाग ने ₹ 5.53 करोड़ परियोजना प्राधिकारी (जुलाई 2009: ₹ 3.00 करोड़ एवं मई 2010: ₹ 1.00 करोड़) तथा उपायुक्त, कुल्लू से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (फरवरी 2015 में ₹ 1.53 करोड़) से इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किए।

⁵⁹ भावा, बारी, गडेज, खुशवा, खारगा, पोषणा और तुनान।

⁶⁰ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

कार्य⁶¹ को फरवरी 2014 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 5.76 करोड़ में एक ठेकेदार को प्रदान (फरवरी 2012) किया। ठेकेदार ने फरवरी 2012 में कार्य प्रारंभ किया। तथापि, ठेकेदार ने नियत समयावधि के भीतर कार्य की प्रगति को प्राप्त नहीं किया तथा जून 2014 तक ₹ 4.55 करोड़ की लागत के कार्य⁶² का निष्पादन किया। शेष कार्य विभाग द्वारा कार्य स्थल को न सौंपने तथा कुछ स्थानों पर पाईप बिछाने के कार्य में स्थानीय निवासियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। योजना की अवधारणा एवं इसके क्रियान्वयन में निम्नलिखित मुख्य कमियां उजागर हुईं:

(i) उपर्युक्त विभागीय अनुदेशों (मार्च 1995) के उल्लंघन में, मण्डल ने योजना के निष्पादन के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन नहीं किया (अर्थात् स्रोत विकसित करना, निर्भर रहने योग्य पानी को सुनिश्चित करना, राइजिंग/ग्रेविटी मेन को बिछाना, वितरण प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी की खरीद, इत्यादि)। मण्डल ने राइजिंग/ग्रेविटी मेन को बिछाना, वितरण प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी की खरीद, इत्यादि के कार्य का संपादन किया जबकि जल शोधन संयंत्र, पम्प हाऊस तथा अन्य सम्बंधित संरचनाओं का निर्माण सितम्बर 2019 तक नहीं किया।

(ii) जैसा कि उपर्युक्त केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन नियमावली के प्रावधान में अपेक्षित है, विभाग ने जल शोधन संयंत्र के निर्माण एवं सम्बंधित संरचनाओं की व्यावहार्यता की जांच नहीं की थी। प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र स्थल लोक निर्माण विभाग की सड़क से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था तथा इसके रास्ते निजी भूमि से होकर जाते थे। विभाग ने न तो वहां पहुंचने के मार्ग के निर्माण को प्रस्ताव/ अनुमान में शामिल किया और न ही योजना के निष्पादन से पहले विवाद रहित भूमि सुनिश्चित की।

(iii) जहां पर जल शोधन संयंत्र एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाना था, वह वन भूमि थी। उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में, अधिशाषी अभियंता ने एक ठेकेदार को जल शोधन संयंत्र, पम्प हाऊस एवं अन्य सम्बंधित संरचना के निर्माण कार्य को बाधारहित भूमि सुनिश्चित किये बिना प्रदान (फरवरी 2012) किया। विभाग ने अक्टूबर 2014 में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए कार्रवाई शुरू की थी, जिसका अनुमोदन अगस्त 2018 में प्राप्त हुआ।

(ख) मण्डी जिले की 72 बस्तियों के 17,095 व्यक्तियों को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने 1983-99 के दौरान सुन्दरनगर मण्डल के अंतर्गत निर्मित 16 मौजूदा जलापूर्ति स्कीमों में जल वृद्धि करने के लिए एक जलापूर्ति योजना⁶³ हेतु ₹ 10.98 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की (जून 2009)। योजना के लिए पानी, स्रोत (सौल खड्ड) से 16.5 किलोमीटर दूर बरोटा में एक जगह

⁶¹ इंटेक चैम्बर (10), जल शोधन संयंत्र (0.84 मिलियन लीटर प्रतिदिन), डिलीवरी टैंक एवं-मेन स्टोरेज टैंक (एक), सेडिमेंटेशन टैंक (एक), फिल्टर बेड (एक), पम्प घर एवं कार्यालय भवन (एक), उप-भण्डारण टैंक (15), राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (200 मि0मी0 व्यास: 825 रनिंग मीटर), ग्रेविटी मेन और वितरण प्रणाली को बिछाना और जोड़ना (15 मि0मी0 से 150 मि0मी0 व्यास: 89,160 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (480 अश्व शक्ति: एक), हेड वेयर (दो), एम0एस0 क्लैम्पस (100), एंकर ब्लॉक/थ्रस्ट ब्लॉक पेडस्टल्स (128), पत्तरा कटिंग (3,403 घनमीटर), विद्युत आपूर्ति, निरीक्षण वाहन (एक), उपसाधन एवं विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वर्टिकल का निर्माण तथा पूर्ण होने के पश्चात् 60 महीनों के लिए संचालन एवं रख-रखाव।

⁶² डिलीवरी टैंक-एवं-मेन स्टोरेज टैंक (एक), उप-भण्डारण टैंक (11), राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (200 मि0मी0 व्यास: 600 रनिंग मीटर), ग्रेविटी मेन एवं वितरण प्रणाली को बिछाना एवं जोड़ना (15 मि0मी0 से 150 मि0मी0 व्यास: 79,580 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (480 अश्व शक्ति: एक), एंकर ब्लॉक/थ्रस्ट ब्लॉक पेडस्टल्स (55), पत्तरा कटिंग (607 घनमीटर), विद्युत आपूर्ति एवं निरीक्षण वाहन (एक)।

⁶³ कार्य का क्षेत्र: भूमि अर्जन, इंटेक चैम्बर, ग्रेविटी मेन (16,500 रनिंग मीटर), जल शोधन संयंत्र (1.57 मिलियन लीटर प्रतिदिन), मेन स्टोरेज टैंक-एवं सम्पवेल, राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 2,900 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 3,500 रनिंग मीटर), पम्प हाऊस (प्रथम एवं द्वितीय स्तर के लिए दो), पम्पिंग मशीनरी (स्तर-I: दो एवं स्तर-II: दो), उप भण्डारण टैंक (20), वितरण प्रणाली पाईप (96,342 रनिंग मीटर) तथा विद्युत आपूर्ति।

संग्रहित किया जाना था। स्कीम को चार वर्ष के नियत समय में पूर्ण करना था। कार्य अनुमानों के तकनीकी अनुमोदन (सितम्बर 2009 और नवम्बर 2011) में मुख्य अभियंता, मण्डी ने निर्धारित किया कि कार्य प्रारंभ होने से पहले सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के नाम पर भूमि का स्पष्ट हक सुनिश्चित होना चाहिए।

यह देखा गया कि स्कीम का निष्पादन मण्डल द्वारा दिसम्बर 2009 में शुरू किया तथा इंटेक चैम्बर, ग्रेविटी मेन, राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 2,030 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 3,325 रनिंग मीटर), पम्प हाऊस (द्वितीय स्तर के लिए एक), पम्पिंग मशीनरी (प्रथम स्तर: प्रत्येक 150 अश्व शक्ति के दो तथा द्वितीय स्तर: प्रत्येक 20 अश्व शक्ति के दो), उप-भण्डारण टैंक (20 टैंक) एवं वितरण प्रणाली पाईप (96,342 रनिंग मीटर) के कार्य का निष्पादन फरवरी 2018 तक किया।

तथापि, वन मंजूरी के अभाव में राइजिंग मेन (प्रथम स्तर: 870 रनिंग मीटर एवं द्वितीय स्तर: 175 रनिंग मीटर), जल शोधन संयंत्र, मेन स्टोरेज टैंक-कम-सम्पवेल तथा प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के लिए पम्प हाऊस का निष्पादन नहीं हो सका। उपर्युक्त वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में अधिशाषी अभियंता ने पूर्व वन मंजूरी के बिना कार्य शुरू कर दिया था। विभाग द्वारा नवम्बर 2010 में गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु अनुमोदन भारत सरकार से मांगा गया था तथा दिसम्बर 2013 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ परंतु अंतिम अनुमोदन जनवरी 2019 तक प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विभागीय अनुदेशों (मार्च 1995) के विपरीत, मण्डल योजना के निष्पादन में निर्धारित अनुक्रम का पालन करने में विफल रहा क्योंकि राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली, इत्यादि का निष्पादन जल शोधन संयंत्र, मेन स्टोरेज टैंक-कम-सम्पवेल एवं पम्प हाऊस के निर्माण से पहले किया गया। परिणामतः ₹ 10.76 करोड़ का व्यय करने के पश्चात, स्कीम अपनी पूर्णता की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष से भी अधिक समय जनवरी 2019 तक अपूर्ण रही।

प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के लिए जल शोधन संयंत्र एवं पम्प हाऊस का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ में प्रदान किया (सितम्बर 2011) गया जो एक वर्ष में पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने विभाग द्वारा कार्य स्थल को देरी से सौंपने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया। ठेकेदार ने कार्य स्थल सौंपने (अप्रैल 2014) के बाद भी कार्य की गति नहीं लाई। मार्च 2015 तक लगभग ₹ 25.00 लाख की लागत का कार्य निष्पादन करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा कठोर चर्चान युक्त मृदा के वर्गीकरण की समीक्षा कर खुदाई की लागत का पुनः मूल्यांकन करने तथा श्रम एवं सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण मूल्य वृद्धि की दलील के साथ शेष कार्य करने से इंकार (अप्रैल 2015) कर दिया। विभाग इस तर्क से सहमत नहीं हुआ क्योंकि बोली प्रस्तुत करते समय इन मदों पर पहले ही विचार किया जा चुका था। इसके बजाय, संविदा के खण्ड 64 के अंतर्गत ठेकेदार पर कार्य में विलम्ब के लिए ₹ 16.92 लाख (संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) की क्षतिपूर्ति लगाई गई (मार्च 2017)। ठेकेदार ने कार्य को पुनः प्रारंभ नहीं किया और अंततः, विभाग ने संविदा के खण्ड 68.3 (i) ग के अंतर्गत संविदा को रद्द कर दिया (अप्रैल 2017)। सम्पवेल-कम-मेन स्टोरेज टैंक सहित कार्य को ₹ 1.48 करोड़ में अन्य ठेकेदार को पुनः सौंपा गया (जून 2018) जो सितम्बर 2019 तक पूर्ण नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त, ₹ 50.13 लाख की लागत पर मण्डल द्वारा उपाजित मशीनरी (आनी: जुलाई 2012 में ₹ 36.48 लाख तथा सुन्दरनगर: मार्च 2011 तथा मार्च 2012 में ₹ 13.65 लाख) फालतू पड़ी रही क्योंकि इस मशीनरी को सितम्बर 2019 तक जल शोधन संयंत्र तथा पम्प हाऊस का निर्माण न करने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि वन भूमि होने तथा लोगों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि, विभाग पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने एवं निर्धारित अनुक्रम का पालन करने में विफल रहा। सात से नौ वर्ष से भी अधिक समय में योजना पूर्ण नहीं होने के कारण लोगों को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल रहा तथा ₹ 15.42 करोड़ (आनी: ₹ 4.66 करोड़ तथा सुन्दरनगर: ₹ 10.76 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि सितम्बर 2019 तक स्कीमों को चालू नहीं किया गया था।

विभाग को व्यवहार्यता एवं बाधारहित भूमि की सभी जांच सूचियों का अनुपालन करना चाहिए तथा स्रोत से वितरण के लिए जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित अनुक्रम का पालन करना चाहिए ताकि समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

3.11 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम के आवर्धन पर निष्फल व्यय एवं हानि

दोषपूर्ण आयोजना एवं उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के सुरक्षित संरक्षण अभिकल्प करने में विभाग की विफलता के कारण अचानक आई बाढ़ में बूस्टर और प्रथम स्तर की राइजिंग मेन के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन की नियमावली के परिच्छेद 3.1.1 में पूर्व निवेश आयोजना तथा जलापूर्ति परियोजना की तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक, आदि व्यवहार्यता को व्यवस्थित करने का प्रावधान है। मण्डी जिले के 15,142 व्यक्तियों को पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बिड पट्टा समोह उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन हेतु ₹ 14.26 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान (मार्च 2011) की। इस उद्देश्य के लिए राइजिंग मेन के विभिन्न स्तरों⁶⁴ द्वारा कांडापत्तन स्थित व्यास नदी से पानी का दोहन किया जाना था। मुख्य अभियंता (हमीरपुर क्षेत्र) ने योजना के लिए ₹ 10.93 करोड़ के तकनीकी अनुमोदन की स्वीकृति (सितम्बर 2011) दी।

सरकाघाट मण्डल के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017) से उद्घाटित हुआ कि कार्य⁶⁵ एक ठेकेदार को ₹ 9.59 करोड़ में प्रदान किया (मार्च 2012) गया जिसे अप्रैल 2014 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने मार्च 2012 में कार्य प्रारंभ कर दिया एवं द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन को उपलब्ध करवाने एवं बिछाने सहित ₹ 9.61 करोड़ मूल्य के कार्य⁶⁶ को पूर्ण किया (मार्च 2017)। द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन को मार्च 2017 में कमीशन कर दिया गया। हालांकि सितम्बर 2019 तक बूस्टर व प्रथम स्तर का राइजिंग मेन निम्न कमियों के कारण पूर्ण तथा शुरू नहीं किया जा सका।

⁶⁴ बूस्टर स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर।

⁶⁵ स्थल विकास, परकोलेशन वेल का निर्माण (दो), पम्प हाऊस (तीन), सम्पवेल (दो), सम्पवेल-एवं-मेन स्टोरेज टैंक (दो), सोन खड्ड से पानी के अतिरिक्त स्रोत के रूप में द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राइजिंग मेन के लिए एक वर्ष में सात से आठ माह के लिए इनफिल्ट्रेशन गैलरी, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना तथा बिछाना (बूस्टर स्तर: 50 रनिंग मीटर, प्रथम स्तर: 10,620 रनिंग मीटर, द्वितीय स्तर: 7,535 रनिंग मीटर एवं तृतीय स्तर: 4,515 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली/ग्रेविटी मेन (218 किलोमीटर) तथा पम्पिंग मशीनरी की खरीद एवं संस्थापन (बूस्टर स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर तथा तृतीय स्तर)।

⁶⁶ परकोलेशन वेल का निर्माण (एक), पम्प हाऊस, सम्पवेल-एवं-मेन स्टोरेज टैंक, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, राइजिंग मेन को उपलब्ध कराना एवं बिछाना (बूस्टर स्तर: 48.15 रनिंग मीटर, प्रथम स्तर: 11,373.28 रनिंग मीटर, द्वितीय स्तर: 7,535 रनिंग मीटर और तृतीय स्तर: 4,515 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली/ग्रेविटी मेन (218 किलोमीटर) तथा पम्पिंग मशीनरी की खरीद एवं संस्थापन।

इस तथ्य के बावजूद कि सोन खड्ड⁶⁷ बरसात के मौसम में जलमगन रहती है जिससे दोनों तटों के खेती योग्य भूमि में कटाव होता है। विभाग ने खड्ड के साथ-साथ बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन को बिछाने की योजना बनाई तथा आरेखण तैयार किया। इसके अतिरिक्त, भारी बारिश, तीव्र धारा के साथ अचानक पानी आने के कारण खड्ड/छोटी नदी के बीच स्थापित/निर्मित कोई संरचना क्षतिग्रस्त हो सकती है। योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य अभियंता (हमीरपुर जोन) द्वारा इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः, खड्ड के साथ निर्मित ₹ 2.05 करोड़ लागत के बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के 11,421.43 रनिंग मीटर में से ₹ 0.60 करोड़ लागत के 3,180 रनिंग मीटर राइजिंग मेन अगस्त 2015 में अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। स्पष्टतया, उपर्युक्त केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के प्रावधान के उल्लंघन में, योजना की अवधारणा करते समय खड्ड के साथ राइजिंग मेन को बिछाने की तकनीकी व्यवहार्यता को जांचने में विभाग विफल रहा। विभाग ने सड़कों के साथ या खड्ड से दूर जहां बाढ़ की संभावना न हो, सुरक्षित एवं स्थाई संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि योजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे थे। यद्यपि, क्षतिग्रस्त कार्य को पुनः बहाल नहीं किया गया था तथा सितम्बर 2019 तक राइजिंग मेन को पूर्ण/कमीशन नहीं किया गया था जो सम्बंधित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पर्याप्त पेयलज उपलब्ध कराने के उद्देश्य को विफल कर रहा।

अतः, योजना के बूस्टर एवं प्रथम स्तर के राइजिंग मेन के सुरक्षित एवं स्थाई संरक्षण के लिए दोषपूर्ण योजना एवं विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सरकार को प्राक्कलनों की तैयारी एवं तकनीकी स्वीकृति से पहले जलापूर्ति स्कीमों के राइजिंग मेन को बिछाने की व्यवहार्यता की जांच के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.12 अक्रियाशील उठाऊ सिंचाई स्कीम पर अनुत्पादक व्यय

एक उठाऊ सिंचाई स्कीम को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा जल स्रोत की स्थिरता के सर्वेक्षण के साक्ष्य या स्कीम की व्यवहार्यता के बिना निष्पादित किया गया। अल्प कृषि योग्य क्षेत्र का उपयोग किया गया तथा स्रोत पर जल की अनुपलब्धता के कारण स्कीम प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर अक्रियाशील हो गई। विभाग स्कीम के पुनरूद्धार के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहा जिससे पिछले छः वर्षों से स्कीम पर ₹ 1.80 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा। स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 2.78 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी जिसके कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

विभाग द्वारा अपनाए गये पंजाब लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सिंचाई परियोजना/स्कीम की अवधारणा व्यापक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के साथ करनी चाहिए तथा कोई स्कीम निष्पादन के लिए तब तक हाथ में नहीं लेनी चाहिए जब तक कि विस्तृत अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत न हो जाये ताकि स्कीम की सटीकता एवं व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

⁶⁷ नीची जगह/खाई जो मिट्टी के बार-बार कटने से बनती है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल, देहरा, कांगड़ा जिला के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2016) से उद्घाटित हुआ कि कुठार और त्रिपाल गांवों (त्रिपाल पंचायत के अंतर्गत) में एक उठाऊ सिंचाई स्कीम मई 2012 से अक्रियाशील पड़ी हुई थी। अभिलेखों में उपलब्ध सूचना से पता चला कि स्कीम, जून 1999 में 140.08 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से ₹ 1.10 करोड़ में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित हुई थी। स्कीम के लिए वित्त की व्यवस्था⁶⁸ नवम्बर 2002 में की गई तथा स्कीम को नवम्बर 2006 तक पूर्ण किया जाना नियत था, जो ₹ 1.42 करोड़ की लागत में अप्रैल 2010 में पूर्ण⁶⁹ एवं कमीशन हुई। यह पाया गया कि 140.08 हेक्टेयर सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के प्रति, अल्प कृष्य नहरी क्षेत्र का उपयोग⁷⁰ हुआ (2010-11 के दौरान मात्र छः से 11 प्रतिशत और 2011-12 के दौरान एक प्रतिशत से कम) तथा स्कीम मई 2012 के बाद निष्क्रिय हो गई। मण्डल/विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, यह कि बनेर खड्ड⁷¹ के साथ खड्ड के प्रवाह/ धारा में परिवर्तन से स्रोत पर पानी की अनुपलब्धता के कारण थी। इस स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए 2016-17 में प्रस्ताव नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विधायकों की प्राथमिकता में शामिल किया गया। जनवरी 2019 में ₹ 2.78 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन तथा वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किया गया था।

अभिलेखों के विश्लेषण तथा मण्डल/विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से निम्नवत् देखा गया:

- i. मूल स्कीम के मामले में, विभाग ने निधियां प्राप्त करने में तीन वर्ष (1999 से नवम्बर 2002 तक) से अधिक समय लिया, तथा स्कीम को 40 महीने के विलम्ब (दिसम्बर 2006 से मार्च 2010 तक) के बाद पूर्ण किया तथा ₹ 0.32 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना स्कीम को निष्पादित किया। बनेर खड्ड के साथ जल स्रोत की स्थिरता एवं स्कीम की व्यवहार्यता से सम्बंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अथवा सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (जून 1999) में किसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संदर्भ नहीं था।

तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न करना, मण्डल के पास कोई सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रतिवेदन उपलब्ध न होना तथा नहरी कृष्य क्षेत्र की बहुत कम प्रतिशतता का उपयोग होना, जबकि स्कीम क्रियाशील थी, इस संभावना को बढ़ाता है कि मण्डल/विभाग ने स्कीम की व्यवहार्यता या जल स्रोत की स्थिरता का निर्धारण स्कीम निष्पादन से पहले नहीं किया।

- ii. स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए विभाग ने तत्काल कार्रवाई नहीं की क्योंकि इस सम्बंध में प्रस्ताव स्कीम के अक्रियाशील होने के चार वर्ष (मई 2012 से 2016-17) के बाद लाया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में दो वर्ष (2016-17 से जनवरी 2019) लगाए जिसे जनवरी 2019 अर्थात्, स्कीम के अक्रियाशील होने के छः वर्ष से अधिक समय तक अनुमोदित नहीं किया गया। इस संदर्भ में, सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि योजना के स्रोत को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है तथा जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में स्कीम क्रियाशील हो गई। अधिशाषी अभियंता ने भी बताया (फरवरी 2019) कि स्कीम क्रियाशील हो चुकी है। तथापि, लेखापरीक्षा ने भौतिक/स्थल सत्यापन किया (फरवरी 2019) तथा पाया कि स्कीम अभी भी अक्रियाशील है। इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत, त्रिपाल के प्रधान द्वारा की गई (फरवरी 2019) तथा उन्होंने बताया कि यद्यपि योजना जनवरी 2019 में बहुत कम समय के लिए क्रियाशील हुई थी, अब यह पूर्ण रूप से अक्रियाशील पड़ी है। इसके अतिरिक्त, चूंकि स्कीम को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत

⁶⁸ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-VIII के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से।

⁶⁹ निष्पादित कार्य: पम्प हाऊस एवं चौकीदार क्वार्टर का निर्माण (एक), मेन डिलीवरी टैंक (एक), मशीनरी आउटलेट्स (तीन), डीसिलिंग टैंक (एक), सम्पवेल (एक), पक्का फिल्टर चैनल (3,685 रनिंग मीटर), राइजिंग मेन प्रथम स्तर (एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाईप 350 मि0 मी0 व्यास: 195 रनिंग मीटर), राइजिंग मेन द्वितीय स्तर (एम0एस0ई0आर0डब्ल्यू0 पाईप 350 मि0 मी0 व्यास: 720 रनिंग मीटर), वितरण प्रणाली (10,130 रनिंग मीटर), पम्पिंग मशीनरी (75 अश्व शक्ति: दो एवं 55 अश्व शक्ति: दो) तथा विद्युत आपूर्ति।

⁷⁰ 2010-11: खरीफ (14.89 हेक्टेयर: 11 प्रतिशत) तथा रबी (7.72 हेक्टेयर: छः प्रतिशत) तथा 2011-12: खरीफ (0.65 हेक्टेयर: एक प्रतिशत से कम) तथा रबी (0.65 हेक्टेयर: एक प्रतिशत से कम)।

⁷¹ फ्लूवियल (धारा सम्बंधी प्रक्रिया) अपरदन के द्वारा निर्मित निम्न क्षेत्र/अवसाद।

परियोजना रिपोर्ट, नाबार्ड के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए जनवरी 2019 में योजना विभाग को भेजी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्कीम जनवरी 2019 तक क्रियाशील नहीं हो पायी थी, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया था।

स्कीम को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई में विलम्ब यह दिखाता है कि विभाग अपेक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए वचनबद्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, स्कीम की स्थिति की गलत रिपोर्टिंग यह दिखाता है कि विभाग ने वास्तविक जमीनी परिस्थिति का कोई आकलन नहीं किया तथा मामले की गंभीरता के प्रति गंभीर नहीं थे।

उपर्युक्त कमियों का अर्थ है कि मूल स्कीम के निष्पादन पर खर्च किया गया ₹ 1.42 करोड़ पिछले छः वर्ष से अनुत्पादक रहा तथा अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। विभाग ने 2012-18 के दौरान निष्क्रिय स्कीम पर ₹ 0.38 करोड़ का अनुत्पादक व्यय भी किया जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत शुल्क के लिए: ₹ 0.29 करोड़ का भुगतान एवं पम्पिंग मशीनरी एवं पम्प हाऊसों की देखभाल हेतु कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹ 0.09 करोड़ के रूप में था। इसके अतिरिक्त, मूल स्कीम के विफल होने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा क्योंकि स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 2.78 करोड़ (मूल लागत का 196 प्रतिशत) की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। सितम्बर 2019 तक स्थिति वैसी ही बनी रही।

सरकार को निष्पादन से पहले स्रोत की स्थिरता का उचित निर्धारण तथा स्कीम की व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को समय से इच्छित सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके। सरकार को स्कीम के तीव्र निष्पादन के लिए आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर भी विचार करना चाहिए तथा रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों को ठीक किया जाए ताकि स्कीम की स्थिति की सही सूचना उपलब्ध हो सके।

योजना विभाग

3.13 क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरुपयोग

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत ₹ 2.93 करोड़ लागत की राशि पूर्ण आवंटित होने का अर्थ है विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय योजना के विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राशि का दुरुपयोग सरकारी आवासों व कार्यालयीन भवनों तथा धार्मिक स्थलों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में किया गया।

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें निर्दिष्ट विकास शीर्षों⁷² पर अनुमोदित योजना परिव्यय के पांच प्रतिशत को जमा कर जिलों के पास रखने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में दिये गए विकास शीर्ष से सम्बंधित विकास कार्यों/ योजनाओं जिससे सामुदायिक लाभ प्राप्त हो, पर किया जाना था। क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना दिशा-निर्देश (2004) निर्धारित करते हैं कि मंदिर परिसर के भीतर कार्यों पर व्यय की अनुमति नहीं है। विकास कार्यों/ योजनाओं की स्वीकृति के लिए 'जिला योजना, विकास एवं बीस-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति' का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

पांच जिलों में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना आवंटन से संस्वीकृत (2014-18) कार्यों की छानबीन से देखा गया कि सरकारी आवासीय एवं कार्यालय भवनों के निर्माण/ मरम्मत/ जीर्णोद्धार के 81 कार्यों के निष्पादन के लिए सम्बंधित

⁷² सामाजिक एवं जल संरक्षण; एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम; सामुदायिक विकास; लघु सिंचाई; बाढ़ नियंत्रण; कुटीर एवं लघु उद्योग; सड़कें एवं पुल; प्रारंभिक शिक्षा; सामान्य शिक्षा; एलोपैथी; आयुर्वेद; ग्रामीण जलापूर्ति; अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सामाजिक कल्याण।

उपायुक्तों द्वारा ₹ 2.07 करोड़⁷³ संस्वीकृत एवं जारी किए गये थे। जैसा कि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था, इन कार्यों का सामुदायिक हितों तथा विकास की उपलब्धि से कोई सम्बंध नहीं था। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह पाया गया कि तीन जिलों (कांगड़ा, कुल्लू और शिमला) में ₹ 85.93 लाख⁷⁴ की निधियां, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में मंदिर परिसर के भीतर 78 कार्यों को निष्पादित किये जाने हेतु संस्वीकृत तथा जारी की गईं इस प्रकार, विकास आवश्यकताओं को सम्बोधित करने हेतु ₹ 2.93 करोड़ की कुल राशि का, सरकारी आवासीय एवं कार्यालय भवनों तथा धार्मिक स्थलों से सम्बंधित 159 कार्यों हेतु दुरुपयोग किया गया। यह भी देखा गया कि तीन जिलों (बिलासपुर, कांगड़ा एवं शिमला) में आवश्यक प्रक्रिया अपनाए बिना इन कार्यों को स्वीकृत किया गया क्योंकि जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इन भवनों को ज्यादा क्षति से बचाने के लिए रख-रखाव की आवश्यकता थी तथा आंगुतकों के उपयोगार्थ इन भवनों में अतिरिक्त सुविधा का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सलाहकार (योजना) ने बताया (सितम्बर 2019) कि जिलों को बजट आवंटित करते समय क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों को संस्वीकृत करने के अनुदेश जारी किए गए थे तथा जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर कार्य स्वीकृत किए गए थे। तथापि, दिशा-निदेश स्पष्ट रूप से इस तरह के कार्यों के खर्च पर प्रतिबंध लगाते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल विकासात्मक प्रकृति के कार्यों के लिए जारी करना सुनिश्चित कर सकती है।

3.14 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन के मामले को उजागर करने के बावजूद, पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि की निधियां योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक पूजा स्थलों के 170 कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गईं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सांसदों तथा विधायकों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश के लिए सक्षम बनाना है। इन कार्यों को सम्बंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा संस्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है। इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर तथा धार्मिक समूहों की स्वामित्व वाली भूमि से सम्बंधित कार्यों के लिए अनुमोदन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁷⁵ में इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया था। तथापि, पांच जिलों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि

⁷³ बिलासपुर: ₹ 10.32 लाख (07 कार्य); चम्बा: ₹ 36.22 लाख (14 कार्य); कांगड़ा: ₹ 135.80 लाख (43 कार्य); शिमला: ₹ 16.75 लाख (12 कार्य) तथा ऊना: ₹ 8.06 लाख (05 कार्य)।

⁷⁴ कांगड़ा: ₹ 15.88 लाख (11 कार्य); कुल्लू: ₹ 16.00 लाख (08 कार्य) तथा शिमला: ₹ 54.05 लाख (59 कार्य)।

⁷⁵ वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) का परिच्छेद 2.16; 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों - गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) का परिच्छेद 3.6.2.3 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों - गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) का परिच्छेद 3.17.3.1.

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत (दिसम्बर 2016-मार्च 2018) कार्यों की छानबीन में देखा गया कि ₹ 1.93 करोड़⁷⁶ की राशि सम्बंधित उपायुक्तों द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर या धार्मिक समूहों की स्वामित्व वाली भूमि पर 170 कार्यों के निष्पादन के लिए संस्वीकृत एवं जारी की गई। 61 कार्यों के संस्वीकृति आदेश अपने आप दिखते थे कि ये कार्य धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर के लिए संस्वीकृत किए गए थे जो दिशा-निर्देश की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाते हैं। शेष 109 कार्यों⁷⁷ में, यह पाया गया कि धार्मिक पूजा स्थलों के नाम से पहले "निकट" शब्द स्थलों की झुठी पहचान दिखाने के लिए लगाया गया था: यह उपयोगकर्ता समूहों के प्रस्ताव तथा भू-अभिलेखों की परस्पर जांच से साबित हुआ कि ये 109 कार्य वास्तव में उन्हीं धार्मिक पूजा स्थलों वाली भूमि/ स्वामित्व वाली भूमि से सम्बंधित थे जिनका उल्लेख स्वीकृत आदेशों में सीमा चिन्ह के रूप में दिखाया गया था। इन मामलों में जिला प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध भू-अभिलेखों का सत्यापन न करना या तो लापरवाही का संकेत था या अस्वीकार्य कार्यों की संस्वीकृति को उचित प्रमाणित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास था।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि इन कार्यों को आम जनता के उपयोग के लिए सम्बंधित सांसदों तथा विधायकों की सिफारिश पर संस्वीकृत किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए कि धार्मिक पूजा स्थलों से सम्बंधित कार्यों की संस्वीकृति सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्पष्टतया निषेध है।

अतः, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन पर प्रकाश डालने के बावजूद, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत गैर-अनुमत्य धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर 170 कार्यों के निष्पादन के लिए पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

राज्य सरकार शेष जिलों में ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है तथा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित कर सकती है।

लोक निर्माण विभाग

3.15 ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली

सड़कों के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए सही दरों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप टेलीकॉम कम्पनियों से ₹ 1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रक्रिया के अनुसार, राज्य में सड़कों के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के पश्चात खाइयों को पुनः भरने का कार्य टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा किया जाता है। विभागीय अनुदेशों (जनवरी 2001) के अनुसार सड़क को पहुंचाई गई क्षति की प्रतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर सम्बंधित मण्डल के अधिशाषी अभियंता द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार टेलीकॉम कम्पनियों से प्राप्त निक्षेप निधियों द्वारा की जाती है।

बिलासपुर-I, मण्डी-II एवं सुन्दरनगर मण्डलों के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018) से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा निर्धारित दरों (अक्टूबर 2014 और जनवरी 2016) के अनुसार 2014-15 के लिए

⁷⁶ कुल्लू: ₹ 34.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 20 कार्य); मण्डी: ₹ 58.25 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 57 कार्य) एवं ₹ 24.50 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत 22 कार्य); शिमला: ₹ 39.75 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 46 कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य); सोलन: ₹ 24.49 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 18 कार्य); एवं ऊना: ₹ 7.51 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत पांच कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य)।

⁷⁷ कुल्लू: ₹ 33.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 19 कार्य); मण्डी: ₹ 3.58 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत तीन कार्य) एवं ₹ 24.50 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत 22 कार्य); शिमला: ₹ 36.75 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 42 कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य); सोलन: ₹ 23.99 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत 17 कार्य); एवं ऊना: ₹ 6.50 लाख (वीकेवीएनवाई के अंतर्गत चार कार्य) एवं ₹ 2.00 लाख (एमपीएलएडीएस के अंतर्गत एक कार्य)।

(कच्ची सड़क ₹ 695 प्रति रनिंग मीटर की दर से, पक्की एवं तारकोल सहित सड़क ₹ 981 प्रति रनिंग मीटर तथा तारकोल मेकेडम सहित पक्की सड़क ₹ 1,470 प्रति रनिंग मीटर की दर से) तथा 2015-16 (राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क ₹ 1,323 प्रति रनिंग मीटर की दर से एवं ग्रामीण सड़क ₹ 905 प्रति रनिंग मीटर की दर से) के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए 72.300 किलोमीटर लम्बी सड़क की खुदाई के कारण हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति हेतु अधिशाषी अभियंताओं द्वारा तीन दूरसंचार कम्पनियों⁷⁸ से ₹ 7.21 करोड़ वसूल करना अपेक्षित था। तथापि, उन्हीं कार्यों के लिए प्राक्कलनों को तैयार करते समय (नवम्बर 2014 एवं नवम्बर 2015 के बीच), अधिशाषी अभियंताओं ने गलत दरों⁷⁹ को लागू किया तथा केवल ₹ 5.55 करोड़ (परिशिष्ट-3.5) की मांग (फरवरी 2015 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) की जिसके परिणामस्वरूप, मैसर्ज जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (₹ 0.32 करोड़), आइडिया सेलुलर लिमिटेड (₹ 0.67 करोड़) तथा भारती एयरटेल लिमिटेड (₹ 0.67 करोड़) से ₹ 1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि संशोधित प्राक्कलन टेलीकॉम कम्पनियों को भेज दिए गये हैं तथा शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे। तथापि, सितम्बर 2019 तक वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग/ सरकार ऐसे मामलों की जांच करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार टेलीकॉम कम्पनियों से देय राशि की वसूली के लिए तत्काल प्रभाव से संशोधित दरों से लागू करने को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकती है।

3.16 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना एवं भौगोलिक/स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने में विभाग की बार-बार विफलता के कारण 14 वर्षों से अधिक समय के लिए सड़क पूर्ण नहीं हो सकी जिससे सम्बंधित लाभार्थियों को अभिप्रेत सड़क कनेक्टिविटी से वंचित होना पड़ा तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिचालन नियमावली, में टोही सर्वेक्षण⁸⁰, प्रारंभिक सर्वेक्षण (टोही सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विकल्पों की बड़े पैमाने पर जांच एवं आधारेखा की स्थापना) तथा स्थिति सर्वेक्षण⁸¹ के साथ भौगोलिक एवं जमीनी सर्वेक्षण का प्रावधान है। केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली में मूल प्रशासनिक अनुमोदन से 10 प्रतिशत से अधिक व्यय की स्थिति में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना, कार्य के निष्पादन के लिए विस्तृत प्राक्कलन एवं आरेखण तैयार करना तथा विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है।

⁷⁸ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड: ₹ 2.54 करोड़ (2014-15: ₹ 1.44 करोड़ तथा 2015-16: ₹ 1.10 करोड़); आइडिया सेलुलर लिमिटेड: ₹ 3.30 करोड़ (2015-16) तथा भारती एयरटेल लिमिटेड: ₹ 1.37 करोड़ (2014-15)।

⁷⁹ सुन्दरनगर मण्डल 2014-15 के लिए: कच्ची सड़क के लिए ₹ 392.95 प्रति रनिंग मीटर (4.5 किलोमीटर) तथा पक्की एवं तारकोल लगी सड़क के लिए ₹ 898.16 प्रति रनिंग मीटर (11.5 किलोमीटर) तथा 2015-16: ग्रामीण सड़क के लिए ₹ 898.16 प्रति रनिंग मीटर (आठ किलोमीटर) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों के लिए ₹ 827.87 प्रति रनिंग मीटर (0.800 किलोमीटर), ₹ 1,059.48 प्रति रनिंग मीटर (0.300 किलोमीटर) तथा ₹ 1,189.50 प्रति रनिंग मीटर (3.670 किलोमीटर); बिलासपुर-I मण्डल में 2014-15 के लिए: पक्की एवं तारकोल लगी सड़क के लिए ₹ 505.23 प्रति रनिंग मीटर (14 किलोमीटर) तथा मण्डी-II मण्डल में 2015-16 के लिए: ग्रामीण सड़क के लिए ₹ 750.60 प्रति रनिंग मीटर (24.124 किलोमीटर) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों के लिए ₹ 1,059.48 प्रति रनिंग मीटर (5.406 किलोमीटर)।

⁸⁰ पैदल, खच्चरों पर सवार होकर (पहाड़ों में) या जीप में सवार होकर क्षेत्र निरीक्षण।

⁸¹ क्षेत्र में चयनित सरेखण का केन्द्र बिन्दु नियत करके अंतिम सरेखण का निर्धारण तथा आरेखण तैयार करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों का संग्रहण।

शिमला जिले के दूरवर्ती गांवों (काशापाट ग्राम पंचायत) को सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु, 8.475 किलोमीटर लम्बी धनडोल से काशापाट सड़क को राज्य तकनीकी अभिकरण द्वारा तकनीकी स्वीकृति⁸² प्रदान की गई (जनवरी 2004 में) तथा भारत सरकार द्वारा ₹ 4.66 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुमोदित (मार्च 2004) की गई। संरेखण के लिए सामान्य पथ का चयन करते हुए टोही सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना अनुमोदित की गई तथा दृश्य आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया। तथापि बाद में, वास्तविक स्थल सर्वेक्षणों एवं 2011-14 के दौरान कार्य के निष्पादन के अनुसार, सड़क की लम्बाई 8.475 किलोमीटर से बढ़कर 11.180 किलोमीटर (2.705 किलोमीटर की वृद्धि) हो गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित करने के बजाय उपर्युक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त कार्यों के लिए ₹ 6.73 करोड़⁸³ का कार्य प्राक्कलन तैयार किया। परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने भी अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत ₹ 2.82 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जून 2015)।

रामपुर मण्डल के अभिलेखों की छानबीन (दिसम्बर 2017) से उद्घाटित हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परिचालन नियमावली के उल्लंघन में, कार्य वास्तविक स्थल सर्वेक्षण/ बड़े पैमाने पर जांच के बिना निष्पादन के लिए लिया गया (अप्रैल 2005) था जोकि टोही सर्वेक्षण के पश्चात किया जाना अपेक्षित था। विभाग ने क्षेत्र के भौगोलिक/स्थल परिस्थितियों के अनुसार सड़क का विस्तृत प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया था। निम्नांकित कमियां पाई गई:

(i) प्रारंभ में, कार्य⁸⁴ जुलाई 2006 तक पूर्ण किये जाने हेतु एक ठेकेदार को ₹ 5.03 करोड़ में प्रदान (अप्रैल 2005) किया गया। तथापि, 19 जनवरी 2008 को ठेकेदार की मृत्यु के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दिसम्बर 2010 में ठेकेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा कार्य छोड़ने के पश्चात जुलाई 2011 में विभाग द्वारा कार्य रद्द कर दिया गया। कार्य बंद होने तक, ₹ 3.96 करोड़ की लागत में 5.015 किलोमीटर (59 प्रतिशत) की फॉर्मेशन कटिंग पूर्ण हो चुकी थी।

(ii) बाद में, अगस्त 2011 में किए गए वास्तविक स्थल सर्वेक्षण, के परिणामस्वरूप सड़क की लम्बाई 1.280 किलोमीटर बढ़ गई। विभाग ने शेष कार्य के लिए ₹ 4.34 करोड़ (₹ 0.70 करोड़ के प्रारंभिक/प्रथम प्राक्कलन के विरुद्ध) का कार्य प्राक्कलन तैयार किया। तत्पश्चात, कार्य को मई 2014 तक पूर्ण किये जाने हेतु ₹ 4.19 करोड़ में एक अन्य ठेकेदार को प्रदान (दिसम्बर 2012) किया गया। ठेकेदार ने सितम्बर 2015 तक ₹ 1.76 करोड़ (₹ 4.19 करोड़ को ₹ 5.95 करोड़ से घटाकर) का विचलन करते हुए ₹ 5.95 करोड़ (अनुमानित लागत का 137 प्रतिशत) में 1.990 किलोमीटर (42 प्रतिशत) की फॉर्मेशन कटिंग की। सड़क के संरेखण में दुर्गम उर्ध्वाधर चट्टान के कारण ठेकेदार ने उद्धृत/कम दर पर आगे कार्य करने से इंकार कर दिया (सितम्बर 2015) तथा ₹ 266 प्रति घनमीटर की संविदा दर के स्थान पर ₹ 824.80 प्रति घनमीटर की दर की मांग की। विभाग ने अप्रैल 2016 में संविदा को बन्द कर दिया तथा ठेकेदार को केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के उल्लंघन में विचलन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाये बिना ₹ 5.95 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया।

(iii) लेखापरीक्षा ने इस बीच पाया कि 2014-15 के दौरान, विभाग ने 4.080 किलोमीटर के लिए अन्य सर्वेक्षण (सड़क की लम्बाई पुनः 1.425 किलोमीटर बढ़ गई) किया तथा ₹ 2.39 करोड़ का कार्य प्राक्कलन जिसमें फॉर्मेशन कटिंग शामिल थी, को तैयार किया। कार्य को सितम्बर 2017 तक पूर्णता हेतु ₹ 5.35 करोड़ में उसी

⁸² कार्य क्षेत्र: फॉर्मेशन कटिंग (5/7 मीटर चौड़ी), 6.200 तथा 14.675 किलोमीटर के बीच हयुम पाईप का निर्माण तथा 7.430 किलोमीटर पर आर0सी0सी0 स्लेब क्लवर्ट का निर्माण।


⁸³ अगस्त 2014: ₹ 4.34 करोड़ (फॉर्मेशन कटिंग: 4.740 किलोमीटर: क्रॉस ड्रेनेज: 8.475 किलोमीटर और सोलिंग: 2.500 किलोमीटर) तथा 2014-15: ₹ 2.39 करोड़ (4.080 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग)।

⁸⁴ फॉर्मेशन कटिंग: 8.475 किलोमीटर, क्रॉस ड्रेनेज: 8.475 किलोमीटर एवं सोलिंग: 2.500 किलोमीटर।

ठेकेदार को सौंपा गया (सितम्बर 2015)। जिसने सितम्बर 2015 में कार्य का निष्पादन करने से इंकार किया था। ठेकेदार ने फरवरी 2018 तक ₹ 8.79 करोड़ (अनुमानित लागत का 368 प्रतिशत) में 1.270 किलोमीटर (31 प्रतिशत) सड़क की फॉर्मेशन कटिंग का कार्य किया। संपूर्ण वित्तीय निहितार्थ सहित ₹ 10.31 करोड़ (93 प्रतिशत) का विचलन फरवरी 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा का विचार है कि इस विचलन से निविदा प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ क्योंकि कार्य आवंटन से पहले स्थल परिस्थितियों के अनुसार बढ़े हुए लागत पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया होता तो अधिक बोलीकर्ता आकर्षित होते।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सड़क के 1.815 किलोमीटर खण्ड में फॉर्मेशन कटिंग का कार्य तीन संविदाओं⁸⁵ में ₹ 0.75 करोड़ के लिए अन्य ठेकेदार को सौंपा गया (दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक)। ठेकेदार ने जनवरी 2019 तक ₹ 0.71 करोड़ के व्यय के साथ 1.725 किलोमीटर में फॉर्मेशन कटिंग का कार्य किया तथा 0.090 किलोमीटर में फॉर्मेशन कटिंग निष्पादित नहीं की गई।

विभाग ने 2005-18 के दौरान परियोजना पर कुल ₹ 17.98 करोड़⁸⁶ का व्यय किया। तथापि, जनवरी 2019 तक मात्र 8.275 किलोमीटर (11.180 किलोमीटर का 74 प्रतिशत) में फॉर्मेशन कटिंग निष्पादित होने से सड़क पूर्ण नहीं हुई जैसा कि अपूर्ण सड़क का एक खण्ड फोटोग्राफ में भी दर्शाया गया है।



धनडोल से काशापाट सड़क के 11.300 किलोमीटर से 11.375 किलोमीटर तक का खण्ड

घटनाओं का क्रम दर्शाता है कि लागत प्राक्कलनों एवं निष्पादन को अत्यंत कम आंका गया था। सड़क की लम्बाई 2.705 किलोमीटर⁸⁷ (32 प्रतिशत) से बढ़ गई जबकि व्यय अनुमोदित परियोजना लागत (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹ 4.66 करोड़ और राज्य शीर्ष: ₹ 2.82 करोड़) ₹ 10.50 करोड़ (140 प्रतिशत) तक बढ़ गई। उपर्युक्त केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया ₹ 10.50 करोड़ का अधिक व्यय अनियमित था। जैसा कि उपर्युक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिशा-निदेश के प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित है, विभाग ने निष्पादन के लिए कार्य लेने से पूर्व व्यापक स्थल सर्वेक्षण नहीं किया था। केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक स्थल परिस्थितियों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलनों के बजाय विभाग ने केवल कार्य प्राक्कलन तैयार किया जिसके कारण निविदा प्रक्रिया प्रभावित होने से विचलन हेतु अधिक भुगतान हुआ क्योंकि स्थल परिस्थितियों के अनुसार बढ़े हुए दर पर विस्तृत प्राक्कलन होने से अधिक बोलीकर्ता आकर्षित होते।

⁸⁵ 0.605 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.24 करोड़ (दिसम्बर 2016); 0.700 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.25 करोड़ (दिसम्बर 2016) तथा 0.510 किलोमीटर की फॉर्मेशन कटिंग: ₹ 0.26 करोड़ (जून 2017)।

⁸⁶ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹ 8.74 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 5.75 करोड़ तथा राज्य सरकार: ₹ 2.99 करोड़) तथा राज्य शीर्ष: ₹ 9.24 करोड़।

⁸⁷ 8.475 किलोमीटर से 11.180 किलोमीटर तक।

अतः, विभाग की अनुपयुक्त योजना के परिणामस्वरूप पिछले 14 वर्षों से अधिक समय में सड़क पूर्ण नहीं हो सकी तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि प्रथम ठेकेदार का अकस्मात निधन, उर्ध्वाधर खड़ी तथा कठोर चट्टान के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। छितराई हुई कठोर परत के कारण संरेखण पर प्रस्तावित अर्ध सुरंग संभव नहीं थी तथा पूर्ण ऊंचाई कटिंग करने के परिणामस्वरूप ऊंचाई में वृद्धि हुई तथा आवंटित कार्य में विचलन हुआ। तथापि, व्यापक सर्वेक्षण करने तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में विभाग की विफलता के कारण बड़े पैमाने पर विचलन हुआ जिससे निविदा प्रक्रिया को भी नुकसान हुआ। सितम्बर 2019 तक स्थिति वैसी ही बनी रही।

विभाग को व्यापक स्थल सर्वेक्षण करना तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि समय पर उनकी पूर्णता तथा लागत वृद्धि से बचना सुनिश्चित हो सके।

राजस्व विभाग

3.17 अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन का परावर्तन तथा दुरुपयोग

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने में राज्य कार्यकारी समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/ संकट से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय एवं आवासीय इमारतों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए ₹ 2.19 करोड़ का राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से परावर्तन तथा दुरुपयोग किया गया जबकि प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ₹ 3.19 करोड़ के दावे लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल हुआ।

भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन पर सितम्बर 2010 के दिशा-निदेश (जुलाई 2015 में संशोधित) में नियत है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को केवल निर्दिष्ट आपदाओं/ संकटों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाना है। दिशा-निदेश पुनः नियत करते हैं कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उपयोग वास्तविक रूप में उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्थापित की गई है, मानकों के अनुसार केवल निर्दिष्ट मदों पर ही व्यय किया जा रहा है तथा निधियों का अस्वीकार्य व्ययों पर परावर्तन नहीं किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निधियां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपायुक्तों तथा विभागों को व्यय की मदों एवं सहायता के मानकों के संदर्भ में भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार उपयोग के लिए आवंटित की जाती है। इन दिशा-निदेशों में प्रावधान है कि राज्य सरकारी इमारतों अर्थात् कार्यालय भवन, रिहायशी आवासों, इत्यादि की मरम्मत हेतु सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत नहीं आती है।

तथापि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्वीकृत कार्यों की छानबीन में पाया गया कि पांच जिलों⁸⁸ में उपर्युक्त दिशा-निदेशों/ अनुदेशों के उल्लंघन में, सरकारी कार्यालयों एवं रिहायशी भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के 180 कार्यों के लिए सम्बंधित उपायुक्तों द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की निधियां संस्वीकृत एवं जारी की गईं (जनवरी 2015 और अगस्त 2017 के बीच)। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से दुरुपयोग के ये मामले न्यायसंगत नहीं थे क्योंकि संस्वीकृत कार्यों की क्षतियां आपदा/ संकट के कारण नहीं हुईं थी। कुल अस्वीकार्य राशि ₹ 2.19 करोड़ में से,

⁸⁸ बिलासपुर: ₹ 52.73 लाख 2014-17 के दौरान 37 कार्यों के लिए; कांगड़ा: ₹ 44.42 लाख 2016-18 के दौरान 30 कार्यों के लिए; किन्नौर: ₹ 47.44 लाख 2015-17 के दौरान 20 कार्यों के लिए; शिमला: ₹ 29.19 लाख 2016-17 के दौरान 26 कार्यों के लिए तथा सोलन: ₹ 45.51 लाख 2016-18 के दौरान 67 कार्यों के लिए।

राज्य सरकार से पुनर्विनियोजन/ अधिकृत करवाए बिना 2016-18 के दौरान 139 कार्यों के लिए ₹ 1.62 करोड़⁸⁹ संस्वीकृत एवं जारी किए गए; जिसमें से 67 कार्यों के लिए ₹ 88.19 लाख लघु शीर्ष 'स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर-सरकारी निकायों/ संस्थानों की सहायता' (मुख्य शीर्ष प्राकृतिक संकट के कारण राहत-02 बाढ़, चक्रवात, इत्यादि) के अंतर्गत दर्ज किए गए जिससे स्थानीय निकायों/ गैर-सरकारी निकायों की सहायता के लिए नियत चिन्हित बजट का दुरुपयोग हुआ।

इन जिलों के तीन उपमण्डलों में 2015-18 की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत राहत दावों की नमूना जांच से पाया गया कि चूंकि ₹ 2.19 करोड़ का दुरुपयोग हुआ जबकि उसी अवधि में संकट के पीड़ितों के ₹ 3.19 करोड़⁹⁰ के अनुदान राहत/अनुग्रह भुगतान के 152 दावे निधियों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल हुआ।

राज्य सरकार केवल निधियों को जारी करने के आधार पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज रही थी। राज्य कार्यकारी समिति, जिसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना था, ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संस्वीकृत राहत कार्यों के सम्बंध में कोई नियंत्रण/ रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरुपयोग हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई तथा सितम्बर 2019) कि जिला प्राधिकारियों एवं विभागों को समय-समय पर दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये थे तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत व्यय का अनुश्रवण/ विनियमन करने के लिए संस्वीकृत निधियों का अनुश्रवण सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर अनुश्रवण करने का निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग/सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत व्यय को संस्वीकृत व अनुमोदित करते समय दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को लागू कर सकती है।

3.18 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान की अल्प वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का दुरुपयोग

जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के विकासकर्ताओं से ₹ 6.14 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा उस पर ₹ 2.72 करोड़ के ब्याज की कम वसूली की गई थी जबकि अंतिम किश्त की देय तिथि से चार माह तथा दस वर्षों के बीच की अवधि बीत चुकी थी। स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर ₹ 2.05 करोड़ की निधि का दुरुपयोग हुआ।

राज्य जल विद्युत नीति (2006) के अनुसार जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाओं के पुनरुद्धार तथा स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु कार्य (ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, इत्यादि से सम्बंधित) जिला स्तरीय स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया जाना अपेक्षित है। जल विद्युत शक्ति परियोजना विकासकर्ता को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में परियोजना के प्रारंभ होने से पहले की अवधि के दौरान अंतिम परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत⁹¹ के बराबर की राशि का उतनी किश्तों में योगदान करना है जैसा कि क्रियान्वयन अनुबंध में निर्धारित है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के दिशा-

⁸⁹ बिलासपुर: ₹ 20.66 लाख 2016-17 के दौरान 09 कार्यों के लिए; कांगड़ा: ₹ 44.42 लाख 2016-18 के दौरान 30 कार्यों के लिए; किन्नोर: ₹ 22.44 लाख 2016-17 के दौरान 07 कार्यों के लिए; शिमला: ₹ 29.19 लाख 2016-17 के दौरान 26 कार्यों के लिए तथा सोलन: ₹ 45.51 लाख 2016-18 के दौरान 67 कार्यों के लिए।

⁹⁰ बिलासपुर सदर (बिलासपुर जिला): ₹ 1.40 करोड़ के 74 दावे; शिमला ग्रामीण (शिमला जिला): ₹ 0.71 करोड़ के 26 दावे तथा सोलन (सोलन जिला): ₹ 1.08 करोड़ के 52 दावे।

⁹¹ पांच मेगावाट से अधिक की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत तथा पांच मेगावाट तक की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए एक प्रतिशत।

निदेशों में नियत है (अक्टूबर 2011) कि किसी जिला के अंदर पांच मेगावाट से ऊपर की जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए सभी स्थानीय क्षेत्र विकास समितियां उपायुक्त के समग्र नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेंगी। निर्धारित अनुसूची के अनुसार उपायुक्त को अंशदान जारी करने के लिए सम्बंधित विकासकर्ताओं के साथ मामला उठाया जाना अपेक्षित है। अंशदान जारी करने की विफलता के मामले में, परियोजना विकासकर्ता स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। दिशा-निदेशों में यह भी निर्धारित है कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का भाग होगा तथा राज्य सरकार पर बिना किसी बाध्यता के स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की बैठकों का आयोजन करने, निगरानी, कार्यालय व्यय, गुणवत्ता निर्धारण हेतु विशेषज्ञों की सेवा लेने, विवादों का निपटारा करने, इत्यादि की लागत को आवृत करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

- (क) तीन उपायुक्तों (कांगड़ा, कुल्लू एवं शिमला) के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि इन जिलों में 12 जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं (मई 2008 और जनवरी 2018 के बीच) जिनके लिए राज्य सरकार और सम्बंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच क्रियान्वयन अनुबंध राज्य जल विद्युत नीति प्रभावी (दिसम्बर 2006) होने के बाद हस्ताक्षरित किया गया था। क्रियान्वयन अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, विकासकर्ताओं को इन परियोजनाओं से सम्बंधित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति ₹ 10.76 करोड़ की राशि का अंशदान करना अपेक्षित था। इसके प्रति, मई 2018 तक परियोजना विकासकर्ताओं ने केवल ₹ 4.62 करोड़ जमा करवाए थे। शेष ₹ 6.14 करोड़ की राशि, जिसे परियोजना आरम्भ करने से पहले निर्माण अवधि के दौरान जमा करवाया जाना था, अंतिम किश्त की देय तिथि के चार माह तथा दस वर्षों की अवधि के बीच बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की बकाया राशि पर आरंभ होने की सम्बंधित तिथि से ₹ 2.72 करोड़ का ब्याज भी वसूली योग्य हो गया था (परिशिष्ट-3.6)।

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान की कम वसूली (57 प्रतिशत) दर्शाती है कि क्रियान्वयन अनुबंधों में दण्डस्वरूप ब्याज का प्रावधान परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा देय स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान को समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं था।

यह भी देखा गया कि ₹ 4.62 करोड़ की जमा राशि में से, ₹ 3.69 करोड़ (80 प्रतिशत) प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों के लिए पहले ही संस्वीकृत⁹² किया जा चुका था जो इस बात का साक्ष्य था कि प्रभावित क्षेत्रों में अधिक कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए कुल देय राशि की वसूली आवश्यक थी।

- (ख) उपायुक्त, कुल्लू के अभिलेखों की छानबीन से देखा गया कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के ₹ 2.05 करोड़ में से विभिन्न कार्य मदों⁹³ के लिए ₹ 0.31 करोड़ दिशा-निदेशों में परिकल्पित सुविधाओं के पुनरूद्धार अथवा स्थानीय क्षेत्र विकास से सम्बंधित नहीं थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद 3.23 के संदर्भ में चम्बा जिले से सम्बंधित स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग पर समरूप टिप्पणी को उजागर किया गया था। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दुरुपयोग के दोहराए गये ऐसे मामलों से स्थानीय क्षेत्र विकास समितियों द्वारा

⁹² कांगड़ा: ₹ 0.32 करोड़; कुल्लू: ₹ 0.40 करोड़ तथा शिमला: ₹ 2.97 करोड़।

⁹³ कार्यालयों तथा उपायुक्त, मण्डलीय उपायुक्त, तहसील कार्यालय, उप-मण्डलीय कार्यालय, सर्किट हाऊस, इत्यादि में फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव की मरम्मत एवं खरीद; बैठक कक्ष का जीर्णोद्धार तथा उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में इंटरकॉम की स्थापना।

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दुरुपयोग के प्रति जांच के रूप में सेवा देने में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली का अभाव प्रदर्शित होता था।

उत्तर में सम्बंधित जिला स्तरीय प्राधिकारियों⁹⁴ एवं मुख्य अभियंता, ऊर्जा निदेशालय ने उत्तर दिया (अप्रैल-मई 2018) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कम जमा होने सम्बंधी पत्राचार परियोजना विकासकर्ताओं के साथ बार-बार किया गया था। उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू ने बताया कि निधियों का उपयोग सही एवं पारदर्शितापूर्वक किया गया क्योंकि दिशा-निदेशों में प्रावधान था कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत का उपयोग परियोजना प्रभावित खण्डों एवं परियोजना प्रभावित जिलों में किया जा सकता था। उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि राज्य सरकार के पास स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंशदान की वसूली के लिए प्रावधान को लागू करने हेतु कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जिन मदों पर व्यय किया गया वे अस्वीकार्य थीं एवं स्थानीय क्षेत्र विकास से सम्बंधित नहीं थीं। सितम्बर 2019 तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामले नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग/ सरकार ऐसे मामलों की जांच तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

राज्य सरकार परियोजना विकासकर्ताओं से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि की वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित कर सकती है ताकि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को जुलाई 2018 में संदर्भित किए गये थे। उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

3.19 ब्याज का परिहार्य भुगतान

सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का मुआवजा जारी करने में आठ वर्षों से विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने कुल्लू जिला में भुंतर हवाई अड्डा के विस्तार के लिए 65.01.16 बीघा जमीन अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की (जून 1998)। भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत घोषित (19 जुलाई 2000) मुआवजे के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 25,000 प्रति बिस्वा निर्धारित किया।

जिला न्यायालय कुल्लू ने सात भूमि मालिकों की याचिका पर निर्णय (जनवरी 2003) में मुआवजा राशि को, भूमि-अर्जन की तिथि से राशि जारी करने की तिथि तक संपूर्ण राशि पर ब्याज⁹⁵ सहित ₹ 25,000 से ₹ 50,000 प्रति बिस्वा तक बढ़ा दिया। विभाग ने निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (अप्रैल 2003) तथा जिला न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मार्च 2006 तक देय ₹ 5.12 करोड़ के प्रति भूमि मालिकों के पक्ष में ₹ 3.10 करोड़ जमा करवाये (परिशिष्ट-3.7)। याचिका को 10 नवम्बर 2008 को खारिज कर दिया गया तथा वृद्धि के लिए जिला न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया गया। विभाग को या तो निर्णय के विरुद्ध आगे याचिका दायर करनी थी या आदेशों के अनुसार भुगतान जारी करना था।

⁹⁴ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून व्यवस्था), शिमला; क्रेडिट योजना अधिकारी, कांगड़ा तथा उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति, कुल्लू।

⁹⁵ प्रथम वर्ष के लिए नौ प्रतिशत वार्षिक दर पर तथा शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर।

विभाग ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2008) कि समान मामले पर विधि विभाग के मतानुसार उच्च न्यायालय का निर्णय आगामी बहस के योग्य नहीं था। तथापि, विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन भी नहीं किया तथा ₹ 2.02 करोड़ का बकाया भुगतान लाभार्थियों को जारी नहीं किया। आगे यह भी देखा गया कि न तो भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आगे वितरण के लिए निधियों की मांग की और न ही निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन ने भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू से पत्राचार किया। जिला न्यायालय, कुल्लू में भूमि मालिकों द्वारा एक निष्पादन याचिका दायर (मई 2015) करने के बाद ही भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू ने निधियों को आगे जारी करने के लिए विभाग से मांग की। विभाग ने राज्य सरकार से अतिरिक्त निधियों की मांग की (नवम्बर 2015) जो कि नवम्बर 2016 में प्रदान की गई तथा 11 नवम्बर 2008 से 03 नवम्बर 2016 तक की अवधि से सम्बंधित ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित ₹ 3.78 करोड़ भूमि मालिकों को 03 नवम्बर 2016 को जारी किए गए।

स्पष्टतया, सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का शेष मुआवजे का भुगतान समय पर जारी करने में विभाग की विफलता के कारण विभाग को ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 1.76 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका को खारिज करने के बाद, विभाग आगे प्रतिवाद के लिए इच्छुक नहीं था तथा साथ ही सम्बंधित भूमि मालिकों ने भुगतान के लिए जोर नहीं दिया था। विभाग को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार समय पर भुगतान जारी करना चाहिए था। चूक करने के मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए परन्तु सितम्बर 2019 तक चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी।

सरकार समय पर मुआवजे का भुगतान न करने हेतु जवाबदेही तय करने तथा भविष्य में अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए मुआवजे को समय पर जारी करना सुनिश्चित कर सकती है।

परिवहन विभाग (हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण)

3.20 असुरक्षित स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण पर परिहार्य हानि

बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के कारण ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के डिजाईन से पहले स्थल निर्धारण पर परिच्छेद 5.2.1, में भवन निर्माण की अवधारणा से पूर्व स्थल सर्वेक्षण तथा मृदा जांच का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, नई संरचना का स्थल तय करते समय राज्य जल नीति, 2013 के अनुसार यह निश्चित किया जाएगा कि ये अधिमानतः बाढ़ क्षेत्र से दूर स्थित है। तथापि, यदि ऐसा करना संभव न हो तो इन संरचनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने धर्मपुर (मण्डी जिला) में एक नये बस स्टैंड के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) से अनुरोध किया (मई 2009)। हिमुडा से प्राप्त (सितम्बर 2009) प्राक्कलनों के आधार पर बस अड्डे के निर्माण हेतु ₹ 1.79 करोड़ (अप्रैल 2012 में ₹ 2.98 करोड़ तक संशोधित) का प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकार किया (अक्टूबर 2009) गया। हिमुडा ने बस अड्डे का निर्माण जनवरी 2010 में प्रारंभ किया तथा ₹ 2.69 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सितम्बर 2012 में इसे पूर्ण किया।

प्राधिकरण के अभिलेखों की छानबीन (नवम्बर 2017) में पाया गया कि बस अड्डे का निर्माण राजस्व अभिलेखों में गैर-मुमकिन खड्ड (बाढ़ संभावित क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत भूमि पर किया गया तथा प्राधिकरण ने खड्ड⁹⁶ में निर्माण किये जाने वाले भवन की सुरक्षा का पता लगाए बिना स्थल का चयन किया। इसके अतिरिक्त, चूंकि बाढ़ प्राकृतिक घटना है, प्राधिकरण ने बस अड्डे के निर्माण से पूर्व बाढ़ के कारण उत्पन्न आपदा से निपटने/ कम करने हेतु खड्ड के चैनलाईजेशन सहित किसी बाढ़ सुरक्षा उपायों को भी नहीं अपनाया था तथा निष्पादन प्रारंभ करने से पहले आवश्यक पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामतः, 07-08 अगस्त 2015 की मध्य रात्रि को क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में, बस अड्डे भवन से खड्ड में पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई तथा बाढ़ का पानी बस अड्डा परिसर में प्रवेश कर गया जिससे बस अड्डा संरचना को नुकसान हुआ एवं परिसर में खड़ी 10 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। खड्ड के चैनलाईजेशन की लागत सहित क्षतिग्रस्त संरचना की पुर्नस्थापना लागत ₹ 3.25 करोड़ आंकी गई। इसके अतिरिक्त, 10 बसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम को भी ₹ 2.00 करोड़ की हानि हुई। प्राधिकरण ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 1.01 करोड़ के व्यय के साथ क्षतिग्रस्त बस अड्डे को तत्काल पुर्नस्थापित किया। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं जवाबदेही तय करने हेतु राज्य सरकार के निर्देश (फरवरी 2016) के बावजूद सितम्बर 2019 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बाढ़ सुरक्षा उपायों के प्रति प्राधिकरण के साथ-साथ सरकार की लापरवाही उजागर हुई।



बाढ़ सुरक्षा उपायों के बिना खड्ड के साथ बस अड्डे का निर्माण करने के परिणामस्वरूप 07-08 अगस्त 2015 की मध्य रात्रि में अचानक आई बाढ़ के कारण धर्मपुर बस अड्डे एवं बसों की क्षति को दर्शाता छायाचित्र

अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन ने बताया (जनवरी 2019) कि इस उद्देश्य हेतु गठित समिति⁹⁷ द्वारा स्थल का चयन आम जनता की मांग पर किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले 20 वर्षों में किसी बड़ी बाढ़ का कोई अभिलेख नहीं था। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं थी क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक सामूहिक विफलता थी।

अतः, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से बचने के लिए सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन तथा सुरक्षा उपायों को अपनाना सुनिश्चित कर सकती है।

⁹⁶ फ्लूवियल अपरदन द्वारा निर्मित निम्न स्तर क्षेत्र/ गिराव।

⁹⁷ उपमण्डलीय दण्डाधिकारी, सरकाघाट; जिला वन अधिकारी, जोगिन्द्रनगर तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, सरकाघाट।

3.21 बस अड्डे हेतु अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण निरर्थक व्यय

प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन तथा अभिकल्प को अंतिम रूप देने के साथ उपयुक्त स्थल के चयन में हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की आयोजना में कमी के कारण प्रारंभिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन (मई 2009) से हमीरपुर में टैक्सी स्टैंड, पार्किंग क्षेत्र, दुकानें, यात्री निवास, कार्यशाला एवं अन्य सार्वजनिक आवागमन सुविधाओं से युक्त नये बस अड्डा (क्षमता: 700 बसें) परिसर के निर्माण की दृष्टि से 1.2223 हेक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित किया तथा प्रतिपूरक पौधरोपण एवं निवल वर्तमान मूल्य के प्रति ₹ 12.35 लाख का भुगतान (मई 2009) किया।

प्राधिकरण के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया (अक्टूबर 2017) कि उपायुक्त, हमीरपुर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित (जुलाई 2009) समिति ने स्थल का दौरा किया (जुलाई 2009) तथा भविष्य में विस्तार/आवश्यकता के लिए सम्पर्क सड़क की संकीर्णता तथा सीमित स्थल होने के कारण स्थल को अनुपयुक्त पाया। इसलिए, समिति ने हमीरपुर बाईपास सड़क के निकट एक अन्य स्थल (2.8303 हेक्टेयर माप की वन भूमि) की पहचान की (अप्रैल 2010) जिसमें श्मशान संरचना का विघटन, सीवर लाईन की शिफ्टिंग एवं वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन शामिल था।

प्राधिकरण ने वन विभाग के पास प्रतिपूरक पौधरोपण एवं निवल वर्तमान मूल्य के लिए ₹ 54.40 लाख जनवरी 2010 एवं फरवरी 2012 के मध्य पुनः जमा करवाए तथा सीवर लाईन की शिफ्टिंग के लिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को ₹ 26.86 लाख का भुगतान (फरवरी 2012) किया। इसी बीच, राज्य सरकार ने चिन्हित स्थल पर कार्य प्रदान करने की तिथि से 18 माह के भीतर सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर बस अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया (जुलाई 2011)। तदनुसार, प्राधिकरण ने बस अड्डे परिसर के निर्माण हेतु खुली निविदा द्वारा एक फर्म⁹⁸ का चयन किया तथा फर्म को कार्य करने हेतु नोटिस जारी किया (अक्टूबर 2011)। तथापि, दोनों तरफ (हमीरपुर नगर की तरफ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास की तरफ) से प्रवेश तथा निकास का प्रावधान प्रारंभिक परियोजना लागत में शामिल नहीं था। फर्म ने प्राधिकरण के पास ₹ 67.00 लाख परियोजना विकास शुल्क एवं ₹ 3.35 करोड़ निष्पादन गारंटी जमा किये (अक्टूबर 2011) तथा 30 वर्षों की रियायत अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए (दिसम्बर 2011)। फर्म को प्रत्येक दो वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 72.00 लाख वार्षिक रियायत शुल्क का भुगतान करना था।

तथापि, यह पाया गया कि श्मशान घाट को विघटित न करने के कारण सभी-बाधाओं से रहित चयनित स्थल को नहीं सौंपने के साथ प्राधिकरण की आरेखण अनुमोदन समिति द्वारा आरेखण एवं डिजाइन को अनुमोदन/अंतिम रूप न देने के कारण बस अड्डे का निर्माण कार्य जून 2014 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। आरेखण अनुमोदन समिति की सिफारिश पर प्राधिकरण ने दोनों तरफ से बस अड्डे में प्रवेश तथा निकास के निर्माण सहित संशोधित डिजाइन मापदण्डों को जारी किया (सितम्बर 2013) यद्यपि परियोजना लागत में यह वास्तविक रूप से शामिल नहीं था। परिणामतः, फर्म ने संशोधित डिजाइन मापदण्डों पर इस तर्क के साथ आपत्ति की (जून 2014) कि स्थल का घाटी में स्थित होने के कारण संरचना की नींव की लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। उपर्युक्त दृष्टि में, फर्म ने प्राधिकरण से अनुबंध रद्द करने एवं निष्पादन गारंटी तथा परियोजना विकास शुल्क वापिस करने का अनुरोध किया। सितम्बर 2014 में, प्राधिकरण ने रियायत अनुबंध को समाप्त कर दिया तथा निष्पादन गारंटी एवं परियोजना


⁹⁸ मैसर्स एमईपी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड।

विकास शुल्क वापिस कर दिया। स्पष्टतया, प्राधिकरण प्रस्तावित बस अड्डे में सृजित की जाने वाली सुविधाओं की आवश्यकता तथा उपयुक्त स्थल का चयन करने में विफल रहा जिसके कारण रियायत अनुबंध की समाप्ति तथा प्रत्याभूतियों की वापसी हुई।

सितम्बर 2017 में प्राधिकरण के निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि अत्यधिक विकासात्मक लागत के कारण हमीरपुर में चिन्हित भूमि पर बस अड्डे का निर्माण संभव नहीं था तथा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अन्य उपयुक्त जगह चयनित करने के लिए कार्रवाई करने के अतिरिक्त हमीरपुर में मौजूदा बस अड्डे के विस्तार की संभावना तलाशने के लिए अधिकृत किया। तथापि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से अन्य स्थल के चयन हेतु कार्रवाई सितम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थी।

सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि फर्म को सभी बाधाओं से रहित स्थल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, जिससे निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरांत अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

अतः, उपयुक्त स्थल के चयन में प्राधिकरण द्वारा यथोचित परिश्रम एवं आयोजना के अभाव के साथ प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन एवं अभिकल्प को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण प्रारम्भिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा। इसके अतिरिक्त, बस अड्डा चालू होने पर रियायतकर्ता से प्राप्त होने वाले ₹ 72.00 लाख के वार्षिक राजस्व के साथ जनता भी अभिप्रेत लाभों से वंचित रही।



(आई.डी.एस. धारीवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 06 दिसम्बर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 11 दिसम्बर 2019

